खण्ड-327, अंक-7
मंगलवार, 5 आश्विन, शक संवत् 1899
(27 सितम्बर, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 327 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	763–767
प्रश्नोत्तर	768–803
व्यवस्था का प्रश्न	803
पूर्वोत्तर रेलवे कानपुर तथा फर्रुखाबाद क्षेत्र में पीने के पानी में प्राणघातक कीटाणुओं के होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	803–804
नगर महापालिका, कानपुर द्वारा कलेक्टरगंज क्षेत्र के अस्थायी परमिट होल्डरों को नगर महापालिका की भूमि खाली कराने के आदेश के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	804
पं0 करुणापति त्रिपाठी, कुलपति, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के हटाए जाने तथा छात्रों की अन्य माँगों को सदन के संज्ञान में लाना ..	804–805
फिरोजाबाद नगर में बिजली सप्लाई के बन्द होने से जनता तथा उद्योग मजदूरों में असन्तोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	805–806
बाँदा में हरिजनों की हत्या व सवर्ण द्वारा सताए जाने तथा पुलिस की लापरवाही के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	806–807
कृषि मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को सूचना .	807–808
प्रश्नोत्तर काल में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मुख्य मन्त्री की टिप्पणी पर श्री नारायण दत्त तिवारी की आपत्ति ..	808–809
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती के राज्य विद्युत् परिषद् के निर्णय के सम्बन्ध में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचना पर विद्युत् मन्त्री का उत्तर	809–814
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा परीक्षा के आवेदन-पत्रों में अंग्रेजी प्रयोग सम्बन्धी निर्देश के सम्बन्ध में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचना पर शिक्षा उप मन्त्री का उत्तर ..	814–815
जिला सीतापुर के ग्राम दारानगर के पास बिजली के ढीले तार से टकरा जाने के फलस्वरूप एक हरिजन बालक की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	815–819
उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों द्वारा अपनी माँगों को शासन द्वारा न माने जाने तक, यू0 पी0 बोर्ड के व्यक्तिगत छात्रों के फार्मों को बाँटने एवं अग्रसारित करने से इंकार करने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	819–821
सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों के उत्तर तथा केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत विषयों पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	821–827
आबकारी के बजट से सम्बन्धित साहित्य का वितरण न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	827

विषय	पृष्ठ संख्या
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मागों पर मतदान—अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी तथा अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन (जारी)	827–866
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	866
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान—अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी तथा अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन (स्वीकृत)	866–873
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	873
जिला शाहजहाँपुर, कस्बा कटरा में मैकू लाल तथा उनके परिवार के सदस्यों के साथ दरोगा एवं चार सिपाहियों द्वारा कथित अभद्र व्यवहार तथा कु0 संसारवती के साथ बलात्कार के कथित मामले में दोषी व्यक्तियों को सजा न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	874–880
श्री अवध नारायण त्रिपाठी, वकील, प्रतापगढ़ के घर व कार्यालय का कुर्क किया गया पूरा सामान वापस न किए जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 20 सितम्बर, 1977 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 24 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	880–886
नत्थियाँ	887–895

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 27 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप में, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—345

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठईराम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद चौधरी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नारायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह महरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री

जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी0 पी0 वोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरट)
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेश पाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री

पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चाँदना, श्री
बलदेव, श्री
लवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
न्त, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचूराम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
ब्रजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री

रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जुदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरें वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लखी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री

शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह 'निर्भय', श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखद राज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्य मुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हबीब अहमद, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द्र तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव, गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 27 सितम्बर, 1977

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

सचिवालय के टंककों एवं डेली वेजेज कर्मचारियों को स्थायी किए जाने की मांग

*1—खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत टंककों तथा डेली वेजेज में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है ? क्या सरकार बताएगी कि उन्हें स्थायी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक स्थायी कर दिया जाएगा ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत टंककों की संख्या 556 है । डेली वेजेज में कार्यरत कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसे तीन वर्ष पूरे हो चुके हों।

इस समय टंककों के संवर्ग में केवल 17 स्थायी रिक्तियाँ उपलब्ध हैं जिन पर स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है । डेली वेजेज कर्मचारियों को स्थायी किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सरकार की बात बजह और साफ होनी चाहिए, उलझी हुई नहीं । मसला यह है कि डेली वेजेज पर काम करने वालों को रेगुलराइज, नियमित करने के बारे में सरकार सोच रही है या नहीं ? और उनको वही सहूलियतें जो सरकारी कर्मचारियों को दी गयी हैं, उनके बारे में दिए जाने पर विचार कर रही है या नहीं ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पाया ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि आपने कहा कि 17 स्थायी हैं, बाकी लोगों को रेगुलराइज करने का प्रश्न क्या विचाराधीन है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, जैसा पहले निवेदन कर दिया डेली वेजेज कर्मचारियों को स्थायी करने . . .

श्री अध्यक्ष—

आपने दो तरह के लिखे हैं। यह जो बतलाया है 556 हैं इसमें 17 लोग परमानेन्ट हैं। बाकी के लिए आपने पूछा है कि क्या उनको रेगुलराइज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री अवधेश प्रसाद---

मान्यवर, केवल 17 के लिए है और शेष के लिए नहीं है। समय-समय पर यदि स्थान रिक्त होते रहेंगे, तो 556 में से विचार किया जायगा। उनकी योग्यता के आधार पर और उनकी ज्येष्ठता के आधार पर, उन्हीं 556 में से समय-समय पर किया जायगा।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता समान काम और समान वेतन की बुनियाद पर उनको भी छुट्टियों की तनख्वाह दी जायगी या नहीं ?

श्री अवधेश प्रसाद---

मान्यवर, जहाँ तक वेतन के सम्बन्ध में बात है, हमने पहले बताया है कि ये लोग अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं और समान वेतन देने की व्यवस्था है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन टंककों को क्या वेतन दिया जाता है ?

श्री अवधेश प्रसाद---

डेली वेजेज पर दस रुपए प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो डेली वेजेज पर कार्यरत लोग हैं क्या उनको अस्थायी लोगों की जो सुविधाएं हैं, क्योंकि दोनों की अलग-अलग सुविधाएं हैं, अस्थायी लोगों की जो सुविधाएं हैं, उनको प्राप्त होंगी ?

श्री अवधेश प्रसाद---

मान्यवर, डेली वेजेज अस्थायी नहीं होते हैं, कार्य के अनुसार इनको रखा जाता है। इसलिए जो सुविधाएं अस्थायी लोगों को दी जाती हैं, उनको देने का प्रश्न नहीं उठता है, केवल 10 रुपए प्रति दिन दिया जाता है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि 17 व्यक्तियों को रेगुलराइज किया है और बाकी को नहीं किया है। उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

श्री अवधेश प्रसाद---

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 556 ऐसे हैं जो तीन साल से ज्यादा काम कर चुके हैं, और नहीं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 3 साल से अधिक काम कर चुके हैं और क्या शासन के ऐसे आदेश हैं कि जो 3 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं, उनको स्थायी कर दिया जाए ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो 3 साल से अधिक सेवा कर चुके हैं, उनको स्थायी कर ही दिया जाए। मैंने पहले ही निवेदन किया कि ज्येष्ठता के आधार पर इन्हीं 556 में से करते रहेंगे।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लेबर लाज के अन्तर्गत अगर कोई 240 दिन काम कर लेता है तो उसे मुस्तकिल कर दिया जाता है, तो क्या लेबर लाज के बाहर हैं, यह लोग ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, प्रश्न साफ नहीं हो पाया।

श्री अध्यक्ष—

240 दिन में लेबर लाज के अनुसार मुस्तकिल हो जाता है, तो उनका कहना है कि क्या यह मुस्तकिल नहीं हो जायेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद—

डेली वेजेज वालों को स्थायी करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है क्योंकि वे डेली वेजेज पर हैं। उनको समय-समय पर निकाला जा सकता है।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 240 दिन जो काम कर लेता है वह आदमी मुस्तकिल मान लिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

कारागार विभाग के सेवा निवृत्त राजपत्रित अधिकारियों के पेंशन के भुगतान के मामले

*2—श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कारागार विभाग में कई ऐसे राजपत्रित अधिकारी हैं जिनको सेवा निवृत्त हुए 3 वर्षों से अधिक हो चुके हैं परन्तु उनके वेतन तथा पेंशन आदि के पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान के मामले अभी तक अनिस्तारित पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो उसका निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा ?

न्याय एवं कारागार मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी हां, ऐसे दस मामले हैं। कारागार महानिरीक्षक को आदेश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक मामले का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण कराएं।

बहराइच जिले के ग्राम चननकुड़ी में पुलिस नियुक्त किए जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*3—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शासन को जानकारी है कि ग्राम चननकुड़ी, थाना भिनगा, जिला बहराइच में पुलिस गारद नियुक्ति हेतु क्षेत्रीय विधायक तथा दस गाँवों की जनता ने कई प्रार्थना-पत्र जुलाई,

1977 में पुलिस अधीक्षक, बहराइच को दिए हैं ? यदि हाँ, तो अब तक चननकुड़ी, थाना भिनगा में पुलिस गारद नियुक्त न किए जाने का क्या कारण है ?

राजनैतिक पेन्शन उप मन्त्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

जी हाँ, एक ए0 पी0 गारद दिनाँक 18 जून, 1977 को भिनगा जंगल (थाना भिनगा) में गश्त हेतु नियुक्त कर दी गयी है । गाँव चननकुड़ी में भी स्थानीय पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर दी गई है जिसे पर्याप्त समझा गया ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतानें की कृपा करेंगे कि ग्राम चननकुड़ी में पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो यह कब व्यवस्था की गयी है और कितने लोग जो पेट्रोलिंग करते हैं वह उस ग्राम में कितने दिन रुके ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

दिनाँक 18 जून, 1977 को भिनगा में पुलिस को गश्त के लिए नियुक्त किया गया था क्योंकि बदमाश इसी रास्ते से आते हैं और यहाँ पर पेट्रोलिंग की कार्यवाही जारी है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, भिनगा जंगल भिनगा से उत्तर है और चननकुड़ी ग्राम भिनगा से पूरब है तो जो दल भिनगा जंगल में नियुक्त किया गया है उसका महत्व नहीं रह जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

आप टिप्पणी कर रहे हैं । प्रश्न में जो सूचना चाहते ह उसे माँगें । आप प्रश्न ही पूछिए ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या इस चननकुड़ी गाँव में इससे पहले पुलिस की नियुक्ति की जा चुकी है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, पहले नियुक्ति की गई थी और अब भी ग्राम चननकुड़ी में पेट्रोलिंग की व्यवस्था जारी है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को इस बात की सूचना है कि ग्राम चननकुड़ी में कितने ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल हैं और उनके खिलाफ 3 वर्ष के अन्दर कितने मुकदमें कायम हुए ? मान्यवर, इस गाँव में 90 प्रतिशत लोग मुल्जिम हैं जो चोरी, डकैती व राहजनी करते हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जो गारद नियुक्त हुई है उसमें कितने कांस्टेबिल हैं और कोई सब इन्स्पेक्टर भी उनके साथ है या नहीं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

इस गारद में एक सब-इंस्पेक्टर के अलावा छ: कांस्टेबिल भी हैं।

[दिनाँक 27 सितम्बर, 1977 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद बलिया में कतिपय पुलिस स्टेशनों की स्थापना से गांवों का अव्यावहारिक बंटवारा

*1—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बलिया जनपद में फेफना-बाँसडीह रोड और सुखपुरा नए पुलिस स्टेशन कायम करके इनमें कोतवाली बलिया क्षेत्र के बहुत से ऐसे गाँव शामिल कर दिए गए हैं जो बलिया शहर के नजदीक पड़ते हैं? यदि हाँ, तो इस प्रकार के अव्यावहारिक बंटवारा को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जी हाँ। थानों के पुनस्संगठन की योजना के अन्तर्गत बलिया जनपद में चार नवीन थानों की स्थापना की गई है। इन थानों की स्थापना के फलस्वरूप थाना कोतवाली से सम्बद्ध 114 गाँवों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से थाना फेफना बाँसडीह रोड तथा मुखपुरा में स्थानान्तरित किया गया है। यह सत्य है कि इन नए शामिल किए गए गाँवों में से कुछ गाँव बलिया शहर के नजदीक पड़ते हैं किन्तु सम्बद्ध थानों से भी वे बहुत दूर नहीं हैं।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जिन 114 गाँवों की सूची दी है उनमें हरपुर, मुट्ठी, सतनीसराय, कदमतर ये गाँव बलिया शहर के अन्दर जो दिए गए हैं और थाना बाँसडीह रोड के अन्तर्गत कर दिए गए हैं और कोतवाली बलिया में नहीं हैं?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, बलिया शहर की सन् 1971 की जनगणना के अनुसार आबादी 74 हजार थी और अब लगभग 90 हजार है। अब तक एक शहर में 50 हजार की आबादी पर एक कोतवाली होती थी। यह भी सही है कि ये गाँव बलिया शहर से जुड़े हुए हैं लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इन गाँवों को पुनर्संगठित किया गया क्योंकि इनकी आबादी 80 हजार से ज्यादा हो चुकी है। यह ए0 पी0 जैन पुलिस कमीशन द्वारा 1960-61 में दिए गए सुझावों के अनुसार किया गया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बलिया जनपद के ग्राम जमुआ, सहरसपाली, उदयपुरा, सौरबंदर, नगावां, आखार जिनकी आबादी 15,000 से ज्यादा हो चुकी है, भी कोतवाली में शामिल हैं?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

केवल इसको छोड़ कर चूंकि शहर की आबादी 50,000 से ज्यादा हो चुकी थी अत: बाकी गाँवों को पुनर्संगठित कर इन चार थानों से जोड़ दिया गया है।

आगरा विश्वविद्यालय के जन सम्पर्क अधिकारी की हत्या की जांच

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जून, 1977 में आगरा विश्वविद्यालय के जन-सम्पर्क अधिकारी की निर्मम हत्या कर दी गई है ? क्या यह सही है कि मृतक की पत्नी ने इस हत्या काण्ड में सीनियर पुलिस सुपरिन्टेंडेंट (श्री नाथू लाल) और एक थानेदार का हाथ होने की शिकायत की है ? यदि हाँ, तो वह शिकायती-पत्र क्या है और अब तक की जाँच से क्या तथ्य प्रकाश में आए हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जी हाँ।

मृतक की पत्नी श्रीमती रेनू सिंह ने शासन को शिकायती-पत्र प्रेषित किया है जिसमें अपने पति की दुश्मनी श्री नाथूलाल तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा एवं श्री ज्ञान सिंह, भूतपूर्व थाना इन्चार्ज हरीपर्वत, आगरा से होने तथा अपने पति की हत्या श्री नाथू लाल ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की जानकारी में होने का उल्लेख किया है। उक्त शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में धारा 147/148/302 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा कायम है जिसकी विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है। अब तक की जाँच से किसी भी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नहीं आया है।

जाँच प्रचिलत है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 887 पर।)

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी संलग्न-पत्र जो मृतक की पत्नी ने पुलिस महानिरीक्षक को शिकायती-पत्र दिया था उसे पढ़ कर सदन में सुनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में आप प्रश्न कर लें। पत्र लम्बा है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मृतक ने जो पुलिस महानिरीक्षक को पत्र दिया था उसमें कुछ लोगों के नाम दिए थे कि इन-इन से उनको जान माल का खतरा है तो वे कौन-कौन से नाम थे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मृतक की पत्नी ने एक शिकायती पत्र लिखा था। मृतक ने अपने पत्र में किसी का नाम नहीं लिखा था।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जहाँ तक मुझे जानकारी है, उसने नाम लिखे थे। अत : क्या माननीय मुख्य मन्त्री पुन : पूरी तरह से उस पत्र को देखेंगे और बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन से नाम हैं ?

(मन्त्री जी द्वारा पत्रावली देखते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

इसे बाद में बता दीजिए ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि तत्कालीन सीनियर सुपरिन्टेंडेंट आगरा व थानेदार, जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी और जिनके विरुद्ध जाँच चल रही है, जाँच के दौरान वे लोग प्रभावित न कर सकें, इस सम्बन्ध में उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्री नाथू लाल, एस० एस० पी० को गोरखपुर और ज्ञान सिंह थानेदार को अलीगढ़ ट्रान्सफर कर दिया गया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या इस बारे में कोई अन्तरिम रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जाँच रिपोर्ट पूरीतौर से नहीं आई है और जब तक वह नहीं आएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

जब पहले ही मृतक ने शिकायती-पत्र भेजा था कि एस० एस० पी० से उसे अपनी जान माल का खतरा है तो उसकी मृत्यु के बाद उक्त एस० एस० पी० को गोरखपुर, जो बहुत अच्छी जगह है, क्यों भेजा गया और उसको मुअत्तल नहीं किया गया ? क्या मन्त्री जी उसे मुअत्तल करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जाँच चल रही है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आप आए दिन यह कह देते हैं कि इससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता या यह एक सुझाव है। इस सिलसिले में मृतक ने पहले ही दरख्वास्त दी थी कि एस० एस० पी० से उनको अपनी जान और माल को खतरा है। तो क्या माननीय मन्त्री जी उसे मुअत्तल करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो इस प्रकार टिप्पणी कर रहे हैं। उनका उत्तर यह है कि जांच हो रही है। वे लोग जाँच को प्रभावित न कर सकें, इसलिए थानेदार को अलीगढ़ और एस० एस० पी० का गोरखपुर तबादला कर दिया गया है। जाँच हो रही है और अगर आवश्यक हुआ तो निलम्बित भी कर दिया जायगा।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने और कुछ कहने पर।)

अब इस पर विवाद नहीं है। आप कृपया बैठ जायं।

श्री मैनेजर सिंह—

आपको इस बारे में उनको हटाने में काफी समय लगा, दिल्ली से बराबर उनके बारे में टेलीफोन आ रहे हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

यह तो अव्यवस्था हो रही है। आप कृपया बैठें ।

श्री मैनेजर सिंह—

आप उसका उत्तर दिलवायें ।

श्री अध्यक्ष—

क्या उनको निलम्बित करने पर आपका विचार चल रहा है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जाँच हो रही है और जाँच अनुसन्धान शाखा के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। जब तक दोषी न पाया जाय तब तक किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जाँच न प्रभावित हो, इसलिए उसका तत्काल स्थानान्तरण कर दिया गया।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एफ0 आई0 आर0 में क्या लिखा है और किस तारीख की है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

पूरा पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष—

संक्षिप्त में पढ़ दें।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

"इन्सपेक्टर इन्चार्ज, थाना हरिपर्वत, आगरा। आज दिनाँक 6/7 जून, 1977 को करीब 12 बज रात मेरी कोठी के आगे से 'बचाओ, बचाओ की आवाज आई जिस पर मैं व मेरे बाबा और बहनें जाग कर बाहर निकल आए। हम सबने देखा कि श्री कृष्णपाल सिंह, पुत्र श्री शंकरपाल सिंह, सगड़ी, थाना नाखी, हाल जन सम्पर्क अधिकारी आगरा विश्वविद्यालय, मेरी कोठी के दरवाजे पर खून से लथपथ थे, चिल्लाते हुए आए कि मुझे मार दिया, मुझे बचाओ और जल्दी अस्पताल ले चली उनके हाथ में उनका निजी 32 बोर लाइसेन्सी रिवाल्वर था जिसको उन्होंने मेरे बाबा को देकर यह कहा कि इसे रख लो और मुझे जल्दी पानी पिलाओ और इमर्जेन्सी में ले चलो। हम लोगों ने पूछा कि तुम्हें किसने मारा है तो बताया कि 5-6 आदमियों ने चाकू मारे हैं। श्री कृष्णपाल सिंह को उस समय दो जवान लड़के सम्हाले थे जो पास पड़ोस के ही मालूम होते थे। इसी समय मेरे बाबा गोविन्द पाल सिंह व नौकर दौलत व बाबू सिंह, देवीराम दूध वाले, बद्री आदि पास-पड़ोस के लोग भी आ गए थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने घटना करते हुए बदमाशों को बिजली की रोशनी में देखा है। वह उनको सामने आने पर पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण पाल सिंह चोटों के कारण थोड़ी देर में हमारे गेट के पास दम तोड़ चुके हैं। उनकी लाश दरवाजे पर पड़ी है। उनका स्कूटर भी घटनास्थल पर पड़ा है। कृपया रिपोर्ट लिख कर उचित कानूनी कार्यवाही की जाय।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार को जानकारी है कि विश्वविद्यालय में भी राजनीति चल रही है, इसका भी हिस्सा इसमें हो सकता है। दूसरे, इस मामले में कोई पूछताछ के लिए पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की थीं? यदि हाँ, तो क्या गिरफ्तारियाँ करने के बाद उनको छोड़ दिया गया?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

अपराध शाखा, लखनऊ के मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक तथा दो निरीक्षक और आगरा खंड के क्षेत्राधिकारी एवं तीन निरीक्षक भी गए थे, इस पूरे मामले की छान-बीन ये कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न है कि क्या कोई रिपोर्ट के आधार पर ऐसा लगा कि आगरा विश्वविद्यालय का भी इसमें हाथ है?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

चार महीने हो गए इस कांड को हुए, इसमें कब तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है, यह स्पष्ट करके बतायें?

(श्री श्यामदत्त पालीवाल के खड़े होकर कुछ कहने पर।)

श्री अध्यक्ष—

पालीवाल जी, आपको ध्यान रखना चाहिए, एक प्रश्न आप कर चुके। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

श्रीमन्, पुलिस महानिरीक्षक को लिख दिया गया है कि इसकी जाँच तत्काल और जल्दी से ही दे दी जाय।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)——

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 8 जून को लिखाई गई रिपोर्ट के बाद अब तक कितने आदमियों से छान-बीन की गई, कितने आदमियों को जानकारी के लिए बुलाया गया और अभी तक कोई व्यक्ति संदेहात्मक दृष्टि से पकड़ा गया या नहीं?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस अभियोग के बारे में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जाँच चल रही है और जाँच की रिपोर्ट जब आयेगी, तब ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक की पत्नी ने जो आरोप-पत्र लिखा है उसमें मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और क्या मृतक ने अपनी मृत्यु से 4 दिन पहले कोई शिकायती-पत्र माननीय मुख्य मन्त्री और चौधरी चरण सिंह आदि को भेजा था?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

श्रीमन्, मृतक द्वारा लिखे गये पत्र को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की राय के अनुसार उनका लिखा नहीं बताया जाता है लेकिन उनकी पत्नी न जिन लोगों को पत्र लिखा, वह मैं बताता हूं। उन्होंने एक पत्र दिनाँक 28 जून, 1977 को गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को लिखा और फिर दूसरा शिकायती-पत्र दिनाँक 5 जुलाई, 1977 को मुहम्मद आरिफ साहब, उप मन्त्री, उत्तर प्रदेश शासन को लिखा था। ये दोनों पत्र एक ही जैसे हैं। श्रीमती रेनू सिंह ने लिखा था कि "मेरे पति अपने साथ घटित समस्त घटनाओं का मुझसे जिक्र किया करते थे। इधर उनकी दुश्मनी श्री नाथू लाल, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा तथा ज्ञान सिंह, भूतपूर्व थाना इन्चार्ज, हरीपर्वत, आगरा से थी। मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी हत्या के लिए किसी को 2 हजार रुपये भी दिया गया था, अत: उन्होंने भयभीत हो कर के माह फरवरी में एक पत्र पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को दिया था तथा उनसे मिले थे। इसके अतिरिक्त एक पत्र गृह मन्त्री, भारत सरकार को भी भेजा गया था। इसके बावजूद भी उनके प्राणों की रक्षा न हो सकी। आगरा पुलिस समस्त तथ्यों को समाप्त करने में सक्रिय है; क्योंकि पुलिस अधिकारी मुल्जिमों को बचाना चाहते हैं।

पुलिस मेरे पति पर झूठे आरोप लगा रही है, वे एक अच्छे और नेक इन्सान थे। वे सदैव प्रथम श्रेणी के छात्र रहे थे।

मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे पति की हत्या श्री नाथूलाल, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की जानकारी में हुई है।

श्री श्यामधर मिश्र—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि श्रीमती रेनू सिंह ने दिनाँक 28 जून, 1977 को गृह सचिव को एक पत्र लिखा और दिनाँक 5 जुलाई, 1977 को दूसरा पत्र उप मन्त्री महोदय को लिखा। यानी वाक्या के करीब 20 दिन बाद एक पत्र लिखा और 30 दिन बाद दूसरा पत्र लिखा। तो वाक्या के तुरन्त बाद उन्होंने कोई पत्र पुलिस या किसी अन्य अधिकारी को लिखा या नहीं?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

घटना के बाद श्रीमती रेनू सिंह ने एक पत्र दिनाँक 28 जून, 1977 को और दूसरा दिनाँक 5 जुलाई, 1977 को लिखा। तीसरे पत्र की जानकारी जो उन्होंने इस सम्बन्ध में लिखा हो, मुझे नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह था कि इस घटना के काफी देर बाद माननीय गृह मन्त्री, भारत सरकार, पुलिस महानिरीक्षक, गृह सचिव और उप मन्त्री आरिफ साहब को पत्र लिखे। इनका प्रश्न यह है कि हत्या होने के तुरन्त बाद कोई पत्र उन्होंने लिखा या नहीं?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मैंने निवेदन किया कि घटना के तुरन्त बाद कोई पत्र नहीं लिखा। पहला पत्र दिनाँक 28 जून, 1977 को और दूसरा दिनाँक 5 जुलाई, 1977 को एक गृह सचिव और दूसरा उप मन्त्री के नाम लिखा।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि मृतक ने अपने एक रिश्तेदार को छुड़ाने के लिए एस० पी० से कहा था कि जिस पर एस० पी० ने अपनी असमर्थता जाहिर किया था। इसी रंजिश की वजह से उनकी पत्नी ने उनको लिखाया ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, जाँच में ये सारे तथ्य आयेंगे।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या मृतक के ऊपर भी किसी हत्या का मुकदमा चल रहा था ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

वारदात के बाद दूसरे, तीसरे दिन ही मिसेज सिंह का बयान एस० पी० साहब ने लिया था ? यदि हाँ, तो उन्होंने क्या बयान दिया ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

यें सारी चीजें एक बड़ी टीम द्वारा जाँच की जाने वाली स्थिति में हैं इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं है।

गत लोक सभा चुनाव के दौरान सुल्तानपुर जिले में श्री संजय गांधी पर कथित गोली काण्ड की जांच रिपोर्ट

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत लोक सभा चुनाव के दौरान सुल्तानपुर जिले में श्री संजय गाँधी पर कथित गोली काण्ड की हो रही जाँच की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हाँ, तो रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जी नहीं। जाँच अभी जारी है। जाँच शीघ्र पूरी किये जाने के निर्देश दे दिए गये हैं। जाँच रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जब लोक सभा चुनाव के दौरान सुल्तानपुर जिले में श्री संजय गाँधी पर कथित गोली काण्ड, जो समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था, उसकी जाँच हो रही है और क्या कोई अन्तरिम जाँच रिपोर्ट अब तक शासन को प्राप्त हुई ? यदि हाँ, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने कहा था कि समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है, क्या इसकी जानकारी माननीय मन्त्री जी ने की है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, अखबारों में क्या प्रकाशित हुआ, इसकी जानकारी नहीं है और कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी नहीं आयी । 10 अगस्त, 26 अगस्त और अन्त में 16 सितम्बर, को पत्र भेज दिया गया है कि इसकी रिपोर्ट तुरन्त भेज दी जाय।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जाँच का आदेश कब दिया गया और किस अधिकारी द्वारा जाँच हो रही है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, अपराध अनुसंधान शाखा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी जाँच कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि जाँच के लिए आखिरी पत्र 17 सितम्बर को आई0 जी0 को लिख दिया है कि वह जाँच रिपोर्ट शीघ्र दे दें और यह घटना है 14 मार्च, 1977 की।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने भी उत्तर प्रदेश से कोई सूचना माँगी थी ? अगर माँगी थी, तो भारत सरकार को यह सूचना किस आधार पर दे दी गयी। यह मन्त्री जी बतायेंगे ? जो सूचना वहां भेजी गयी, उसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, भारत सरकार को जो सूचना दी गयी है, वही सदन को भी बता रहा हूं कि जाँच जारी है, पुलिस अनुसन्धान शाखा का वरिष्ठ अधिकारी जाँच कर रहा है। 10 अगस्त, 26 अगस्त, और अन्त में 17 सितम्बर को यह कहा गया कि वह तुरन्त इसकी जांच करके दे दें।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि तमाम घटनायें हैं, घटनाएं गम्भीर हैं, क्या कोई समय, सीमा निश्चित करते हुए इन घटनाओं की जांच के सम्बन्ध में सदन को यह आश्वासन देंगे कि 1 महीने, 2 महीने या 15 दिन में इसकी जांच करा लेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह घटना गम्भीर है। इसीलिए इसमें समय लग रहा है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मान्यवर, कब तक जाँच रिपोर्ट आ जायगी ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन् यह मालूम हो रहा है कि यह टालू मिक्स्चर पिलाया जा रहा है। कोई जाँच वगैरह नहीं हो रही है। जब आई0 जी0 को 3 बार पत्र लिखे हैं, उसके दर्मियान कितने लोगों के बयान लिए गए और उससे क्या तथ्य निकला है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, यह सारे बयान और उसके साक्ष्य जाँच मे सम्बन्धित हैं।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, एक बताएं 10 बताएं, कुछ बताएं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

श्रीमन्, जब कोई रिपोर्ट नहीं आयी, तो क्या बतावें।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)---

मान्यवर, जो 3 पत्र भेजे गए हैं, उनमें से किसी एक का भी तो उत्तर आया होगा कि इतना समय चाहिए ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

मान्यवर, इसकी जरूरत नहीं समझी गयी।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मान्यवर, अभी जाँच चल रही है, लेकिन क्या मन्त्री बतायेंगे कि इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिल गए हैं कि 14 मार्च, 1977 को श्री संजय गाँधी पर अमेठी में, थाना गौरीगंज के अन्तर्गत जो रिपोर्ट लिखाई गयी है, झूठी लिखाई गयी है, ऐसी किसी प्रकार की गोली नहीं चली है, क्या मन्त्री जी बतायेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

मान्यवर, यह सारा विषय जाँच के अन्तर्गत है और जाँच होने के बाद ही बताया जायगा।

मोहल्ला माल एवेन्यू लखनऊ, में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा निजी व्यक्तियों के किराए पर लिए गए भवन

*4---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में माल एवेन्यू मुहल्ले में ऐसे भवन कौन-कौन से हैं जो निजी व्यक्तियों के हैं, परन्तु राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा किराए पर लिए गए हैं । क्या यह सत्य है कि उल्लिखित किसी भवन को अपनी ओर से राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किराए पर दे दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)---

लखनऊ में माल एवेन्यू मुहल्ले में निजी व्यक्तियों के निम्नलिखित भवन राज्य सम्पत्ति विभाग ने किराए पर लिए हैं :

(1) बंगला नम्बर 7,
(2) बंगला नम्बर 8,
(3) बंगला नम्बर 9,
(4) बंगला नम्बर 10,
(5) बंगला नम्बर 11
(6) बंगला नम्बर 15 (नया नम्बर 10 है)।

जी नहीं।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, यह सही नहीं है कि किसी बंगले को किसी व्यक्ति विशेष या कार्यालय को दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बंगला नम्बर 15 जिसका अब नया नम्बर 10 हो गया है उसमें मलेरिया विभाग का कार्यालय था। वह कार्यालय किसी दूसरे स्थान को स्थानान्तरित हो जाने के बाद जब वह भवन खाली हुआ तो किसी संस्था ने कब्जा कर लिया और आज तक कब्जा कायम है ? यदि हाँ, तो उस संस्था का नया नाम क्या है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, यह बंगला मलेरिया विभाग को दिया गया था और सन् 1976 में मलेरिया विभाग से खाली करा लिया गया था। इसे बी0 आई0 पी0 गेस्ट हाउस बनाने का विचार था, उस समय। फिर सरकार ने इस विचार को बदल दिया और काँग्रेस अध्यक्ष, श्री लक्ष्मी शंकर यादव ने एक दरख्वास्त मुख्य मन्त्री जी को दिया कि यह काँग्रेस कमेटी के कार्यालय के लिए दे दिया जाय। तो उस पर विचार होता रहा लेकिन कोई आदेश नहीं हुआ था। 14 फरवरी को उस समय के स्टेट मिनिस्टर श्री वीर बहादुर सिंह उसका निरीक्षण करने गए और उसको, जूनियर इन्जीनियर से चाभी ले लिया और कब्जा कर लिया। आज तक उन्हीं के कब्जे में चला आ रहा है। एलाटमेन्ट नहीं हुआ है। उसमें अनधिकृत कब्जा बना हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है। एक मिनट बोलना चाहूंगा। आपातकालीन स्थिति के दौरान उस समय भारतीय जनसंघ के नाम नियमानुसार आवंटित एक बंगला नं0 6 था। उस समय की सरकार ने जबरदस्ती कब्जा करके सामान नष्ट कर दिया। इस प्रकार के अत्याचार किए गए। और यहाँ पर एक बंगले पर अनधिकृत कब्जा किया गया तो मैं जानना चाहूंगा कि इस बंगले को खाली कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, उनके राज्य मन्त्री के नाम और काँग्रेस कमेटी के नाम नोटिस दिया गया था कि आप इसे खाली कर दें जून, 1977 में। उसके बावजूद इन्होंने खाली नहीं किया तो उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई और बेदखली की कार्यवाही की गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) —

क्या माननीय राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमेटी को उस समय आवश्यकतानुसार उस मकान को आवंटित करने के आदेश तत्कालीन मुख्य मन्त्री और राज्य सम्पत्ति मन्त्री ने दे दिए थे और उसी के तहत उस मकान को उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमेटी ने अपने कब्जे में लिया और आज भी उसके कब्जे में है और इस मामले में मुख्य मन्त्री जी से अभी परामर्श जारी है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मुझे यह जानकारी नहीं है कि क्या परामर्श जारी है। जो पिछला इतिहास है, वह मैंने बता दिया है कि बगैर एलाटमेंट के कब्जा कर लिया। उनको नोटिस दी गई है, पुलिस में रिपोर्ट हो गयी है और बेदखली की कार्यवाही की गयी है।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि कांग्रेस संस्था और उनके मन्त्रियों के नाम कितने मकान लखनऊ में उनके कब्जे में हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे उत्पन्न नहीं होता है।

श्री रामदत्त जोशी—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के जिस आदेश का जिक्र विपक्ष की ओर से किया गया वह क्या पिछली तारीखों को बाद में जारी किया गया था?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, यह बताना कठिन होगा। उस तारीख में काफी समय तक इस बंगले को खाली रखा गया। मैं समझ नहीं पाया कि मलेरिया विभाग से क्यों खाली करा कर चौकीदार रखा गया। यह हो सकता है कि पहले तय कर लिया गया हो कि खाली करा लिया जाय और बाद में कांग्रेस को दे दिया जाय। तारीख का इसमें नहीं है।

औद्योगिक बस्ती, लखनऊ में फर्जी उद्योग चलाने के नाम पर पकड़ा गया एलाटेड शेड व उसकी जांच

*5—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि अगस्त, 1977 के दूसरे सप्ताह में राज्य उद्योग मन्त्री ने लखनऊ के निकट स्थित औद्योगिक बस्ती (Industrial estate) में छापा मार कर एक फर्जी उद्योग चलाने के नाम पर एक शेड पकड़ा जो प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव (श्री महमूद बट्ट) की पत्नी के नाम एलाट था और जिसे उन्होंने गोदरेज कम्पनी को चार हजार रुपया मासिक किराए पर दे रखा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उन परिस्थितियों का ब्योरा देते हुए कृपया बताएगी कि उपरोक्त शेड मुख्य सचिव की पत्नी के नाम एलाट कैसे किया गया? सरकार ने अब तक इस मामलें में क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

यह सही है कि राज्य उद्योग मन्त्री जी ने अगस्त, 1977 के दूसरे सप्ताह में औद्योगिक आस्थान, तालकटोरा रोड, लखनऊ का निरीक्षण किया। कथित शेड का आवंटन भूतपूर्व मुख्य सचिव की पत्नी के नाम नहीं किया गया था बल्कि मेसर्स डाल्फिन एप्रिल्स के नाम किया गया था जिन्होंने उक्त शेड में कुछ समय तक उद्योग चलाया। बाद में उक्त फर्म के साझेदारों में रद्दो-बदल होकर श्रीमती नादिरा बट तथा श्री तारिक बट भी साझेदार हो गए। इस समय उक्त फर्म द्वारा कोई उद्योग नहीं चलाया जा रहा है। फर्म तथा गोदरेज कम्पनी के बीच तय हुए किराए के बारे में शासन को अभी तक कोई आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है। सम्पूर्ण मामले की जांच केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो द्वारा कराई जा

रही है। अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए तथा धन की वसूली के लिए जिला सरकारी वकील (दीवानी) की राय के अनुसार दीवानी अदालत में दावा दायर किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में जो नयी साझेदारी जिसमें बट्ट की पत्नी और पुत्र शामिल हैं, कितने दिनों इस फर्म ने काम चलाया है और इस बीच इन्होंने सरकार को कितना टैक्स अदा किया है ?

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, जबसे यह श्रीमती नादिरा बट तथा श्री तारिक बट आए हैं इस फर्म ने तब से कोई रुपया सरकार को नहीं दिया और न इधर कोई उद्योग ही चलाया गया।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मान्यवर, जो मन्त्री जी ने बताया कि दीवानी अदालत से राय ली गयी है। तो किसी को डिसपजेज करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन रुपए की वसूली के लिए दीवानी मुकदमे की जरूरत नहीं। इसलिए रुपए की वसूली के लिए सरकार ने रिकवरी सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी किए ?

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, यह मामला बहुत पुराना हो गया है और जब इनको हायर परचेज पर यह शेड एलाट किया गया और बारबार कहा गया कि शर्तों के अनुसार लीज डीड कर लें लेकिन किया नहीं, तो 23 जून, 1973 को एलाटमेन्ट रद्द कर दिया गया और उसके बाद भी किन्हीं कारणों से जो कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पायी और कब्जा बना रहा। अभी जब अगस्त, 1977 में राज्य मन्त्री जी ने वहाँ पर जाँच की है या उसके पहले सी० बी० आई० द्वारा जाँच प्रारम्भ हो गयी थी उससे इस कार्यवाही में गति आयी है और कार्यवाही की जा रही है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि इसमें कोई रिकवरी सर्टिफिकेट ईश्यू किया गया है कि नहीं ?

श्री राम प्रकाश—

इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और जी०जी०सी० की राय की कोई आवश्यकता नहीं है। हटाने के लिए उनकी राय ली जा रही है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

श्रीमन्, क्या यह सच है कि जिस समय साझेदारी में बट्ट की पत्नी और पुत्र थे, उस समय श्री बट्ट सेक्रेटरी थे और पिकअप के अध्यक्ष थे ?

श्री राम प्रकाश—

इसमें हमारे पास अधिकृत जानकारी नहीं है कि श्रीमती नादिरा बट तथा श्री तारिक बट श्री बट के पत्नी और पुत्र हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कहा जाता है कि वे उनकी पत्नी और पुत्र हैं लेकिन कोई निश्चित जानकारी मेरे पास नहीं है कि उनकी ही पत्नी और पुत्र हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं यह जानना चाहता हूं कि मेसर्स डाल्फिन एण्ड्रिल्स फर्म है या कम्पनी ? क्या कोई ऐसा नियम है कि जिसमें श्रीमती नादिरा बट और तारिक बट साझेदार होने से पहले सरकार से कोई आज्ञा प्रदान करें ?

श्री राम प्रकाश—

मान्यवर, यह सही है कि फर्म की साझेदारी में परिवर्तन करने के पूर्व सरकार की अनुमति ली जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार की अनुमति नहीं ली और गैर कानूनी ढंग से यह परिवर्तन किया गया। पहले इस फर्म में तीन साझेदार थे। श्रीमती शुक्ला कुमार ने अपना आधा हिस्सा नादिरा बट और तारिक बट के नाम ट्रांसफर कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

पहले एक साझेदारी थी। फिर उसमें नादिरा बट का नाम आया। माननीय मन्त्री जी ने वह डाकूमेंट देखा होगा। उसमें इनके आगे 'वाइफ आफ' किसका नाम लिखा है। वाइफ आफ, डाटर आफ या सन आफ किसका नाम लिखा हुआ है ?

श्री राम प्रकाश—

यह तो श्रीमती शुक्ला कुमार ने ही सूचित किया कि उन्होंने साझेदारी में परिवर्तन कर लिया। क्योंकि यह कार्यवाही गैर-कानूनी थी इसलिए 23 तारीख को वह रद्द कर दिया. . . . . .

श्री रियासत हुसैन—

यह उस प्रश्न का उत्तर नहीं है। प्रश्न सीधा था। यह साझेदारी हुई, इंक्वायरी भी हुई। उस में जहाँ नादिरा बट या तारिक बट का नाम लिखा हुआ है तो वहाँ वाइफ आफ महमूद बट या सन आफ महमूद बट लिखा है या नहीं ?

श्री राम प्रकाश—

यह जानकारी तो मेरे पास नहीं है। मैंने यह डीड नहीं देखी। सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट ऐसी है कि इनके कई पत्नियाँ थीं। इसलिए इसकी अधिकृत सूचना नहीं है कि यह उनकी पत्नी हैं या नहीं।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि उनके अनेक पत्नियां है तो यह कौन से नम्बर की पत्नी थीं और उनका पता क्या लिखा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

किसी आफिसर की रेपुटेशन पर इस तरह कहना उचित नहीं हैं।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको 49 में ले लीजिये।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

यह किसी की वाइफ है या हसबेण्ड, यह पता नहीं चला.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाइये। शान्त रहिये।

सूचना पुनर्गठन समिति रिपोर्ट, 1975 का कार्यान्वयन

*6—श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना पुनर्गठन समिति रिपोर्ट, 1975 को कार्यान्वित करने का सरकार का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री अवधेश प्रसाद—

मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री राज कुमार शर्मा—

माननीय मुख्य मन्त्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता है कि मामला कौन सा विचाराधीन है। मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना पुनर्गठन समिति रिपोर्ट, 1975 को क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि मामला सरकार के विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहूंगा कि विचाराधीन मामला कार्यान्वित करना है या नहीं करना है?

श्री अवधेश प्रसाद—

जैसा कि निवेदन कर दिया है पुनर्गठन के ही मसले पर और कुछ मसले हैं वे चूंकि शासन के विचाराधीन हैं इसलिये वही बात रखी गयी है।

विधायक, श्री तेज सिंह की पुलिस हिरासत में सुन्दर डाकू से मुलाकात

*7—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि 16 सितम्बर, 1976 को या उसके आसपास किसी तिथि को उत्तर प्रदेश के किसी विधायक को पुलिस हिरासत में राजस्थान ले जाकर उच्च पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में, जिनमें अतिरिक्त आई0जी0 पुलिस, यू0पी0 भी थे, उसकी मुलाकात सुन्दर डाकू से कराई गयी? यदि हाँ, तो वह विधायक कौन था तथा उसकी सुन्दर डाकू से मुलाकात कराने का उद्देश्य क्या था और वह आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया गया?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जी हाँ। विधायक का नाम श्री तेज सिंह हैं। श्री सुन्दर ने राजस्थान पुलिस को दिए अपने बयान में श्री तेज सिंह को भूतपूर्व प्रधान मन्त्री की हत्या के षड़यन्त्र से सम्बद्ध किया था। श्री सुन्दर के कथन के सत्यापन के लिए श्री तेज सिंह को वहाँ ले जाया गया। आदेश तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी का था।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, राजस्थान के कृषि मन्त्री ने प्रदन (राजस्थान) को बताया है कि इस बातचीत का ब्योरा टेप-रिकार्ड किया गया था और उस समय जिस समय तेज सिंह, जो स्वयं मन्त्री हैं और सुन्दर डाकू की बातचीत हुई एडीशनल आई0जी0, यू0पी0 मौजूद थे ? क्या उसकी ज्वाइन्ट रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी और क्या उसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, उसकी रिपोर्ट मिली है और उसको संक्षेप में पढ़े दे रहा हूं।

पूछताछ रिपोर्ट

मुलजिम सुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह उर्फ राजू उर्फ राज बहादुर पुत्र छज्जू सिंह गूजर, निवासी दुज्जाना, थाना दादरी, जिला बुलन्दशहर, यू0पी0, केस एफ0आई0आर0 12, दिनांक 31–8–76, धारा 25 आर्म्स ऐक्ट, थाना झोटवाडा, जिला जयपुर।

श्री अध्यक्ष—

पूरी रिपोर्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस मामले को सामने आने दीजिए कि क्या जांच पड़ताल हो रही है . . .

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, श्री जान लोबो, ज्वाइंट डाइरेक्टर, इन्टेलीजेंस ब्यूरो, नई दिल्ली ने 10 सितम्बर, 1976 को एक पत्र श्री गनेश सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर को लिखा था जिसकी प्रतिलिपि यहां के पुलिस महा निरीक्षक को भी मिली थी। यह कहा गया था कि तेज सिंह, विधायक का तत्कालीन प्रधान मन्त्री की हत्या से सम्बन्ध बताया गया था। इसके बाद एक संयुक्त दल बनाया गया था जिसमें इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, नई दिल्ली के एक अधिकारी, राजस्थान अपराध अनुसन्धान विभाग के तीन अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश के श्री श्रीराम अरुण, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना विभाग सम्मिलित थे। इस दल के अधिकारियों ने सुन्दर डाकू से जयपुर पुलिस की हिरासत में विस्तार से पूछताछ की और तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी को सूचित किया। इसके बाद श्री तेज सिंह को 17 सितम्बर, 1976 को मीसा में निरुद्ध कर दिया गया। इसके बाद इस मामले की पूरी जाँच कराई गयी। श्री तेज सिंह को 22 अक्तूबर, 1976 को जयपुर से वापस लाया गया और उसके बाद जाँच हुई। उससे यह पाया गया कि श्री तेज सिंह का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मान्यवर, धर्मयुग के 28 अगस्त और 3 सितम्बर में एक इन्टरव्यू छपा है, श्री तेज सिंह का। उसमें यह बताया गया है कि श्री तेज सिंह पर यह दबाव डाला गया कि वह कोई ऐसा बयान दें जिसमें यह साबित हो कि सुन्दर को सी0बी0 गुप्त और चौधरी चरण सिंह की हत्या के लिए कहा गया था, तो वह दबाव डालने वाले अधिकारी कौन हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

शासन को इसकी जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य को इसकी कोई जानकारी है तो वह उसे शासन को देने का कष्ट करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उस समय माननीय श्री तेज सिंह के विरुद्ध कार्यवाही की गयी वह जो तीन इंटेलिजेन्स के आफिसर्स थे, उनकी सिफारिश पर की गयी तो माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि आपरेटिव पार्ट शिकायत का क्या है ? सुन्दर डाकू ने शुरू में क्या कहा जिसके आधार पर तीन इन्टेलीजेन्स के आफिसर्स ने रिपोर्ट की ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्री जान लोबो, ज्वाइन्ट डायरेक्टर, इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 1976 के सिलसिले में जिन तीन अधिकारियों ने सिफारिश की थी उस संयुक्त दल में इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, नई दिल्ली के एक अधिकारी, राजस्थान अपराध अनुसन्धान विभाग के तीन अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश के श्री श्रीराम सम्मिलित थे। इस दल के अधिकारियों ने सुन्दर डाकू से विस्तार से पूछ-ताछ की थी और उस पूछ-ताछ में ही सुन्दर ने श्री तेज सिंह विधायक का नाम लिया था और उस विधायक का नाम लेने पर इसकी जानकारी तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी को दी गयी थी और उन्होंने ही जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को 17 सितम्बर, 1976 को मीसा की धारा 3 (1) (ए) (ii) के अधीन निरुद्ध करके जिला जेल, बुलन्दशहर के सुपीरियर क्लास में परिरुद्ध किया गया था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उत्तर ठीक से नहीं आया। उत्तर में जो कहा गया उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि षड्यन्त्र से सम्बन्ध क्या था ? सुन्दर डाकू ने पहला बयान क्या दिया था और उस पर तीन इन्टेलीजेन्स वालों ने क्या रिपोर्ट दी थी तत्कालीन चीफ मिनिस्टर को ? पूरी चीज बतलाई जाय और इस तरह की बातें ही न बतलाई जायें जिनसे यह मालूम पड़े कि हमने कोई ज्यादती की थी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मैंने स्पष्ट तौर पर बतलाया, मैं फिर बतलाये देता हूं कि श्री जान लोबो, ज्वाइन्ट डाइरेक्टर, इन्टेलीजन्स ब्यूरो, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 1976 जो पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित था और जिसकी प्रतिलिपि तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित थी, उससे यह ज्ञात हुआ कि सुन्दर डाकू ने जब वह जयपुर पुलिस की हिरासत में था, पूछताछ के दौरान और बातों के अतिरिक्त तत्कालीन प्रधान मन्त्री की हत्या के षड्यन्त्र में श्री तेज सिंह, विधायक, बुलन्दशहर को शामिल होना बताया था। तत्कालीन पुलिस महा निरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, तत्कालीन मुख्य मन्त्री से मिले और एक संयुक्त दल बनाया गया जिसमें इन्टेलिजेन्स ब्यूरो, नई दिल्ली के एक अधिकारी, राजस्थान अपराध अनुसन्धान विभाग के तीन अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश के श्रीराम तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सम्मिलित थे। उस दल के अधिकारियों ने सुन्दर डाकू से जयपुर पुलिस की हिरासत में विस्तार से पूछताछ की और इस पूछताछ में सुन्दर डाकू ने तत्कालीन प्रधान मन्त्री की तथाकथित हत्या के षड्यन्त्र से श्री तेज सिंह, विधायक का सम्बन्ध बताया था और इस पर तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने उनको मीसा में बन्द किये जाने के आदेश दिये थे।

श्री देव बहादुर सिंह—

सुन्दर डाकू का बयान क्या है उसे माननीय मन्त्री जी कृपा करके पढ़ कर सुनाएं ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

ज्यादती का सवाल नहीं है बल्कि जो आप लोगों ने ज्यादतियाँ की वह बता दी गयीं।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने कोई ज्यादती नहीं की।

श्री राम नरेश यादव—

एक आदमी जो निर्दोष था उसको पकड़ कर मीसा में बन्द कर दिया गया। वह सारी बातें जाँच रिपोर्ट में गलत बताई गई हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय मुख्य मन्त्री जी बीमारी से उठ कर आए हैं, मैं उनको परेशान करने के लिए कोई बात नहीं कहता लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि कोई भी निष्पक्ष जुडिशियल आदमी बैठा दिया जाय। अगर कोई मेरी जगह मुख्य मन्त्री होता तो उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यही आदेश देता, जो मैंने दिया।

अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। (व्यवधान)

आप बैठिए (कई सदस्यों के साथ-साथ खड़े होने पर) आप लोग बैठिए।

श्री देव बहादुर सिंह—

मेरा जवाब नहीं आया।

थाना पूरा मुफ्ती, जिला इलाहाबाद में पुलिस कर्मचारियों द्वारा रंगीले-छबीले शाह वक्फ पर दूसरे व्यक्ति को अवैधानिक कब्जा दिलाया जाना।

*8—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलाबाद उर्फ कोईलहा, थाना पूरामुफ्ती, जिला इलाहाबाद में स्थित 'रंगीले छबीले शाह' वक्फ नं0 208 पर थाना पूरा मुफ्ती के कुछ पुलिस कर्मचारियों ने अवैधानिक रूप से इमरजेंसी के दौरान में मैनेजमेन्ट कमेटी से जबरदस्ती किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा दिला दिया है ? क्या यह सही है कि सी0ओ0 परगना व तहसील चायल, जिला इलाहाबाद ने उपरोक्त के सम्बन्ध में 28 जून, 1977 को कोई जाँच की थी ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय की शिकायतें ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद को प्राप्त हुई थीं। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद ने शिकायतों की जाँच करायी। जाँच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप अप्रमाणित रहे। इस सम्बन्ध में सी0ओ0 परगना व तहसील चायल द्वारा दिनाँक 28 जून, 1977 को कोई जाँच किया जाना नहीं पाया गया।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ग्राम वीरमपुर कुण्डरा, बदायूं में श्री हुकुम सिंह के घर पड़ी डकैती के कथित अभियुक्त कृष्ण पाल की रिहाई

*9—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या गृह मन्त्री को यह ज्ञात है कि जिला बदायूं के थाना दातागंज के ग्राम वीरमपुर कुंडरा में जुलाई, 1977 में श्री हुकम सिंह आदि की नृशन्स हत्या हुई व उनके घर में भीषण डकैती पड़ी जिसके सम्बन्ध में कृष्णपाल आदि कुछ मुल्जिम पुलिस ने पकड़े और बाद में उन्हें थाने में ही छोड़ दिया गया जिससे जनता में असुरक्षा और आतंक व्याप्त है? यदि हाँ, तो मुल्जिम को छोड़े जाने के क्या कारण हैं और जनता के असन्तोष को दूर करने के लिये तत्काल क्या कदम उठाए गये ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 13/14 जुलाई, 1977 की रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा श्री हुकुम सिंह, निवासी ग्राम वीरमपुर, थाना दातागंज, जिला बदायूं के घर में चोरी करने तथा श्री हुकुम सिंह की हत्या करने की घटना के सम्बन्ध में मृतक के पुत्र श्री श्यामपाल सिंह द्वारा दिनाँक 14 जुलाई, 1977 को थाना दातागंज पर रिपोर्ट लिखाई गयी जिसके आधार पर थाना दातागंज पर धारा 302/380 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और बाद में उसी दिन उक्त अपराध को धारा 460 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया। इस अभियोग में विवेचना से प्रकाश में आये चार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 460/411 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है तथा शेष के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

पुलिस अभिलेखों के अनुसार अभियुक्तगण कृष्णपाल व राम निवास को दिनाँक 18 जुलाई, 1977 को धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था, और उनसे उक्त चोरी की घटना के सम्बन्ध में भी पूछताँछ की गयी थी परन्तु उन्होंने अपराध में सम्मिलित होने से इंकार किया पुलिस को कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिससे उक्त अभियुक्तों का कथित घटना में हाथ होना प्रमाणित हो पाता। अतएव उक्त अभियुक्तगण को धारा 60 आबकारी अधिनियम के मुकदमें में थाने से जमानत पर छो दिया गया।

यह कहना सही नहीं है कि उक्त घटना के फलस्वरूप जनता में असुरक्षा एवं भय की भावना व्याप्त है।

गढ़वाल मण्डल में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

*10—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 1975-76 और 1976-77 में गढ़वाल मण्डल के किस-किस जिले की पेयजल योजना स्वीकार की गयी, किन-किन पर कार्य आरम्भ किया गया और उनमें से कौन-कौन दिनाँक 31 जुलाई, 1977 तक पूर्ण हो चुकी है ?

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

वर्ष 1975-76 में गढ़वाल मण्डल के समस्त जनपदों में तथा 1976-77 में उत्तरकाशी को छोड़कर अन्य सभी जनपदों में 53 पेयजल योजनाऐं स्वीकृत की गयीं।

1976–77 में 53 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया। जुलाई 31, 1977 तक इनमें से 9 पेयजल योजनाओं पर कार्य पूरा हुआ। सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 888–891 पर)

ग्राम अमेठी, जिला फर्रुखाबाद में मुकेश की हत्या

*11—**श्री अरुण कुमार** (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद, कोतवाली के अन्तर्गत ग्राम अमेठी में एक 17 वर्ष के लड़के मुकेश की हत्या 4 अगस्त, 1977 की रात को कर दी गयी ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अभी तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनाँक 4 अगस्त, 1977 को श्री मुन्ना लाल, निवासी ग्राम अमेठी जदीद, थाना कोतवाली, फर्रुखाबाद न थाना कोतवाली पर सूचना दी कि दिनाँक 3/4 अगस्त, 1977 की रात में उनके गाँव के कुछ व्यक्ति उनके लड़के मुकेश को बुलाकर ले गये जो रात में वापस नहीं आया। आगे यह भी सूचना दी कि उसकी तलाश रात में की गयी परन्तु वह नहीं मिला। दूसरे दिन उक्त मुकेश की लाश एक बाग में पाए जाने की सूचना कुछ व्यक्तियों ने दी तो वादी ने वहाँ जाकर देखा तो पाया कि उनका पुत्र वहाँ मरा पड़ा है। इस सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पर एक मुकदमा धारा 364/302 भारतीय दण्ड विधान का तीन नामाँकित अभियुक्तों के विरुद्ध कायम किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गयी।

घटना से सम्बन्धित नामांकित तीन अभियुक्तों ने दिनाँक 16 अगस्त, 1977 व 22 अगस्त, 1977 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया तथा अभियोग विवेचनाधीन है।

(सांध्य) दैनिक के प्रकाशक एवं सम्पादक, श्री गोविन्द मिश्र की हत्या

*12—**श्री अरुण कुमार**—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जिले में स्थानीय साँध्य दैनिक के प्रकाशक एवं सम्पादक श्री गोविन्द मिश्र की 5 अगस्त, 1977 को दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गयी है और मारने के बाद अभियुक्तों ने उनका पेट फाड़ दिया तथा पत्थर से सर कुचल कर फरार हो गए ? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनाँक 5 अगस्त, 1977 को श्री गोविन्द मिश्र की हत्या करीब 8 बजे प्रातः तमंचे के फायर से एवं चाकू की चोट से की गयी। सम्बन्धित अभियुक्तगणों में से दो हाजिर अदालत हो चुके हैं और जेल में हैं। शेष दो अभियुक्तगण अभी गिरफ्तार नहीं हो सके उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और

ग्राम रामनगर, जिला गोरखपुर में हरिजन एवं सवर्ण परिवार के मध्य संघर्ष तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध जांच

*13—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा** (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला के थाना महराजगंज के गांव रामनगर में जुलाई, 1977 में हरिजन एवं सवर्ण परिवार के बीच जो संघर्ष हुआ उसके क्या कारण थे ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना महराजगंज में बद्री यादव तथा नेउर व नाथे पुत्रगण दूलम हरिजन के बीच चक नम्बर 59 की जमीन के मुकदमे के सम्बन्ध में दिनाँक 12 फरवरी, 1977 को उप सांचालक चकबन्दी के न्यायालय से बद्री यादव के पक्ष में फैसला हुआ था परन्तु नेउर व नाथे हरिजन आदि उसे जबरदस्ती जोतने बोने नहीं देते थे। यही संघर्ष का कारण बना।

*14--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह सच है कि जुलाई, 1977 में गाँव रामनगर, थाना महराजगंज, जिला गोरखपुर में जो घटना घटी वह केवल जिला के अधिकारियों की अदूरदर्शिता का परिणाम थी? यदि हाँ, तो सम्बन्धित अधिकारी कौन थे एवं उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री राम नरेश यादव--

यह कहना सही नहीं है कि प्रश्नगत घटना जिला अधिकारियों की अदूरदर्शिता का परिणाम थी। इस घटना के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ने सूचित किया है कि थानाध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया है और उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

मेरठ में पुल बेगम रोड की दुकान नं० 526/1 पर अवैध कब्जा

*15--श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

क्या सरकार को जानकारी है कि मेरठ पुलबेगम रोड पर दुकान नं0 526/1 को सेक्शन 146 सी आर0पी0सी0 के अन्तर्गत दिनाँक 22 मई, 1977 को अटैच कर लिया गया था, परन्तु एक पार्टी ने शक्ति का प्रयोग कर सील तोड़कर कब्जा कर लिया? यदि हाँ, तो सरकार ने सील तोड़ने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लालकुर्ती, मेरठ पर धारा 147/353/149/186/188/189/448/379/224/225 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है।

उच्च न्यायालय में दीवानी एवं फौजदारी के विचाराधीन मामले एवं जजों की संख्या में वृद्धि का विचार

*16--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग उच्च न्यायालय में दीवानी एवं फौजदारी के कितने मामले 1 अगस्त, 1977 तक विचाराधीन थे तथा उनके शीघ्र निपटारे हेतु क्या सरकार जजों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है?

श्री राम नरेश यादव—

1 अगस्त, 1977 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य वादों में दीवानी के 76, 369 तथा फौजदारी मामलों के 19,630 एवं विविध मामलों में दीवानी के 28,976 तथा फौजदारी के 3,238 मामले विचाराधीन थे। इस समय उच्च न्यायालय के जजों के 12 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। जजों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रिक्त पदों के भरने के बाद यथास्थिति समस्या पर विचार किया जायेगा।

*17—श्री राम दत्त जोशी तथा श्री इन्द्र मणी बड़ौनी—

[माननीय सदस्यों ने प्रश्न वापस ले लिया।]

उत्तर गोंडा वन प्रभाग में पेड़ों के नाजायज कटान सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*18—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या वन मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर गोन्डा वन प्रभाग के सुहेलवा पश्चिमी रेंज, बेरूबन तथा मचकाही के बीट नं0 43 में कई लाख रुपए के नाजायजजंगल पेड़ों की कटान मई, 1977 से अगस्त, 1977 तक के बीच हुई है जिसकी शिकायत रजिस्ट्री डाक द्वारा डी0एफ0ओ0, गोण्डा को अगस्त, 1977 में प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और कौन-कौन दोषी पाए गए?

बन मन्त्री (श्री श्रीचन्द्र)—

प्रश्न गत नाजायज कटान सम्बन्धी एक शिकायती-पत्र दिनाँक 9 अगस्त, 1977, माननीय प्रश्नकर्ता के पत्र दिनाँक 16 अगस्त, 1977 के साथ दिनाँक 18 अगस्त, 1977 को प्राप्त हुआ है। उसमें मुख्य-मुख्य आरोप निम्नलिखित हैं :—

(1) बेरूवन बीट नं0 43 के जंगलों की लकड़ी का मई, 1977 से जुलाई, 1977 तक चोरी से काट कर बेंचा जाना।

(2) विभागीय तार के नयें तथा पुरानें बण्डल पास के देहातों में पहुंचाना।

(3) विभागीय कर्मचारियों द्वारा कतिपय व्यक्तियों की मिली-भगत से जंगल का काटा जाना तथा काटी गयी लकड़ी का जोंगा गाँव में चिरान कराकर बेचा जाना।

(4) उक्त शिकायत राज अधिकारी सुहेलवा से की गयी तथा उनसे बरूधन की जाँच का अनुरोध किया गया परन्तु उनके द्वारा अभी तक कोई जाँच नहीं की गयी है।

(5) नाजायज काट पेड़ों के बूथों का खुदान बरूबन बीट के फारेस्ट गार्ड तथा बीट वाचर की देख-रेख में चालू है।

(6) जोंगा गाँव में 14 अदद साल की लकड़ी जो डिप्टी रेन्जर द्वारा बरामद करके एक भूतपूर्व ठेकेदार की सुपुर्दगी में दी गयी थी, का पता न चलना।

प्रश्नगत शिकायत की जाँच की जा रही है।

*19—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा सुन्दर लाल दीक्षित—

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद फतेहपुर में जघन्य अपराधों में वृद्धि के फलस्वरूप मोटर बोट तथा रिवर पुलिस की मांग

*20--श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला फतेहपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर जनपद में 10 अगस्त, 77 को कानपुर परिक्षेत्र के उप पुलिस महानिरीक्षक ने एक पत्रकार गोष्ठी में यह स्वीकार किया है कि 1 जनवरी से जुलाई, 77 तक की अवधि में डाका, कत्ल जैसे जघन्य अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है और रिवर पुलिस वहाँ होनें की आवश्यकता पर बल दिया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन अपराधों की रोकथाम और अपराधियों को तुरन्त पकड़नें की कार्यवाही हेतु "मोटर बोट" देने की कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश यादव--

दिनाँक 10 अगस्त, 1977 को कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने जनपद फतेहपुर में पत्रकार गोष्ठी में बताया था कि जनवरी 1 से 31 जुलाई, 1977 की अवधि में अपराध सम्बन्धी आँकड़ों के अनुसार जनपद फतेहपुर में पिछले वर्षों की इसी अवधि की तुलना में डकैती, लूट, बलवा तथा अन्य अपराधों में कमी हुई है। केवल हत्या के अपराध में वृद्धि हुई है।

वित्तीय स्थिति को देखते हुए अभी फतेहपुर जिले में मोटर-बोट तथा रिवर पुलिस देना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जनपद फतेहपुर में ए०डी०एम० (जे०) तथा मैजिस्ट्रेटों के कथित रिक्त स्थान

*21--श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर जनपद में ए०डी०एम० (जे०) तथा अन्य कुछ मैजिस्ट्रेटों के स्थान रिक्त पड़े हैं? यदि हाँ, तो कब से और क्यों? क्या मुकदमों के शीघ्र निपटाए जाने हेतु शासन अविलम्ब उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करने की कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पौड़ी गढ़वाल तथा चमोली में स्वीकृत नई सड़कें तथा उनका निर्माण कार्य

*22--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल तथा जिला चमोली मे वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में कौन-कौन मोटर सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकार किया गया है और उनमें से प्रत्येक सड़क के लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकार की गयी तथा 31 जुलाई, 1977 तक कितनी किलोमीटर हर एक सड़क निर्मित हो चुकी है ?

श्री शोबन सिंह जीना--

जिला पौड़ी गढ़वाल व चमोली में वर्ष 1975-76 में किसी नई सड़क की स्वीकृति नहीं दी गयी। वर्ष 1976-77 व 1977-78 में स्वीकृत सड़कों के सम्बन्ध में विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 892-895 पर)

*23—श्री अली असगर हुसैन तथा श्री कृष्ण स्वरूप—

[दिनाँक 30 अगस्त, 1977 को ताराँकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित ।]

*24—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*25—श्री बिहारी लाल हंस—

[माननीय सदस्य ने प्रश्न वापस लिया ।]

*26—श्री ऊदल—

[6ठे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

*27-28—श्री विष्णु प्रताप सिंह—

[6ठे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

*29—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

[10वें मंगलवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

लखनऊ विश्वविद्यालय के गिरफ्तार छात्रों का अन्य जेलों में स्थानान्तरण

*30—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि 23 अगस्त, 1977 को लखनऊ विश्वविद्यालय के कितने छात्रों को किन-किन दफाओं में गिरफ्तार किया गया ? क्या यह सही है कि इन गिरफ्तार छात्रों को लखनऊ से दूसरे जिलों की जेलों में भेजा गया और उनके साथ मुलाकातों पर प्रतिबन्ध लगाया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

23 अगस्त, 1977 को लखनऊ विश्वविद्यालय के दो छात्रों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक जिला कारागार, फतेहगढ़ तथा दूसरा जिला कारागार, हरदोई भेजा गया था। इन छात्रों के साथ मुलाकातों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था। इन दोनों छात्रों को मुचलका देने के उपरान्त कारागार से मुक्त कर दिया गया है ।

ग्राम मिर्जापुर सुम्हारी, जिला उन्नाव के हरिजन राम प्रसाद की पिटाई तथा थाने में अंकित रिपोर्ट

*31—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मिर्जापुर सुम्हारी, थाना पुरवा, जिला उन्नाव में दिनाँक 25 जुलाई, 1977 को एक हरिजन (राम प्रसाद) को लाठी-डण्डों, लात-घूसों से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया जिसकी रिपोर्ट दिनाँक 26 जुलाई, 1977 को थाने में की गयी और क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को भी दिनाँक 1 अगस्त, 1977 को रजिस्टर्ड शिकायत की गयी ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री राम प्रसाद हरिजन, निवासी सुम्हारी मिर्जापुर, थाना पुरवा, जिला उन्नाव में दिनाँक 26 जुलाई, 1977 को गुठुल ब्राह्मण, निवासी देह के विरुद्ध डंडे से मारने की सूचना थाना पुरवा पर दी जिसके आधार पर थाने पर धारा 323/504/506 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

इसी मामले के सम्बन्ध में प्रार्थी राम प्रसाद का प्रार्थना-पत्र दिनाँक 30 जुलाई, 1977 भी जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को प्राप्त हुआ ।

इस अभियोग की विवेचना हेतु न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर विवेचना की गयी और गुठुल का चालान अदालत किया गया । मुकदमा विचाराधीन न्यायालय है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार अभियुक्त गुठुल के विरुद्ध धारा 107/116 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत की गयी निरोधात्मक कार्यवाही भी न्यायालय के विचाराधीन है ।

सरकार द्वारा नई कलेक्टिव अर्थ दण्ड योजना का क्रियान्वयन

*32—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार ने अभी हाल में यह फैसला दिया है कि जहाँ पर हरिजनों पर सवर्णों द्वारा अत्याचार की घटनाएं होंगी वहाँ क्लेक्टिव अर्थ दण्ड दिया जायगा ? यदि हाँ, तो यह योजना क्या है और अब तक किन स्थानों पर क्लेक्टिव अर्थ दण्ड लगाया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

कलेक्टिव अर्थ-दण्ड निम्नलिखित अधिनियमों/अध्यादेश के अन्तर्गत लगाया जा सकता है :—

(1) पुलिस ऐक्ट, 1861,

(2) कलेक्टिव फाइनेन्स आर्डिनेंस, 1942,

(3) नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम, 1955 ।

अभी तक किसी स्थान पर कलेक्टिव अर्थ-दण्ड नहीं लगाया गया है किन्तु यदि ऐसी परिस्थितियाँ होंगी कि सामूहिक अर्थ-दण्ड लगाया जाय तो अवश्य कार्यवाही होगी ।

*33—श्री ऊदल, श्री रियासत हुसैन तथा श्री गनेशी लाल चौधरी—

[6ठे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सेवरही बाजार, जनपद देवरिया के श्री ओम प्रकाश नाथानी की हत्या का प्रयास

*34—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के तरया सुजान थाने के अन्तर्गत सेवरही के संभ्रांत व्यवसायी श्री ओम प्रकाश नाथानी की हत्या का प्रयास अवांछनीय तत्वों द्वारा जुलाई, 1977 के अन्तिम सप्ताह में किया गया और वे हथगोले से बुरी तरह आहत होकर सेवरही अस्पताल में दाखिल हैं ? यदि हाँ, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ ।

प्राप्त सूचना के अनुसार सेवरही बाजार, जनपद देवरिया के श्री ओम प्रकाश नाथानी की हत्या का प्रयास दिनाँक 31 जुलाई, 1977 को किया गया एवं वे हथगोले से बुरी तरह घायल होकर सेवरही अस्पताल में दाखिल हैं। उक्त घटना की सूचना तरया सुजान थाने में दर्ज कराई गई थी। सभी 14 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है ।

ग्राम त्रिलोकपुर बुजुर्ग, थाना पडरौना, जिला देवरिया में पड़ी भीषण डकैती

*35—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के पडरौना तहसील के पडरौना थाने के अन्तर्गत त्रिलोकपुर बुजुर्ग ग्राम में दिनाँक 13/14 अगस्त, 1977 की अर्द्ध-रात्रि में कोई भीषण डकैती पड़ी जिसमें लगभग (13) तेरह हजार की सम्पत्ति लूटी गयी और गृह स्वामी सहित पाँच आदमी गम्भीर रूप से घायल हुए हैं? जिसकी रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज है? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम नरायन लाल, पुत्र श्री बच्चू लाल, ग्राम त्रिलोकपुर बुजुर्ग, थाना पडरौना, जिला देवरिया ने दिनाँक 14 अगस्त, 1977 को इस आशय की एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि गत रात्रि में करीब आधी रात्रि को अचानक 14-15 अज्ञात सशस्त्र डकैतों द्वारा वादी व उनके पट्टीदार सुदामा के घर डकैती डाली गई एवं उसके व सुदामा के घर का लगभग सात हजार रुपए का सामान व नकद 750 रुपए की धनराशि लूट लिया गया तथा 5 व्यक्तियों को साधारण चोटें आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 170 धारा 395/397 कायम कर विवेचना की जा रही है। विवेचना से अभी तक किसी अभियुक्त का पता नहीं चल सका है।

जनपद बरेली के थाना कोतवाली में गिरफ्तार किए गए छात्रों को मारा-पीटा जाना

*36—श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 28 अक्तूबर, 1975 को जनपद बरेली में थाना कोतवाली में दो छात्रों को किस अपराध में गिरफ्तार किया गया था? क्या यह सही है कि उन्हें कोतवाली में पुलिस द्वारा गम्भीर रूप से मारा पीटा भी गया? यदि हाँ, तो किन अधिकारियों द्वारा? क्या सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 28 अक्तूबर, 1975 को जनपद बरेली के थाना कोतवाली में सर्वश्री रमेश चन्द्र आनन्द व वीरेन्द्र कुमार दो छात्रों को गिरफ्तार किया गया। सरकार विरोधी इश्तिहार रखने तथा सरकार विरोधी नारे लगाने के लिए उनके विरुद्ध धारा 36/43/46 डी0 आई0आ र0 का मुकदमा कायम किया गया था।

ऐसी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं कि उन्हें कोतवाली में पुलिस द्वारा मारा-पीटा गया था। शिकायतों के अनुसार यह मार-पीट तत्कालीन जिलाधिकारी, बरेली, श्री माता प्रसाद के आदेशानुसार श्री हाकिम राय, थानाध्यक्ष कोतवाली ने की थी।

तत्कालीन जिलाधिकारी बरेली, थानाध्यक्ष कोतवाली व क्षेत्र अधिकारी पुलिस को इन शिकायतों की जाँच के दौरान निलम्बित कर दिया गया है।

राज्य के विभिन्न विभागों में अपूर्ण सेवा पुस्तिकायें

*37---डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)---

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य के बहुत से विभागों के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें नियमित रूप से पूर्ण नहीं रक्खी जा रही हैं? फलस्वरूप उन्हें वेतन-वृद्धियाँ समयानुसार नहीं मिल पा रही हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उस प्रकार का कोई आदेश देगी कि सारे कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें अमुक अवधि के अन्दर पूर्ण कर लम्बित वेतन वृद्धियाँ दे दी जायं?

राम नरेश यादव---

प्रदेश के बड़े आकार, विभागों और कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए यद्यपि शासन-स्तर पर यह विशिष्ट जानकारी दुष्कर है कि किस विभाग में कितनी और किन-किन कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें नियमित रूप से पूर्ण नहीं रखी जा रही हैं, फिर भी शासन इस पहलू पर जागरूक है और कार्मिक विभाग (तत्कालीन नियुक्ति अनुभाग-4) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 6 जुलाई, 1973 द्वारा सेवा-पुस्तिका की प्रविष्टियों को सदैव आद्यावधि रखने तथा वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर, 1974 द्वारा कर्मचारियों के सेवाओं के सत्यापन के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र समय से (सितम्बर के अन्त तक) अनिवार्य रूप से दिए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं।

इस विषय पर पुनः सभी विभागाध्यक्ष प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह निदेश दिया जा रहा है कि दिनांक 31 अक्तूबर, 1977 तक सेवा-पुस्तिकाओं को आद्यावधिक करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। सेवा पुस्तिकाओं के आद्यावधिक होने की दशा में वेतन-वृद्धि नियमानुसार स्वतः प्राप्त हो सकेगी।

प्रेसाईडिंग आफिसर, श्री काशी नाथ कपूर, जनपद मेरठ को अवैध मतदान रोकने पर मारा-पीटा जाना तथा थाने में अंकित की गयी रिपोर्ट

*38---श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में किरथल, तहसील बागपत पीठासीन अधिकारी (श्री कपूर) को गत विधान सभा चुनाव में अवैध मतदान रोकने पर मारा पीटा गया और उसमें श्री कपूर की मृत्यु हो गई? रिपोर्ट क्या है और अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राम नरेश यादव---

जी हाँ। दिनांक 10 जून, 1977 को मेरठ जिले के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम किरथल के पोलिंग बूथ न0 32 के प्रेसाइडिंग आफिसर श्री काशी नाथ कपूर द्वारा एक व्यक्ति हीरा को बिना नाम पता बताए अनुचित ढंग से मतदान करने से मना करने पर उक्त व्यक्ति ने श्री कपूर पर डण्डे से प्रहार किया जिससे श्री कपूर घायल हो गये।

यह सही नहीं है कि इस मारपीट के फलस्वरूप श्री कपूर की मृत्यु हो गई। श्री कपूर का उपचार इस समय लखनऊ के मेडिकल कालेज में हो रहा है और उनकी स्थिति में अब काफी सुधार है।

घटना के सम्बन्ध में थाना छपरौली में मुकदमा अपराध संख्या 112 धारा 332/323 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत कायम किया गया तथा अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मामले की विवेचना विशेष अनुसन्धान शाखा, मेरठ द्वारा की जा रही है।

*39–40—श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

[30 अगस्त, 1977 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

अतारांकित प्रश्न

जनपद बरेली में आपातकाल में जनता पर हुए अत्याचार

1—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में आपात स्थिति के बीच जो अत्याचार जनता पर हुए हैं, उसका एक भी श्वेत-पत्र (ब्योरा) पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज, बरेली द्वारा मुख्य मन्त्री जी को हाल में दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या मुख्य मन्त्री जी ब्योरे को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही उन्होंने की?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ। श्वेत पत्र में जिला मैजिस्ट्रेट, बरेली तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कतिपय व्यक्तियों के साथ तरह-तरह के अमुनाषिक व्यवहार करने के आरोप लगाये गये हैं। श्वेत पत्र शाह जाँच आयोग भारत सरकार, नई दिल्ली के विचाराधीन भेज दिया गया है।

थाना जिमांपुर, जिला एटा के कांस्टेबिल क्लर्क, श्री बांके लाल की रिश्वत के मामले में गिरफ्तारी

2—श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख 30 जून, 1976 ई0 को थाना अमाँपुर, जिला एटा का हेड मोहर्रिर (श्री बाँके लाल) 200 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था? यदि हाँ, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ। दिनाँक 30 जून, 1976 को थोना अमाँपुर, एटा का तत्कालीन कान्सटेबिल क्लर्क (हेड मुहर्रिर नहीं) बाँकेलाल को 200 रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसके विरुद्ध थाना अमाँपुर पर ही अ0 सं0 101 धारा 161 भा0 दं0 वि0 तथा 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अभियोग अंकित किया गया।

मामले की विवेचना में, कई वैधानिक कमियाँ पाये जाने के कारण, विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसे जिला जज ने स्वीकार करते हुए यह मन्तव्य व्यक्त किया कि मामला न तो न्यायालय के योग्य है और न ही इसमें किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही बनती है। फलत: आगे कार्यवाही नहीं की गई।

आपातकाल में नसबन्दी अभियान के अन्तर्गत पुलिस द्वारा गोली काण्ड

3—श्री बाबू राम शुक्ल तथा श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति के दौरान नसबन्दी अभियान के सिलसिले में प्रदेश में कितने स्थानों पर कहाँ-कहाँ पुलिस ने गोली चलाई ? इन गोली काँडों में कितने लोग जान से मारे गए तथा मृत लोगों में कितने हरिजन एवं अल्पसंख्यक वर्ग के थे ?

श्री राम नरेश यादव—

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार आपात स्थिति के दौरान नसबन्दी अभियान के सिलसिले में प्रदेश के तीन जिलों, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ में पाँच अवसरों पर पुलिस ने गोली चलाई। इसके फलस्वरूप कुल 27 व्यक्ति जान से मारे गए जिनमें से 1 हरिजन, 21 अल्पसंख्यक वर्ग के तथा 5 अन्य थे।

इसके अतिरिक्त दिनाँक 31 अक्तूबर, 1976 को ग्राम दिलवारी, जिला बरेली में एक कान्स्टेबिल ने अपनी सुरक्षा के लिए दो हवाई फायर किए किन्तु इससे जनता का कोई व्यक्ति न तो मारा गया और न ही घायल हुआ।

आपातकाल में पुलिस गोला काण्ड में मृत व्यक्तियों की संख्या तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

4—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर) तथा श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपातकालीन स्थिति के दौरान किन-किन स्थानों पर जनता के विरोध के परिणाम स्वरूप गोली चलाई गई और उसमें कितनी-कितनी मौतें हुईं ?

श्री राम नरेश यादव—

आपातकालीन स्थिति के दौरान (दिनाँक 25-6-75 से 21-3-77 तक) जनता के विरोध के फलस्वरूप निम्नलिखित स्थानों पर गोली चलाई गई और गोली चलाये जाने से प्रत्येक स्थान के सामने अंकित व्यक्तियों की मृत्यु हुई :

(1)	जफराबाद रेलवे स्टेशन, जौनपुर ..	शून्य
(2)	थाना कटरा बाजार, गोंडा ..	शून्य
(3)	ग्राम सेसवापुर, सुल्तानपुर ..	शून्य
(4)	ग्राम रनकेडीह, सुल्तानपुर ..	9
(5)	ग्राम अमरोहा, मुरादाबाद ..	शून्य
(6)	ग्राम जुफेरा, बदायूं ..	1
(7)	मो0 खालापार, मो0 मुल्लूपुर व कस्बा कैराना, मुजफ्फरनगर	17
(8)	ग्राम गोपालपुर, गोरखपुर ..	1
(9)	ग्राम दिलवारी, बरेली ..	शून्य
(10)	ग्राम औरंगाबाद, बरेली ..	शून्य
(11)	ग्राम शंकरा, रामपुर ..	शून्य
(12)	ग्राम बिहार, प्रतापगढ़	1

5—श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री कृष्णा राय—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री उन सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे कि जिनके आदेश से जनता पर गोली चलाई गई ? यदि हाँ, तो वह कार्यवाही कब शुरू की जाएगी।

श्री राम नरेश यादव—

जाँच के उपरान्त जहाँ यह पाया जायगा कि गोली चलाना उचित व आवश्यक नहीं था वहाँ उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

कानपुर में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के प्रमुख सचिव, श्री आर० के० धवन की गिरफ्तारी

6—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि विगत 15 अगस्त, 1977 को कानपुर में भू०पू० प्रधान मन्त्री के प्रमुख सचिव (श्री आर० के० धवन) एवं उनके दूसरे साथी (श्री वासुदेवन) गिरफ्तार किए गए ? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप थे ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ।

चूंकि यह गिरफ्तारी स्पेशल ब्रांच सी० बी० आई०, नई दिल्ली द्वारा की गयी थी इसलिए राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई सूचना देने में असमर्थ है।

आपातकाल के मध्य राजनैतिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी

7—श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री कृष्णाराय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन स्थिति लागू रहने तक प्रदेश में कुल कितने राजनैतिक लोग गिरफ्तार किए गए और उनमें से अभी कितने लोगों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है ?

श्री राम नरेश यादव—

आपातकालीन स्थिति लागू रहने तक प्रदेश में कुल 1,383 राजनैतिक व्यक्ति "मीसा" के अन्तर्गत निरुद्ध किए गए थे तथा 11,804 व्यक्ति "डिसिर" के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए थे। आपातकालीन स्थिति समाप्त होने पर "मीसा" में निरुद्ध उपरोक्त सभी व्यक्ति अवमुक्त किये जा चुके हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार 'डिसिर' के अन्तर्गत गिरफ्तार उपरोक्त 11,804 व्यक्तियों में से 16 व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें वापस ले लिये गए हैं।

शासन ने अब यह आदेश जारी कर दिये हैं कि राजनैतिक प्रकृति के 'डिसिर' के सभी मामले वापस ले लिए जायं चाहे उनके साथ अन्य कानूनों के अन्तर्गत भी मुकदमे चल रहे हों।

बिसवां में मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय का स्थानान्तरण

8—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या न्याय तथा विधि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 जुलाई, 1977 को उनके बिसवाँ पधारने पर मन्त्री जी को बिसवाँ बार ऐसोशियेशन द्वारा मुंसिफ

कोर्ट ट्रान्सफर करने की बाबत आवेदन-पत्र दिया गया था और क्या सरकार इन अदालतों को ट्रान्सफर करने हेतु कोई फेज प्रोग्राम बना रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रोग्राम की रूपरेखा बताने की कृपा करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिह--

राज्य सरकार ने यह निर्णय तो किया है कि जहाँ आवश्यकता तथा कार्यभार व न्यायालय भवन और आवासिक भवन की उपलब्धता की दृष्टि से उचित हो, वहाँ मुंसिफ मजिस्ट्रेटों के न्यायालय उच्च न्यायालय के परामर्श से क्रमबद्ध योजना के अनुसार तहसील मुख्यालयों पर स्थापित अथवा स्थानान्तरित किये जायं। विसवां में उपयुक्त न्यायालय भवन के अभाव में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं हो सका।

पुलिस रेडियो विभाग, महानगर, लखनऊ में वायरलेस अपरेंटिस एवं वायरलेस सहायक आपरेटर के पद की नियुक्तियां

9--श्री मन्नू राम (जिला बलिया)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रेडियो विभाग, महानगर, लखनऊ में अब तक कुल कितनी भर्तियाँ वायरलेस-अपरेन्टिस एवं वायरलेस आपरेटर की हुई हैं ? और क्या इसमें अनुसूचित जाति के कोटे की पूर्ति नियमानुसार है ?

श्री राम नरेश यादव--

पुलिस रेडियो शाखा में मूल भर्ती अप्रेंटिस आपरेटर के रूप में की जाती है। तथा प्रशिक्षण के पश्चात् उनको सहायक आपरेटर के पद पर नियुक्त किया जाता है। फरवरी, 1977 से प्रशिक्षण पा रहे अपरेंटिस आपरेटरों तथा सहायक आपरेटरों की संख्या क्रमश : 166 तथा 593 है अर्थात् इनकी कुल संख्या 759 है जिसमें 181 कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं। इस प्रकार अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व 23.8 प्रतिशत है जो निर्धारित कोटे से अधिक है।

10--श्री पुरुषोतम कौशिक--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

प्रदेश में मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति

11--श्री राजेन्द्र कुमार--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 31 जुलाई, 1977 को प्रदेश में मीसा के अधीन कितने व्यक्ति नजरबन्द थे ?

श्री राम नरेश यादव--

दिनाँक 31 जुलाई, 1977 को मीसा के अन्तर्गत कोई व्यक्ति प्रदेश में निरुद्ध नहीं था।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्वीकृत रोप वेज योजना

12--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में पर्वतीय क्षेत्र में रोप-वेज लगाने की कोई योजना थी ? यदि हाँ, तो उसके लिए कितनी धनराशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई और निर्माण कार्य में अब तक कितना व्यय हुआ है ?

श्री शोबन सिंह जीना—

मन्त्रि-परिषद् की गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मन्डल की मन्डलीय समितियों ने यह निर्णय लिया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में फल, आलू, सब्जी आदि के परिवहन एवं ढुलान के लिए रोप-वेज का निर्माण किया जाय। उक्त निर्णय के अनुपालन में पर्वतीय क्षेत्रों में रोप-वेज के निर्माण के निमित्त गत वर्ष की एक योजना बनाई गई जिसके अनुसार गढ़वाल एवं कुमायूं मन्डल विकास निगमों के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी (भारत सरकार का प्रतिष्ठान) के द्वारा रोप-वेज का निर्माण होना है। उक्त दोनों निगमों को शासन द्वारा इस कार्य हेतु दो करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है। रोप-वेज के निर्माण की दिशा में दोनों निगमों द्वारा जुलाई, 1977 तक लगभग 93,39,900 रुपए की प्रारम्भिक राशि व्यय की जा चुकी थी।

पर्वतीय विकास विभाग द्वारा मासिक पत्रिकाओं का सम्पादन तथा छपाई का कार्य

*13—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्वतीय विकास विभाग में गत वर्ष दिल्ली की किसी प्राइवेट फर्म का विभागीय पर्वतीय नामक पत्रिका की छपाई का कार्य दिया था और उसे 8 हजार रुपए की मानदेय के रूप में भुगतान भी किया गया है ? यदि हाँ, तो उसका क्या औचित्य था !

श्री शोबन सिंह जीना—

गत वर्ष 8,000 रुपए की विशिष्ट धनराशि का मानदेय के रूप में तो कोई भुगतान नहीं किया गया था पर गत वर्ष "हिल एरियाज न्यूज लैटर" तथा "पर्वतांचल समाचार" नामक मासिक पत्रिकाओं का सम्पादन एवं छपाई का कार्य इगाडा द्वारा कन्सीलियम प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली नामक फर्म से कराया गया। इस पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य यह था कि अन्य पर्वतीय राज्यों तथा विदेश में भी इस प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति व समस्याओं के बारे में ज्ञान बढ़े व रुचि जागृत हो।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो द्वारा संकलित किए गए वित्तीय आंकड़े

14—श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो द्वारा किस वर्ष तक सामूहिक वित्तीय आँकड़े तैयार किए जा चुके हैं। आँकड़ों के अनुसार कितना धन पूंजी एवं ऋण के रूप में विनियोजित किया है। शासन की कुल क्या उपलब्धि रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो द्वारा राज्य में स्थापित सार्वजनिक उद्योगों के वित्तीय वर्ष 1975-76 के अन्त तक के वित्तीय आँकड़े संकलित किए जा चुके हैं। इनके अनुसार शासन द्वारा इन सार्वजनिक उद्योगों में अंश पूजी के रूप में कुल 98.50 करोड़ तथा ऋण के रूप में 1142.01 करोड़ रुपया विनियोजित था। उक्त संकलन में उत्तर प्रदेश जल निगम के आँकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि इस निगम की वार्षिक रिपोर्ट तथा हानि-लाभ लेखा ब्यूरो में प्राप्त नहीं हुए थे।

उक्त वर्ष में ब्याज तथा लाभ के रूप मे शासन को कुल 13.52 करोड़ रुपए की उपलब्धि हुई ?

प्रदेश के हरिजन जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों का दूसरे पदों पर स्थानान्तरण

15—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश मेंमाह जून, जुलाई, 1977 में कितने हरिजन जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को उनके पदों से हटाकर दूसरे पदों पर लगाया गया। उनके हटाने के क्या कारण थें?—

श्री राम नरेश यादव—

प्रदेश में माह जून, जुलाई 1977 में 3 हरिजन जिलाधिकारियों एवं 2 पुलिस अधीक्षकों को दूसरे पदों पर जनहित में स्थानान्तरित किया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। शिया-सुन्नी के मामले में आज लखनऊ में हड़ताल है ....

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें (श्री बर्क के खड़े रहने और कुछ कहने पर) आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं बनेगा। आप बठें आप अव्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था के प्रश्न को देकर व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा करते हैं यह उचित नहीं है।

पूर्वोत्तर रेलवे, कानपुर तथा फर्रुखाबाद क्षेत्र में पीने के पानी में प्राणघातक कीटाणुओं के होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से यह रोमांचकारी तथ्य प्रकाश में आया है कि पूर्वोत्तर रेलवे के कानपुर और फर्रुखाबाद परिक्षेत्र में पीने के प्रयोग में आने वाले पानी के एक बूंद में 425 से लेकर 1800 तक मान व मलमूत्र में पाए जाने वाले प्राण घातक कीटाणु हैं। इस प्रकार रेलवे प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश के नागरिक यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ भीषण खिलवाड़ किया जा रहा है। सर्वेक्षण इसलिए विश्वसनीय है कि यह उक्त मेडिकल कालेज के सामाजिक एवं निरोधात्मक औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया है।

जाँच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्टेशनों पर स्थित नलकूपों और हाथ के नलों के पानी में भी इन कीटाणुओं का पाया जाना अत्यन्त भयावह स्थिति उत्पन्न करता है। क्योंकि इस पानी को किसी भी रूप में कीटाणु रहित किया जाना बड़ा दुर्लभ है। इस पानी में ऐसे कीटाणुओं के मौजूद होने की भी पुष्टि की गई है जिससे कि घाव में जहरबाद, मूत्राशय में घातक रोडा और गैस्ट्रोइनटाइटिस जैसे रोग फैलने में सहायक सिद्ध होते है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

पानी का उपयोग उत्तर प्रदेश के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। इससे प्रदेश में भीषण संकट है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अविलम्ब रेलवे प्रशासन से सम्पर्क करके यह प्राण घातक दुर्व्यवस्था ठीक कराने का प्रयास करने की कृपा करें।

नगरमहापालिका, कानपुर द्वारा कलक्टरगंज क्षेत्र के अस्थायी परमिट होल्डरों को नग महापालिका की भूमि खाली कराने के आदेश के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्य प्रहर में निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नगर महापालिका, कानपुर की ओर से कलक्टरगंज स्थित गल्ला बाजार के लगभग 450 अस्थायी परमिट होल्डर्स को नोटिस देकर एक सप्ताह के अन्दर नगर महापालिका की भूमि खाली करने का आदेश दिया गया है। आदेश का पालन न होने पर दूकानदारों से जबरदस्ती भूमि खाली करा लेने की भी धमकी दी गई है। नगर महापालिका द्वारा दिए गए नोटिस से कलक्टरगंज क्षेत्र के 450 दुकानदारों जिनमें अनाज, गुड़, मूंगफली, परचून आदि बेचने वाले छोटे दुकानदार सम्मिलित हैं, की रोजी खतरे में पड़ गई है इन दुकानदारों का दोष केवल इतना है कि इन्होंने नगरमहापालिका द्वारा बढ़ाई गई परमिट फीस के विरुद्ध सरकार को प्रतिवेदन दिया है। इन परमिट होल्डर्स की फीस 18 रुपया प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष से बढ़ाकर 48 रुपया प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष कर दी गई है जिसका नियमित भुगतान करना इन छोटे दुकानदारों की सीमा के परे है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नोटिस में दिए गए एक सप्ताह का समय आज पूर्ण हो रहा है। अत: यदि सरकार ने तुरन्त हस्तक्षेप कर नगरमहापालिका, कानपुर को अग्रिम कार्यवाही करने से न रोका तो कलक्टरगंज क्षेत्र के 450 दुकानदारों के परिवार भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से शासन को आगाह कर देना चाहता हूं कि यदि उक्त दुकानें महापालिका द्वारा जबरदस्ती तोड़ी गई तो न केवल जनता में असन्तोष व्याप्त होगा, वरन शान्ति व्यवस्था को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

पं० करुणापति त्रिपाठी, कुलपति, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के हटाए जाने तथा छात्रों की अन्य मांगों को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में विश्वविद्यालय क्षात्र संघ के तत्वावधान में विश्वविद्यालय के कुलपति पं0 करुणापति त्रिपाठी को तत्काल हटाने की माँग को लेकर क्षात्रों द्वारा 16 सितम्बर, 1977

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से चलाए जा रहे क्रमिक अनशन तथा दिनाँक 25 सितम्बर, 1977 से आमरण अनशन के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। साथ ही वहाँ के कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तावित 2 अक्तूबर, 1977 से सामूहिक हड़ताल के सम्बन्ध में भी। क्योंकि यदि शासन ने उस दिशा में तत्काल ध्यान नहीं दिया तो अशान्ति का वातावरण वाराणसी में ही नहीं उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में फैल सकता है। अनशनकारी छात्रों की निम्नलिखित माँगें हैं :—

(1) संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के कुलपति, पं0 करुणापति त्रिपाठी जिन्होंने, क्षात्रों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों पर आपातकाल में अनेक जुल्म ढाए हैं, जिनका विवरण शासन के पास कई बार भेजा जा चुका है। उन्हें तत्काल, निलम्बित करके विश्वविद्यालय पर जाँच बैठायी जाए।

(2) सम्पत्ति अधिकारी, श्री बालेश्वर सिंह को जिन्हें 8 किलो चांदी की ठोस सरस्वती प्रतिमा चोरी करने के आरोप में शासन नें निलम्बित किया है, उन्हें मुकदमा चलाकर दन्डित किया जाए।

(3) पं0 करुणापति के मान्य दामाद घनश्याम उपाध्याय, जिन्हें शासन द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रेस-विभाग से हटाया गया था परन्तु अब भी त्रिपाठी जी की कृपा से प्रेस में ही कार्यरत हैं। उन्हें तत्काल निष्कासित किया जाय तथा उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों की तत्काल जांच की जाए।

(4) छात्र संघ एवं कर्मचारी संघ के वर्तमान अध्यक्ष, श्री कुंज बिहारी शर्मा को दिनांक 21 सितम्बर, 1977 को रात 10 बजे विश्वविद्यालय के कुल सचिव, श्री विशम्भरनाथ त्रिपाठी के इशारे पर जिन गुण्डों ने आक्रमण किया, उसकी जांच करायी जाए।

(5) संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम पूर्ववत वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय घोषित किया जाय तथा स्व0 श्रद्धेय डा0 सम्पूर्णानन्द जी की प्रतिमा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगा दी जाए।

अत : मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि कुलपति पं0 करुणापति त्रिपाठी को तत्काल निलम्बित करे तथा छात्रों एवं कर्मचारियों की मांगों को तत्काल पूरा करे वरना सारे प्रदेश में आन्दोलन की लहर फैल जाएगी।

फिरोजाबाद नगर में बिजली सप्लाई के बन्द होने से जनता तथा उद्योग मजदूरों में असन्तोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि दिनांक 22 सितम्बर, 1977 से फिरोजाबाद नगर की बिजली सप्लाई अचानक ही सुबह 7 बजे से दिन के 12 बजे तक काट दी गई है जिसका नतीजा यह हुआ है कि नागरिकों को नलों से पानी मिलना बन्द हो गया है और लोग प्यास से तड़प रहे हैं। यही नहीं फिरोजाबाद नगर के समस्त चूड़ी व कांच के प्रतिष्ठान चूड़ी के गोदाम,

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

आटे की चक्की, चूड़ी कटाई की फैक्ट्रियां अदि सभी बन्द हो गई हैं, जिससे फिरोजाबाद के लगभग एक लाख मजदूर बेकार हो गए हैं और फिरोजाबाद का सम्पूर्ण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मान्यवर, फिरोजाबाद में बिजली की इस कटौती से पानी रोटी और रोजी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं क्रोध व्याप्त हो गया है और जनता सरकार की तस्वीर को खतरा पैदा हो गया है।

मान्यवर, नागरिकों ने जब इस कटौती की जानकारी की तो अधिकारियों ने बताया कि यह कटौती सरकार के आकस्मिक इमरजेन्सी के आदेश से की गई है।

अस्तु, सदन से मांग करता हूं कि फिरोजाबाद के नागरिकों को पानी की प्यास से बचाने और रोटी रोजी की बेकारी से बचाने हेतु इस बिजली की कटौती को समाप्त कराने के और बिजली सप्लाई 24 घंटे करा पाने के सरकार आदेश दे, ताकि नागरिकों की बेचैनी समाप्त हो।

बांदा में हरिजनों की हत्या व सवर्ण द्वारा सताए जाने तथा पुलिस की लापरवाही के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रामसजीवन (जिला बांदा)—

बांदा जिले में बांदा कोतवाली के अन्तर्गत गांव मवई में दिनांक 2 सितम्बर, 1977 को दो हरिजनों दीन दयाल व सियाराम की निरीह हत्या कर दी गयी तथा तीन अन्य को घायल कर दिया गया। घायल हरिजन दुर्गा ने शिकायत की है कि उसने जो बयान दिया था, उसे रपट में नहीं लिखी गयी। पुलिस असली मुलजिमों को बचा रही है। उसने अपनी जान का खतरा बताया है।

राजापुर थाने में गांव खोपा के तीन हरिजनों सुकरू पुत्र केवल, सुद्दीवा व राम बरन की हत्या थाना पच्छिम सरीरा, जिला इलाहाबाद में दिनांक 21 सितम्बर, 1977 को कर दी गयी। खोपा गाँव के इन हरिजनों ने गांव के पुराने जमींदारों ठाकुरों के यहां बंधुआ मजदूरी करने, बेगार करने एवं फर्जी पुराने कर्ज देने से इन्कार कर दिया था। इन हरिजनों ने उनके विरूद्ध दिनांक 28 जुलाई, 1974 एवं 4 अगस्त, 1974 को रपटें लिखायीं थीं तथा बांदा, इलाहाबाद एवं फतेहपुर के एस0पी0 तथा डी0आई0जी0 हरिजन सेल को दिनाँक 19 नवम्बर, 1974 को प्रार्थना-पत्र दे कर अपनी जान का खतरा बताया था।

गांव मदेदू थाना राजापुर की हरिजन महिला शिवकलिया ने दिनांक 16 सितम्बर, 1977 को रपट लिखा कर शिकायत की है कि उसकी 6 बीघा फसल को मवेशियों से चराकर उजाड़ दिया गया है। गांव भगनपुर, थाना करवी के हरिजनों ने दिनांक 24 सितम्बर, 1977 को एस0पी0 व जिलाधिकारी, बांदा से शिकायत की है कि उनकी जमीनों को जबरदस्ती छीन लिया गया है। वीर धुमाई सुकीं थाना कमासिन के एक हरिजन को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाठियों से मारा गया और जमीन छीन ली गयी। थाना राजापुर में गंगा पुरवा के समीप एक धोबी हरिजन की पिटाई की गयी और सिर फोड़ दिया गया। गांव-चौरा, थाना पहाड़ी के एक धोबी हरिजन के दरवाजे के सामने चबूतरे, चरही, खूंटा आदि नष्ट कर दिया गया और सहन रोक दिया गया।

गाँव भदेदू थाना राजापुर के तीन हरिजनों को उत्पीड़ित करके गांव से खदेड़ कर दूसरे गांव में भगा दिया गया। भदेदू के ही 4 हरिजनों चुन्ना, पुत्र रामनाथ कुअरवा श्रीकिशन आदि को फतेहपुर जिले के चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट की अदालत के फर्जी वारन्ट पर 14 अगस्त, 1977 को गिरफ्तार किया गया और छोड़ दिया गया। कोतवाली फतेहपुर में इस मामले को लेकर धारा 420 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत स्टेट बनाम अद्दात मुक्दमा कायम किया गया। हरिजनों का कहना है कि गांव के ही ठाकुरों ने उनके गांव के एक सिपाही ने फर्जी वारन्ट गिरफ्तारी की साजिश की थी उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरघुआ ग्राम में हरिजनों की जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद डी0 आई0 जी0, झांसी ने राजापुर को आदर्श थाना घोषित किया है।

अत : हरिजनों पर होने वाले ऐसे अत्याचारों की सूचना देते हुए माननीय सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अविलम्ब राहत दिए जाने की मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें आपसे निवेदन है कि वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं।

कृषि मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय रियासत हुसैन ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है कि दिनांक 26 सितम्बर, 1977 की कार्य-सूची के नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या 7 के सम्बन्ध में जब उन्होंने माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से एक अनुपूरक प्रश्न किया तो माननीय कृषि मन्त्री ने जवाब दिया कि शासन के भूतपूर्व कृषि अधिकारी, हरदोई श्री आत्मा राम के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता है, परन्तु प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने ही इस अधिकारी की प्रशंसा का एक पत्र शासन को लिखा है जो उनके पास है और जिसकी वजह से उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है। माननीय श्री रियासत हुसैन का कहना है कि माननीय मन्त्री जी के इस कथन से सदन के समस्त सदस्यों पर यह असर पड़ा है कि उस भ्रष्ट अधिकारी की वे रक्षा कर रहे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है। माननीय श्री रियासत हुसैन ने आगे अपनी सूचना में कहा है कि उन्होंने तुरन्त सदन में कहा कि हो सकता है कि उनके नाम से कोई जाली पत्र लिखा गया हो इसलिए इसकी जांच करा ली जाय। इस पर माननीय मन्त्री जी ने उस पत्र का कुछ भाग सदन में पढ़कर सुनाया और कहा कि यह पत्र श्री मंजूर अहमद का है जो दिसम्बर, 1974 में लिखा गया है। माननीय श्री रियासत हुसैन का कहना है कि माननीय कृषि मन्त्री

[श्री अध्यक्ष]

ने उस पत्र के साथ जान बूझकर उनके नाम को जोड़ा और सदन को गुमराह किया और इस प्रकार उन्होंने सदन तथा उनका अवमान किया।

माननीय कृषि मन्त्री जी ने तुरन्त ही इस पर अपना खेद प्रकट कर दिया था कि उनका नाम उन्होंने अनजाने में ले लिया है। इसलिए कोई विशेषाधिकार का प्रश्न बनता नहीं है। माननीय कृषि मन्त्री जी ने स्वयं खेद प्रकट कर दिया है, इसलिए इस पर कोई और कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

एक सूचना चाहता हूं कि जो खेद प्रकट किया है वह किस भाषा में है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि 'आई एम वेरी सारी, गलती हुई'।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मन्त्री जी से इसकी हिन्दी करवा दी जाए।

श्री अध्यक्ष—

यह मामला समाप्त हुआ, उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है।

प्रश्नोत्तर काल में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मुख्य मन्त्री की टिप्पणी पर श्री नारायण दत्त तवारी की आपत्ति

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, आज 12 बजे के पहले, जो प्रश्नोत्तर के सिलसिले में जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो टिप्पणी दी उससे मेरे पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता था, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि विशेषाधिकार के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में हो, सदन के सामने पूरे तथ्य आ जाने चाहिए। मैं विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहता। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बड़ी सावधानी से उत्तर देने की कोशिश की, कोई निर्णय राजनैतिक आधार पर नही होना चाहिए जो तथ्य सामर आते हैं उन पर निर्णय करना पड़ेगा। आप पत्रावली को देख लें और फिर आप तय कर लेना।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उपस्थित किया है माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से, उप मन्त्री जी ने रिपोर्ट पढ़कर बतलायी और वह तो थोड़ी हंसी में इतना कह गए कि आपने मीसा के अन्तर्गत बन्द कर दिया। "आप का" मतलब सरकार से है। स्वयं इस प्रश्न की मुझे भी जानकारी है। जब श्री तेज सिंह बन्द हुए तो मैंने एक पत्र उसी समय प्रधान मन्त्री को लिखा, माननीय तत्कालीन गृह मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री जी को लिखा था और तत्कालीन गृह मन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी से साक्षात्कार भी किया था। गृह मन्त्री और प्रधान मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री से यह माँग की थी कि श्री तेज सिंह पर मुकदमा चलाया जाए न कि उनको मीसा के अन्तर्गत बन्द किया जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और तत्कालीन राज्य मन्त्री, श्री ओम मेहता जी से भी मैंने भेंट की। उन्होंने कहा कि हम इसकी जाँच करा रहे हैं और श्री तेज सिंह को मैंने जब राजस्थान जेल में पत्र लिखा, उसका उत्तर उन्होंने मुझे दिया था जिसमें उन्होंने कहा सुन्दर ने अपने बयान के अन्दर यह कहा कि तेज सिंह जी उनसे बुलन्दशहर में जो ग्राम शर्कपुर है, उसके नहर के डाक बंगले पर मिले और उन से यह कहा कि मैं तुम को मदद करूंगा, तुम मुझसे पुन : मिली। एक हफ्ते के बाद सुन्दर ने अपने बयान में यह कहा, "श्री तेज सिंह मुझको लेकर आए और श्री सी0 बी0 गुप्त से मिले और सी0बी0 गुप्त ने यह कहा, "यदि तुम प्रधान मन्त्री का वध करा दो तो मैं तुझको विदेश में भेज दूंगा।" तो श्री तेज सिंह ने जब उससे तर्क किया, "मेरी सुनो। सी0 बी0 गुप्त का कद कैसा है ? उनका कद बड़ा लम्बा है," यह सुन्दर ने कहा। यह वहाँ के जो तत्कालीन अधिकारी थे, उन्होंने गलत समझा। उसके बाद उनको बुलन्दशहर में भेजा। मैंने भेंट भी की और जाँच के बाद यह पाया गया कि सुन्दर से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। इस प्रश्न का कोई राजनैतिक महत्व नहीं है लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने जो यहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया, इसमें कोई गलत बयानी नहीं है। माननीय उप मन्त्री जी ने इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट पढ़ दी। यह तो आप समझते हैं कि थोड़ा हास्य व्यंग भी होता है। माननीय मुख्य मन्त्री ने जो व्यंग में कहा, "आपने जो अन्याय किया, उसको भी हमने बतला दिया"। इससे जो उनके विरोधी मीसा में बन्द किये गये। आपको मालूम क्या है ? मैं मानता हूं और यह सही है। मैं उस वक्त अपने यहाँ के गृह सचिव से मिला था। यहाँ की सरकार का बन्दी बनाने का कोई आदेश नहीं था बल्कि यह आदेश केन्द्रीय सरकार का था। इस प्रकार की सूचना है। तो इसलिए इस सम्बन्ध मे (शोर) .....

आप लोग सुनिए। इस सम्बन्ध में जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न अब सम्भव नहीं है।

श्री जय राम (जिला गाजीपुर)—

एक महत्वपूर्ण बात यह भी ....

श्री अध्यक्ष—

आप नियमानुसार बोलें। आप बैठ जाने का कष्ट करें। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप बैठिए। अब कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

एक सदस्य—

मान्यवर, यह विशेषाधिकार का प्रश्न है.....

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती के राज्य विद्युत परिषद के निर्णय के सम्बन्ध में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचना पर विद्युत मन्त्री का उत्तर

*विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)—

मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक बिजली पहुंचाने का वर्तमान सरकार ने आते ही प्रयास किया है परिणामतया पिछली सरकार के दिनों में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

इन ग्रामीण अंचलों में 3 घंटे भी बिजली नहीं दी जाती थी। वहां मन्त्रि-परिषद् ने कम से कम 7 घंटे प्रतिदिन बिजली देने का फैसला अपनी प्रथम बैठक में ले लिया था बाद में किसानों की बुवाई तथा जड़हन की रोपाई की आवश्यकता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिये गए। सामान्यतया जुलाई, अगस्त और 15 सितम्बर तक पूरे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में औसतन 18 से 20 घन्टे बिजली की आपूर्ति रही है। कुछ दिनों के लिए यह औसत 24 घंटे रहा है। बीच-बीच में मशीनों में खराबी आ जाने के कारण गाँवों में बिजली आपूर्ति 24 घंटे की जगह कम रही है। वर्तमान सरकार ने इस बीच में उद्योगों को भी पर्याप्त मात्रा में बिजली देने का प्रयास किया और परिणामतया प्रदेश के अन्दर स्थापित सभी रोलिंग मिलों तथा री-रोलिंग मिलों, आर्क फरनेसेज में से एक को छोड़कर अन्य सभी आर्क फरनसेज को बिजली आपूर्ति की गई तथा फर्टिलाइजर तथा सीमेंट कारखानों में 50 प्रतिशत की कटौती को समाप्त कर दिया गया। विद्युत् परिषद् द्वारा ग्रामीण अंचलों में सिंचाई के लिए काफी मात्रा में विद्युत् के नए कनेक्शन इन तीन माह के अन्दर दिए गए हैं और लघु उद्योगों को भी, जिनके अनुबन्ध हो गये थे और जिनकी संख्या लगभग 8,000 है, उन्हें भी कनेक्शन देने के निर्देश जारी कर दिये गये। इस तरह 300....

(सदन में शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में बातें करना बन्द करें जिससे कार्यवाही आप सुन सकें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, हमें इस वक्तव्य की प्रतिलिपि नहीं मिली है। यह हमें मिलनी चाहिए, हमेशा वक्तव्य की एक प्रतिलिपि मिलती थी ?

श्री अध्यक्ष--

जिनको नहीं मिली है, बाद में ले लें। शून्य प्रहर के उत्तर की प्रतिलिपि देना आवश्यक नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, जब वक्तव्य की प्रतिलिपि नहीं मिल रही है, तो मन्त्री जी के वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

इस वक्तव्य की प्रतिलिपि दे दी गई थी ? सब माननीय सदस्यों को वितरित करने का आदेश नहीं था।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, इसमें आप व्यवस्था कर दें, प्रतिलिपि भी नहीं मिली और वक्तव्य भी सुनाई नहीं पड़ता।

श्री अध्यक्ष—

शून्य प्रहर में केवल उत्तर देने का निर्देश दिया था। इस पर कोई स्पष्टीकरण या अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। यदि आप लोग मन्त्री जी को सुनना नहीं चाहते हैं तो इस को पढ़ा हुआ मान लिया जाय? शून्य प्रहर में सूचनाओं के जो उत्तर होते हैं, उनकी प्रतिलिपियां माननीय सदस्यों को नहीं भेजी जाती हैं। इसके बावजूद भी जितनी साइक्लोस्टाइल्ड कापीज थीं, वे वहाँ पर रख दी गई थीं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, इसकी प्रतिलिपि माननीय नेता विरोधी दल को भी नहीं मिली, यदि उनको भी मिली होती तो मैं भी देख लेता।

श्री अध्यक्ष—

इन्हें उत्तर पढ़ लेने दें, बाद में आपको कापी भेज दी जायगी, यदि नहीं मिली है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मैं माननीय विद्युत् मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 22 सितम्बर, 1976 के बाद ग्रामीण अंचलों में कितनी बिजली मिल रही है?

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह शून्य प्रहर में आपका प्रश्न था। यदि आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना आवश्यक समझें तो माननीय मन्त्री जी के उत्तर पर ध्यान दें। इस पर कोई स्पष्टीकरण या अनुपूरक प्रश्न नहीं कर सकते हैं। यदि आप कोई विशेष जानकारी करना चाहते हैं तो माननीय मन्त्री जी से मिल कर प्राप्त कर लें?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

अगर आप उत्तर सुनना चाहते हैं तो कृपया बैठ जायं?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, बिजली कभी भी समय पर नहीं आई, उस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष—

यदि माननीय सदस्य उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वे इसको समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, यह वक्तव्य जो मैं पढ़ रहा हूं उसके सिलसिले में मैंने कहा था कि 8,000 नए कनेक्शन्स इन सब उद्योगों को दिए गए और 300 अश्व शक्ति के अनुबन्ध मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए जो पिछली सरकार की अदूरदर्शी नीति के कारण जिन्हें बिजली सुलभ नहीं हो पायी थी, उन्हें भी बिजली सुलभ कराने के निर्देश दे दिए गए हैं।

[श्री रवीन्द्र किशोरशाही]

इसी बीच विद्युत् परिषद् के सभी ताप विद्युत् घरों को आवश्यक मरम्मत के लिए निर्देश दे दिए गए क्योंकि बरसात को देखत हुए बिजली की खपत में कमी की सम्भावना थी और आगे के महीनों में रबी की बुआई, चीनी मिलों में गन्नों की पिराई तथा खांडसारी तथा अन्य उद्योगों की आश्यकता को देखते हुए इन ताप विद्युत् घ्र की मशीनों को वाँछित मरम्मत कराकर सही हालत में रखना अनिवार्य हो गया था। इसी कारण इन दिनों ओबरा तथा हरदुआगंज मशीनों की वाँछित मरम्मत की जा रही है। दुर्भाग्यवश 22 तारीख को हरदुआगंज की दो मशीनों में जिनकी उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट की है खराबी आने के कारण वन्द करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में गाँवों में बिजली की आपूर्ति में रोस्टरिंग करने के लिए निर्णय लेना पड़ा। इस रोस्टरिंग के अनुसार गाँवों में बिजली की आपूर्ति में 24 घंटे में से 9 खंटे घंटा दिए गए हैं और गाँवों में केवल 15 घंटे बिजली दी जा रही थी परन्तु सूखे की भयंकर स्थिति को देखते हुए विद्युत् परिषद् ने युद्ध स्तर पर इस का मुकाबला करन का निर्णय लिया है और पुन : गाँवों मेंसूखे की स्थिति बने रहने तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश कल से निर्गत कर दिए गए हैं। ओबरा ताप विद्युत् घर में एक मशीन 50 मेगावाट की जो पिछले अक्तूबर माह में पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई थी, का फरवरी माह तक कार्य पर आ जाने की सम्भावना है। इसी तरह हरदुआगंज की दो मशीनें जो 22 तारीख से खराब थीं, पुन : चालू कर दी गई हैं। शेष दो मशीनें जो वार्षिक मरम्मत में हैं उनको भी अक्तूबर माह में पुनः पूरी क्षमता से चालू हो जाने की सम्भावना है।

छिन्नो की मशीन जो मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण खराब है,उसे भी अक्तूबर के अन्त तक चालू कर देने की सम्भावना है। रिहन्द का जल स्तर 866.4 है। उसे रबी की फसल के दिनों में पूरी क्षमता पर चलाए जाने के लिए उसमें अधिक से अधिक पानी सुरक्षित रखने के लिए निर्णय लिया गया है। फिर भी वर्तमान सूखे से युद्ध स्तर पर निपटने का फैसला विद्युत् परिषद् ने किया है और सूखा बने रहन तक गाँवों में बराबर बिजली मिलती रहे इसका भरसक प्रयत्न किया जायगा। जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति का प्रश्न है, निकट भविष्य में उसमें कोई कटौती नहीं की जा रही है। अत: उद्योगों के अस्त-व्यस्त होने की कोई सम्भावना का प्रश्न नहीं उठता। बल्कि इसके विपरीत शीघ्र ही काफी पैमाने पर 20 अश्व शक्ति के नए कनेक्शन देने का तथा क्रशर और चावल मिलों को बिजली आपूर्ति करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है।

संक्षेप में विद्युत् आपूर्ति की स्थिति सामान्यतया सन्तोषजनक है और निकट भविष्य में किसी प्रकार का संकट नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मेरा आपसे आग्रह यह है कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है बिजली कटौती का। इसको नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य मान लिया जाय और इस पर प्रश्नों के लिए समय निर्धारित कर दीजिए। 10 घंटे कटौती का सारे प्रदेश का प्रश्न है। 51 मे दिया हुआ मान लें। कल या आज प्रश्न पूछने के लिए समय निर्धारित कर दें, आप।

श्री अध्यक्ष—

यह तो बाद में विचार किया जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली के नियम 103 के अन्तर्गत माननीय विद्युत् मन्त्री के वक्तव्य पर सदन में चर्चा उठाने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। जब तक कार्य-मन्त्रणा समिति में इस पर विचार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज बजट है और 301 में जिसका आपने हवाला दिया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

नियम 103 में मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस वक्तव्य पर सदन में चर्चा करने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह 103 में आता नहीं है। इसमें है संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किए गए प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप अनुमति नहीं देंगे, चर्चा नहीं होगी, यह बात ठीक है।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह के प्रश्न बिना सूचना के नहीं आया करते हैं। मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

लिखित दे दूंगा।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

एक मैंने दिया था उसका आपने कोई पता नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

उसको स्वीकार नहीं किया मैंने।

(व्यवधान)

(श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी के खड़े होकर कुछ कहने पर।)

अब इसका अवसर नहीं है, आप बैठिए।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[× × ×]

अध्यक्ष—

यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

यह बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मैं आपसे पुन: कहना चाहता हूं कि इस तरह सदन की कार्यवाही चलना असम्भव है। श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी ने जिस तरीके से इस प्रश्न को उठाया मेरे कक्ष में वह मुझसे मिल चुके हैं मैंने उसको अस्वीकार कर दिया। नियम 301 में कहीं उस प्रकार का नहीं है कि तमाम प्रदेश की स्थिति के बारे में चर्चा हो। और फिर सदन में इस प्रकार बिना अनुमति के उसे उठाना इससे सदन का समय नष्ट होता है। इसलिए मैंने इसे प्रोसीडिंग से निकाल दिया है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षा के आवेदन-पत्रों में अंग्रेजी प्रयोग सम्बन्धी निर्देश के सम्बन्ध में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचना पर शिक्षा उप मन्त्री का उत्तर

शिक्षा उप मन्त्री (श्रीमती मालती शर्मा)—

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा इस वर्ष 1978 की हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा आवेदन-पत्र का फार्म संस्थागत तथा व्यक्तिगत सभी परीक्षार्थियों के लिए हिन्दी में ही रखा गया है और वे हिन्दी में ही भरे जावेंगे। किन्तु केवल हाई स्कूल परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ एक डाटाशीट (विवरण पत्र) का पृष्ठ भी संलग्न किया गया है जिसमें केवल परीक्षार्थी का नाम तथा उसके पिता का नाम अंग्रेजी अक्षरों में भरे जायेंगे तथा अन्य प्रविष्टियां अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में, संकेतों में अर्थात् सही के निशान लगाकर तथा हिन्दी में भरे जाने हैं। इस डाटा शीट अर्थात् विवरण-पत्र के स्तम्भ हिन्दी भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित है परन्तु प्रविष्टियों की पूर्ति के समस्त निर्देश हिन्दी भाषा में ही मुद्रित हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने उपरोक्त डाटा शीट हाई स्कूल परीक्षा के आवेदन पत्रों के साथ इस उद्देश्य से लगाया है कि वर्ष 1978 का हाई स्कूल परीक्षा का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से कराने पर वह विचार कर रही है और इस दिशा में प्रथम चरण के रूप में यह डाटा शीट भरवा रही है। नवीन डाटा शीट को उचित रूप से भरने के लिए संस्थाओं को न केवल परिषद् से विस्तृत निर्देश ही निर्गत किये गये हैं अपितु उनके भरने के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों तथा प्रत्येक संस्था से परीक्षा कार्य करने वाले दो वरिष्ठ अध्यापकों को पूर्ण प्रशिक्षण जनपद स्तर पर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 1977 की हाई स्कूल परीक्षा का कार्य

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सम्बन्धी निर्देश के सम्बन्ध में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचना पर
शिक्षा उप मन्त्री का उत्तर

इलाहाबाद एवं मेरठ मन्डल के समस्त जनपदों के सम्बन्ध में कम्प्यूटर द्वारा कराया गया था।

हाई स्कूल परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ उपरोक्त डाटा शीट लगाकर उसमें कुछ थोड़ी सी सूचनायें अंग्रेजी में प्राप्त करने में प्रदेश की भाषा नीति में कोई परिवर्तन करने का मंतव्य नहीं है अपितु कम्प्यूटर द्वारा कार्य कराने के लिए यह आवश्यक पाया गया।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, शिक्षा मन्त्री जी का जो वक्तव्य मिला, उसमें पढ़ वह दूसरा रही हैं और जो हमको मिला है, वह दूसरा मिला है अभी शिक्षा मन्त्री जी ने पढ़कर दूसरा बताया।

श्री अध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो शून्य प्रहर में किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं निर्देश नहीं करूंगा। मैं आगे से अगर आप इस प्रकार चाहें तो मैं इन वक्तव्यों को पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा। इस प्रकार से अनियमित व्यवधान सदन की कार्यवाही में डालेंगे, तो सदन चल नहीं सकता। आपको कोई प्रति नहीं मिली है, तो शून्य प्रहर की सूचनाओं के जो उत्तर दिए जाते हैं उन पर कोई अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती है। मैं सभी माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि जितनी प्रतियां छपी थीं, वह सब बंटवा दी गयीं। शून्य प्रहर में जैसे प्रश्नों की व्यवस्था थी कि लाबीज में उत्तर की प्रतियां रख दी जायेंगी, यह किया गया, अगर इस व्यवस्था में कोई त्रुटि है, तो मेरी नोटिस में लायेंगे।

जिला सीतापुर के ग्राम दारानगर के पास बिजली के ढीले तार से टकरा जाने के फलस्वरूप एक हरिजन बालक की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)---

मान्यवर, श्री राजेन्द्र प्रसाद, पुत्र श्री नाथू राम, निवासी ग्राम साहेब नगर, जिला सीतापुर के साथ दिनांक 13 सितम्बर, 1977 को एक प्राणघातक दुर्घटना हुई। ऐसा समझा जाता है कि यह दुर्घटना लगभग 14.30 बजे हुई और उप खण्ड अधिकारी प्रथम, सीतापुर को उसकी सूचना दिनांक 13 सितम्बर, 1977 को लगभग 22.30 बजे एक रेडियोग्राम द्वारा मिली, जो कि स्टेशन आफीसर, रामकोट, पुलिस स्टेशन द्वारा भेजा गया था। उप खण्ड अधिकारी इस दुर्घटना के बारे में अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता को सूचित कर दुर्घटना स्थल के लिए 23.30 बजे के लगभग रवाना हो गया।

उप खन्ड अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता ने दुर्घटना का विस्तृत विवरण दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को अधीक्षण अभियन्ता को दिया।

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

दुर्घटना 11 के0वी0 नीमसार फीडर, जो कि 132 के0वी0 सब-स्टेशन, सीतापुर से निकलता है, के टी-आफ ब्रांच पर घटित हुई। यह 11 के0वी0 फीडर लाइन 66/11 के0 वी0 सब-स्टेशन मिसरिख तक जाता है और इसे आवश्यकतानुसार दोनों की सब-स्टेशनों अर्थात् मिसरिख और सीतापुर से जोड़ा जा सकता है। इस समय, इस फीडर को सीतापुर सब-स्टेशन पर नियन्त्रित करने वाले सरकिट प्रेशर के खराब हो जाने से यह लाइन मिसरिख सब स्टेशन से जुड़ी हुई है। 11 के0वी0 लाइन इस्पात के रेलों पर बनाई गई है। परन्तु टी0-आफ ब्रांच, जिस पर कि दुर्घटना घटित हुई साल की बल्लियों पर बनाई गई है। 11 के0 वी0 फीडर पर दो स्थानों पर टी0 पी0 एम0ओ0 स्विच लगे हैं--एक जैतीखेरा ग्राम के नजदीक जो कि सीतापुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और दूसरा, ग्राम जैपुर में जो मिसरिख सब स्टेशन से लगभग 5 कि0 मी0 है। जैतीखेरा और जैपुर ग्रामों के बीच की दूरी लगभग 10 कि0 मि0 है। मिसरिख सब-स्टेशन पर इस फीडर का नाम रामकोट फीडर है।

66 के0 वी0 मिसरिख सब-स्टेशन के लाग शीट में दिनांक 13 सितम्बर, 1977 को की गई अंकन के अनुसार रामकोट फीडर 9.20 पर ट्रिप हुआ। आम प्रैक्टिस के अनुसार फीडर को तीन बार लगाया गया लेकिन यह हर बार ट्रिप कर गया और तब 9.37 बजे इसे ब्रेक डाउन में घोषित करके खुला छोड़ दिया गया। उस दिन उक्त फीडर का इन्चार्ज जूनियर इन्जीनियर छुट्टी पर था इसलिए श्री प्रहलाद, लाइन मैन, जो कि एस0 एस0 ए0 के पद पर लीव रिजर्व में कार्य कर रहे थे, ने श्री राम स्वरूप, स्किल्ड कुली को, रामकोट फीडर जैपुर तथा जैतीपुर के टी0 पी0 एम0 ओ0 खोल कर सेक्शन अलग करके देखने का कहा। इन लोगों ने परस्पर तय किया कि रामकोट फीडर आधे घंटे बाद अर्थात् लगभग 10-30 बज लगाया जायगा, जिस समय तक उनका अनुमान था कि स्किल्ड कुली जैपुर गांव के पास टी0 पी0 एम0 ओ0 खोल चुका होगा। तत्पश्चात् स्किल्ड कुली को आगे की लाइन पर 5 एम्पीयर का फ्यूज लगाकर फिर जैपुर का टी0 पी0 एम0 ओ0 बन्द करना था। यह व्यवस्था जैपुर से आगे की लाइन को टेस्ट करने के लिए की गयी थी। मिसरिख सब-स्टेशन पर रामकोट फीडर को 10.20 बजे लगाने पर फीडर लग गया और फिर नहीं ट्रिप हुआ।

स्किल्ड कुली ने देखा कि एक-एक फेज का फ्यूज वायर फ्यूज हो गया जो कि यह दर्शाता था कि एक फेज में कुछ खराबी है और इसलिये उसने टी0 पी0 एम0 ओ0 स्विच खोल दिया तथा जैतीखेड़ा गांव की तरफ लाइन को देखते हुए बढ़ गया। उसने जैतीखेड़ा सेक्शन प्वाइन्ट पर फिर 5 एम्पीयर का फ्यूज जैतीखेड़ा सीतापुर लाइन पर लगाकर जैतीखेड़ा का टी0 पी0 एम0 ओ0 स्विच बन्द कर दिया। तथा जैपुर ग्राम को वापस आकर यहां का स्विच लगाया। जैपुर का स्विच लगाने पर फीडर ट्रिप नहीं हुआ। स्किल्ड कुली जब जैतीखेड़ा सेक्शन पर वापस आया तो उसने पाया दो फेज का फ्यूज जला हुआ है और उसने लगभग 17.00 बजे जैतीखेड़ा का टी0 पी0 एम0 ओ0 खोल कर फ्यूज निकाल दिया।

इसी बीच श्री आर0 एस0 श्रीवास्तव, जूनियर इन्जीनियर इन्चार्ज, नीमसार फीडर, सीतापुर को सूचना मिली कि लगभग 14.30 बजे एक दुर्घटना हो गयी है और एक खम्भा नीचे गिर गया है। जूनियर इन्जीनियर ने यह सूचना 66/11 के0 वी0 मिसरिख

सब-स्टेशन को इस आशय के साथ भिजवा दी कि वहां से फीडर का स्विच खोलकर और सेक्शन प्वाइन्ट पर जम्पर खोलकर टी-आफ ब्रान्च को अलग कर दिया जाय। यह सूचना मिसरिख सब-स्टेशन पर लगभग 14.45 बजे प्राप्त हुई और एस0एस0ए0 आन डयूटी ने एक दूसरे लाइन कुली द्वारा यह सूचना श्री राम स्वरूप, स्किल्ड कुली के पास जैतीखेड़ा के आगे सेशक्न खोलने के लिए भेजा। यह सूचना श्री राम स्वरूप स्किल्ड कुली को लगभग 15.00 बजे मिली और तब वह जैतीखेड़ा के पास का सेक्शन स्विच खोलने के लिये गये।

टी-आफ ब्रांच लाइन जो साल की बल्लियों पर बनी है, पर एक लकड़ी का खम्भा टूट गया था और दो फेज के तार जमीन की सतह के ऊपर लटक रहे थे। चूंकि जिस समय स्किल्ड कुली ने फ्यूज लगाकर जैतीखेड़ा सेक्शन से लाइन चालू किया था, तार जमीन को छू नहीं रहे थे, फ्यूज जले नहीं।

पुलिस रिपोर्ट तथा अधिशासी अभियन्ता विद्युत् वितरण खन्ड, सीतापुर, को रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद (मृतक) साइकिल पर अपनी भांजी के साथ, जो कि साइकिल के कैरियर पर बैठी थी, जा रहे थे 4 तार जिसमें विद्युत्प्रवाहित हो रहा था, के सम्पर्क में आगये और गम्भीर रूप से जल गए और विद्युत् शाक से उनकी मृत्यु हो गई। नाबालिग लड़की जो कि साइकिल के कैरियर पर बैठी थी, साइकिल से छिटक कर गिर पड़ी। उसे साइकिल पर से गिरने के कारण कुछ चोट आई। ऐसा लगता है कि यह दुर्घटना लगभग 14.30 बजे हुई, जब श्री रामस्वरूप स्किल्ड कुली ने जैतीखेड़ा पर फ्यूज लगा कर लाइन चालू की थी। लेकिन यह निश्चित नहीं है।

एफ0आई0आर0 मृतक के रिश्तेदार, श्री रामलाल ने रामकोट पुलिस स्टेशन पर लगभग 17–50 बजे लिखायी। पुलिस ने पंचनामा तैयार कराया और उसके बाद शव श्री श्रीराम लाल को दे दिया। जूनियर इन्जीनियर दुर्घटनास्थल पर आधी रात के बाद लगभग 1-00 बजे 14 सितम्बर, 1977 को पहुंचा और उसने कुछ गाँव वालों तथा श्री राम लाल मृतक के रिश्तेदार को शव के साथ दुर्घटना स्थल से लगभग 23 कि0मी0 दूर सड़क पर लाया। श्री राम लाल मृतक के रिश्तेदार की प्रार्थना पर जूनियर इन्जीनियर ने इस पार्टी को शव के साथ जीप पर मृतक के गाँव के नजदीक तक ले आया। वस्तुतः उसने पूरी पार्टी तथा शव को गाँव के बाहर सड़क पर छोड़ दिया क्योंकि गाँव अन्दर था तथा जीप से वहाँ तक नहीं पहुंचा जा सकता था।

फीडर को टेस्ट करने के लिए प्रयुक्त तरीके से दुर्घटना घटित हुई। यह तरीका जिसमें फ्यूज वायर लगा कर फीडर बन्द किया जाता है अपरिपक्व तरीका है। वास्तव में अपरिपक्व तरीके से भी दुर्घटना न होती अगर स्किल्ड कुली द्वारा निम्न कदम उठाये जाते––

(1) उसे पहले जैतीखेरा तथा जैपुर दोनों सेक्शनों पर टी0पी0एम0ओ0 स्विच खोल लेना चाहिए था।

(2) तब उसे जैपुर गाँव में आकर जैपुर–जैतीखेरा लाइन पर फ्यूज लगा कर जैपुर टी0पी0एम0ओ0 स्विच बन्द करना चाहिए था, क्योंकि जैपुर–जैतीखेरा के बीच की लाइन में कोई खराबी नहीं थी, फ्यूज नहीं उड़ता। इसके बाद उसे टी0 पी0एम0ओ0 स्विच खोलकर फ्यूज हटा कर फिर स्विच बन्द करके जैतीखेरा तक की लाइन चालू करना चाहिए था।

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

(3) तदुपरान्त उसे जैतीखेरा जाकर, जैतीखेरा–सीतापुर के बीच की लाइन में फ्यूज लगाकर जैतीखेरा से लाइन चालू करना चाहिए था। यह लाइन चालू करने पर फ्यूज उड़ जाते, क्योंकि खराबी इसी सेक्शन में थी। उसको तुरन्त ही जैतीखेरा का स्विच खोल कर सीतापुर के तरफ की लाइन के विद्युत प्रवाह रोक देना चाहिए था। इससे शायद दुर्घटना बच जाती।

ऐसा प्रतीत होता है कि स्किल्ड कुली को यह नहीं मालूम था कि लाइन की चेकिंग कैसे की जाती है। इसके अलावा उसे लाइन चेक करने के लिए उचित निर्देश देने वाला भी कोई नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थिति में उसने अपने बुद्धि के अनुसार कार्य किया।

यह अभियोग कि पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को विद्युत परिषद के कर्मचारियों को सौंप दिया, सही नहीं है। न ही यह अभियोग कि विद्युत परिषद् के कर्मचारी, शव को बिना मृतक के रिश्तेदारों को बताए हुए, शव को नष्ट करने के लिए नीमसार ले जा रहे थे, ही सही है। वास्तव में शव पुलिस द्वारा, श्री राम लाल जोकि मृतक के रिश्तेदार हैं, को दिया गया था और विद्युत परिषद् के जूनियर इन्जीनियर ने श्री राम लाल के साथ सद्भावना की नियत से रिश्तेदारों तथा शव को दुर्घटना स्थल से मृतक के गाँव के निकटतम स्थान तक जीप द्वारा पहुंचा दिया। विद्युत परिषद् के कर्मचारी शव के अन्तिम संस्कार में शामिल नहीं थे।

मृतक 17 वर्ष का अविवाहित युवक था। अधिशासी अभियन्ता तथा उप खण्ड अधिकारी ने मृतक के पिता से मिलने की कोशिश की परन्तु वह 14 सितम्बर, 1977 को अपने घर पर नहीं थे। उनसे 20 सितम्बर, 1977 को सम्पर्क हुआ और मुआवजे के 500 रु0 का भुगतान उन्हें 20 सितम्बर, 1977 को कर दिया गया।

सीतापुर जिले में पूर्व दुर्घटना

21 अगस्त, 1977 को श्री राम कुमार, पुत्र श्री बचन, निवासी ग्राम गौरा अरजुनपुर 11 के0वी0 लाइन के तार के सम्पर्क में उस समय आ गए जब उन्होंने अपना छाता ऊपर उठाया और इस प्रकार उन्हें बिजली शाक लगा। यह दुर्घटना लाइन बनाने में खराबी के कारण हुई। लाइन बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि दो खम्भों की दूरी 100 मीटर के अन्दर हो और कण्डक्टर जमीन से कम से कम 18 फिट ऊपर हो। दो खम्भों के बीच की दूरी 136 मीटर थी जिसके कारण कन्डक्टर जमीन से केवल 10 1/2 फिट ऊपर लटक रहे थे। खराब लाइन बनाने से सम्बन्धित जूनियर इन्जीनियर तथा लाइनमैन निलम्बित कर दिए गए हैं।

वर्तमान दुर्घटना लकड़ी का खम्भा टूटने के कारण हुई। पूरे प्रदेश के सभी अधिशासी अभियन्ताओं को उनके क्षेत्र में सभी लकड़ी के खम्भों को अलग-अलग देखने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसे ब्रेक-डाउन रोके जा सकें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई प्रश्नों की अनुमति नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, आप एक बात देख लें कि आपने मद संख्या 5-6 में माननीय मन्त्रियों का उत्तर दिलाया है और 7 में विद्युत मन्त्री जो का वक्तव्य है। मगर वक्तव्य है, तो हम प्रश्न कर लें ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में मैंने एक प्रश्न को स्वीकार किया और इसके लिए मैंने कहा, केवल वक्तव्य देंगे । इसलिए प्रश्न पूछने का अवसर होता तो वह सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाने के बाद नियम 51 के समय लिया जाता। इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया था और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि कार्य मन्त्रणा समिति ने कार्य निश्चित किया है। बजट का अवसर है। बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। इसलिए नियम का प्रश्न, औचित्य का प्रश्न उपस्थित करने के पहले सूचना देना हो, विवाद करना हो, तो लिखकर दें। यह तो विशेष सुविधा की दृष्टि से रखा था जिस पर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो लिखकर दें। अब विवाद नहीं होगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता। एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

मान्यवर. . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य इस प्रकार से नियम के विरुद्ध समय का अतिक्रमण करेंगे तो मैं विचार करूंगा कि वक्तव्य के लिए निर्देश दूं या नहीं। इस पर कोई विवाद का समय नहीं है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों द्वारा अपनी मांगों को शासन द्वारा न माने जाने तक यू० पी० बोर्ड के व्यक्तिगत छात्रों के फार्मों को बांटने एवं अग्रसारित करने से इंकार करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा उप मन्त्री (श्रीमती मालती शर्मा)--

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापक, जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य होते हैं, के माध्यम से परिषद् को अग्रसारित किए जाते हैं। इस हेतु अग्रसारण अधिकारी प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 1 रु0 निर्धारित अग्रसारण शुल्क प्राप्त किया करते हैं। शासन को माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से प्रधानाचार्य परिषद् की इस आशा की माँगें प्राप्त हुई हैं कि अग्रसारण अधिकारी का शुल्क एक रुपए से बढ़ाकर पाँच रुपए कर दिया जाय और केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक रु0 150/- से बढ़ाकर रु0 500/- कर दिया जाय। इसी प्रकार अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक रु0 125 से बढ़ाकर रु0 300 कर दिया जाय। प्रधानाचार्य

[श्रीमती मालती शर्मा]

परिषद् ने यह निर्णय भी सूचित किया कि जब तक उनकी उक्त माँगें स्वीकार नहीं की जायेंगी कोई भी प्रधानाचार्य व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का आवेदन-पत्र न तो जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करेगा और न उसे अग्रसारित करेगा। शासन को माध्यमिक शिक्षा परिषद् से एतद् विषयक माँगें 7 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हुई हैं। इन पर विचार किया जा रहा है। प्रधानाचार्य परिषद् के आह्वान पर कतिपय प्रधानाचार्य व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्रों को न तो जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ से उठा रहे हैं और न वे उन्हें अग्रसारित कर रहे हैं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाँशतः प्रधानाचार्यों ने व्यक्तिगत छात्रों के आवेदन-पत्रों को जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालयों से उठा लिया है और उन्हें वे बाँट रहे हैं। बड़े-बड़े नगरों को छोड़कर अन्य नगरों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जहाँ समस्या हो। बड़े नगरों में भी केवल लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में यह समस्या विद्यमान होने की सूचना है। इन तीनों नगरों में सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों ने व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र उपलब्ध कराने और उन्हें अग्रसारित कराने की आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। प्रत्येक नगर में आवश्यकतानुसार संख्या में वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। प्रत्येक नगर में आवश्यकतानुसार संख्या में वैकल्पिक केन्द्र क्रियाशील हैं। इन नवीन पंजीकरण केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को उन्हें प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। इस प्रकार पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गयी है।

व्यक्तिगत छात्रों के आवेदन-पत्र बिना किसी विलम्ब शुल्क के प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 5 अक्तूबर, 1977 तक बढ़ा दी गयी है उसके उपरान्त भी विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र 31 अक्तूबर, 1977 तक प्राप्त किए जाते रहेंगे। अस्तु परीक्षार्थियों को कोई कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। यह वक्तव्य के रूप में है। इस पर माननीय मन्त्री जी के हस्ताक्षर नहीं हैं। आपकी कई बार व्यवस्था हो चुकी है कि मन्त्री जी जो उत्तर दिया करें उस पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी ने इसको पढ़कर सुनाया है इसलिए इसकी प्रामाणिकता में तो कोई सन्देह नहीं है लेकिन जो भी उत्तर मन्त्री भेजें उस पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए।

एक सदस्य—

वह सचिव ने भेजी है...

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपका भी व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

जानकारी चाहिए थी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों द्वारा अपनी माँगों को शासन द्वारा 821 न माने जाने तक यू0 पी0 बोर्ड के व्यक्तिगत छात्रों के फार्मों को बाँटने एवं अग्रसारित करने से इन्कार करने सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

जानकारी का अभी अवसर नहीं है।

सदन के संज्ञान में लाए जाने वाले विषयों के उत्तर तथा केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत विषयों पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, मेरी धृष्टता होगी। मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। मेरा एक निवेदन है, आपकी व्यवस्था के लिए। यहाँ पर आपकी आज्ञा से तीन-चार वक्तव्य दिए गए हैं, उत्तर के रूप में और वक्तव्य के रूप में दोनों एक ही कह लें। लेकिन वक्तव्य अगर आपकी आज्ञा से इस तरह रहें जैसा कि अभी हुआ और हम लोग मूक दंग से सुनेंगे और प्रश्न नहीं कर सकते, केवल सूचना देने पर कभी आगे प्रश्न कर सकेंगे, तो उससे मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो दफ्तर को दिक्कत बहुत होगी। हमारे प्रश्न कई हो जायेंगे और उनके जवाब भी बहुत हो जायेंगे। दूसरी बात हम लोगों की दिक्कत आपके सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि आप देखें कि अभी बिजली मन्त्री ने वक्तव्य दिया, कोई सहमत हुआ या नहीं हुआ। अब उनका कहना यह है कि 24 घंटे बिजली मिल रही है। अब इस वक्तव्य को अनचैलेन्ज्ड् जाने दीजिए। 24 घंटे बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है। मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। हमें मौका नहीं है सवाल करने का, जिरह करने का कि 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, कैसे मिल रही है। कोई व्यवस्था आपकी होनी चाहिए बिलकुल ब्लैंक नहीं कर सकते। आप को पूरा अधिकार प्राप्त है। आप आज्ञा दें हम दो-चार सवाल, दो-चार मिनट में पूछ कर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है श्रीमन्, कि इसमें अपनी व्यवस्था दें और सदन भी ठीक तौर से चल सके और आप को भी बार-बार कहना पड़ता है, कि बैठ जाइए।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्यों का ध्यान नियम 51 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नियम 51 के अनुसार जितनी सूचनायें प्राप्त होंगी उनमें जो अधिक महत्व की होगी केवल एक ही अध्यक्ष स्वीकार कर सकेंगे और सब से अन्त में जब कि अन्य कार्यक्रम समाप्त हो जायगा उस पर सम्बन्धित मन्त्री या तो उसी दिन वक्तव्य देंगे या बाद की कोई तारीख लेंगे और उस पर माननीय सदस्यों को संक्षेप में स्पष्टीकरण का अवसर होगा। चूंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आते हैं और 51 में एक ही लिया जा सकता है और वह भी समय की वजह से इसलिए अब तक मेरे पूर्वाधिकारियों की भी यह परिपाटी रही है। नियम 51 में ऐसे ही बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। तो एक तो परम्परा है स्वीकार कर लेते हैं और बाकी जैसा अध्यक्ष उचित समझें वह केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लेते हैं। पहले भी इस पीठ से इसी प्रकार की व्यवस्था रही है। यदि इसको मैं स्वीकार करूं प्रश्न के लिए विशेष महत्व का समझ कर, तो स्पष्टीकरण का कोई समय नहीं रहेगा। फिर उसमें कोई समय भी निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो जायगा। इसलिए अब तक की यह परम्परा रही है।

माननीय सदस्य अपने नियमों के स्वयं मालिक हैं। यदि इस पर चाहते हैं कि नियमों में परिवर्तन किया जाय या नियम 51 की परिधि बढ़ाई जाय तो इस पर बाद में विचार विमर्श किया जा सकता है। सदन अपने नियम बनाने में सक्षम हैं। यदि 51 के नियम में कोई परिवर्तन इस प्रकार का करना है, तो बाद में विचार किया जा सकता है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, क्योंकि यह नियमावली 1958 में बनी थी, बीस साल गुजर गए इसलिए यह उचित होगा कि 51 में. . .

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त यह प्रश्न नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि जो वक्तव्य यहाँ पढ़े जाते हैं केवल वक्तव्य, यह बात खत्म कर दी जाय। इसलिए कि यह वक्तव्य बुनियादी तौर पर नीचे के कर्मचारियों द्वारा बना कर दिए जाते हैं और जिम्मेदारी मन्त्री को लेनी पड़ती है। आम तौर पर नीचे वाले गलत सूचना देते हैं जो यहाँ सदन के पटल पर रख दी जाती है और क्लेरिफिकेशन उसका हो नहीं पाता। इसलिए केवल वक्तव्य वाली बात को बिलकुल समाप्त कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस पर विचार कर लिया जायगा।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय रियासत जी के सुझाव से अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छी परम्परा चलाई शून्य प्रहर में आवश्यक सूचनाओं को इस सदन में लाने की व्यवस्था कर दी। आपने एक और व्यवस्था कर दी, मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य दिलवाना प्रारम्भ कर दिया। अब अगर रियासत हुसैन साहब का सुझाव मान लिया जाय तो जो उत्तर प्रश्नों के सम्बन्ध में इस सदन में आते है वे भी नीचे के अधिकारियों के माध्यम से ही आते हैं और मन्त्री लोग उनको यहाँ पढ़ देते हैं। इसी तरह से नियम 51 की जो सूचनाएं आती हैं उनका उत्तर भी नीचे के अधिकारियों द्वारा ही दिया जाता है और जो वक्तव्य दिया जाता हैं वह भी नीचे के अधिकारियों द्वारा ही तैयार हो कर आता है। लेकिन वे, आप देखें कि प्रश्नों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि नियम 48 के अन्तर्गत प्रश्नों में अगर सदन के सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं, उत्तर से सहमत नहीं हैं तो 49 के अन्तर्गत आध घंटे का विवाद मांग सकते हैं। इसी प्रकार नियम 103 में प्रत्येक मन्त्री के वक्तव्य के सिलसिले में चर्चा की जा सकती है और उसमें समय की सीमा आप स्वयं निर्धारित करने के लिए सक्षम हैं। जो वक्तव्य लोक महत्व, अविलम्बनीय तथा निश्चित प्रकृति का है और इस सदन के लिए आवश्यक है उस पर चर्चा हो सकती है नियम 103 के अन्तर्गत। लेकिन अगर रियासत साहब का सुझाव मान लिया जाय तब तो कोई भी वक्तव्य चर्चाविहीन नहीं हो सकता। मन्त्री लोगों का वक्तव्य आ जाता है तो वह इस सदन की सम्पत्ति बन जाता है। उसके बाद इस सदन के सदस्यों को उस वक्तव्य पर चर्चा करने की पूरी छूट रहेगी। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि जो परिपाटी आपने शून्य प्रहर की लागू की है उसे चलने दें। एक आध प्रश्न तो चलते ही रहते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। शून्य प्रहर में जो सूचनाएं दी जाती हैं पाँच तक उनकी सीमा आप न बाँधें। एक दिन में सात सूचनाएं ले लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज सरकारी कर्मचारियों का बड़ा भारी दल शासन में मौजद है। यह नियमावली बनी थी सन् 1958 में तो बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जो सरकारी शासन क्षेत्र से बाहर थे और शासन क्षेत्र से बाहर रहने के नाते उस समय प्रश्नों की सीमा कम हो सकती थी। आज शासन क्षेत्र बढ़ा हुआ है, बहुत सी पब्लिक अण्डरटेकिंग्स बढ़ी हुई हैं, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी हुई है, जनता की आकाँक्षाएं बढ़ी हुई हैं और माननीय सदस्यों की इच्छा भी कुछ इस प्रकार की है कि यदि गुंजाइश होती है तो सदन की नोटिस में वह बातें लाई जायं। कोई माध्यम और नहीं है सिवा इसके कि आप शून्य प्रहर में पाँच से अधिक कर दें, कोई सीमा न रखें, सीमा बढ़ा दें लेकिन शून्य प्रहर खत्म न किया जाय।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अपनी मर्यादा के अनुकूल और अपनी महान परम्पराओं के अनुकूल इस महत्व के प्रश्न पर फिर से विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। श्रीमन्, इस प्रश्न के जो मर्म में इस सदन के जो आधारभूत अधिकार हैं और इस सदन का जो दायित्व है और जनता के प्रति उसका जो दायित्व है उसका मर्म निहित है। श्रीमन्, यहाँ दो पक्ष हैं—शासन पक्ष और विरोध पक्ष। उसमें प्रत्येक माननीय सदस्य के अधिकार और कर्तव्य हैं—अपने निर्वाचकों के प्रति, संविधान के प्रति, सदन की नियमावली के प्रति, सामान्य जनता के प्रति।

श्रीमन्, जब कभी कोई वक्तव्य होता है या प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो उसमें शासन पक्ष तो आ जाता है लेकिन दूसरा पक्ष जो है जिससे शासन को सहायता मिलती है, प्रजातांत्रिक ढांचे में प्रश्नों के माध्यम से और चर्चाओं के माध्यम से पूरी तस्वीर उनके सामने आती है और विभागों को भी सहायता मिलती है। ऐसा नहीं है कि शासन की केवल आलोचना ही होती है। इसलिए अगर श्रीमन्, वक्तव्य के होने पर दूसरा पक्ष नहीं आता है, या माननीय सदस्य कभी ऐसा होता है कि काम-रोको प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं या नियम 51 में प्रस्तुत किया तो उसमें भी उपनियम (3) में अध्यक्ष को अधिकार है, ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा परन्तु अध्यक्ष, यदि उचित समझें तो, सूचनाँकित विषय सम्बन्धी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे।

श्रीमन्, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं आज सीतापुर के बारे में माननीय गनेशी लाल जी के कहने पर वक्तव्य दिया। आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, मन्त्री जी भी देखेंगे कि इसमें सारी जिम्मेदारी स्किल्ड कुली पर डाल दी गयी है कि फ्यूज उड़ गया। मुझे विश्वास है माननीय मन्त्री जी इसे नहीं मानेंगे कि केवल एक स्किल्ड कुली ही जिम्मेदार है। इसमें यह कहते हैं कि यह दुर्घटना नहीं होती अगर स्किल्ड कुली ने अपेक्षित कदम उठाए होते. . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, अब तो आप प्रश्नों के मेरिट के ऊपर आ रहे हैं। इस पर तो नहीं जाना होगा। आप मत प्रकट कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह जो घटना सीतापुर में घटित हुई यह सारे प्रदेश में हो सकती है। फीडर लाइनों के कन्ट्रोल को स्किलड कुली को दिया गया था इन्जीनियर को दिया गया इस पर माननीय सदस्य पूछ सकते हैं। सारे प्रदेश की बात इसमें आती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि शून्य प्रहर की नई परिपाटी आपने निकाली है। पहले सदन में बहुत कोलाहल होता था, श्रीमन्, हमने आपके निर्देशों का पालन किया और आज्ञा मानी। मान्यवर, अगर शून्य प्रहर में उत्तर मिला ही नहीं तो फिर हम अपने कर्तव्य से वंचित हो जायेंगे। इसलिए जितने वक्तव्य यहां होते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देना और लेना हमारा अधिकार होना चाहिए। यह सदन की परिपाटी भी रही है।

श्रीमन्, मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। जो पुराने अध्यक्षों के निर्णयों के संकलन हैं उसमें भी सार यही है कि शासन की ओर से लम्बे-चौड़े जो वक्तव्य हों उन पर भी स्पष्टीकरण पूछा जा सके। यह सदन की परम्परा रही है। इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि किसी भी प्रकार के वक्तव्य हों उनको नियम 51 के अन्तर्गत मानें, विविध वक्तव्य के अन्दर न माना जाय। विविध वक्तव्य का कोई नियम नहीं है, केवल अधिकार है गवर्नमेन्ट का कि वह अपनी ओर से घोषणा करे। लेकिन माननीय सदस्य कोई वक्तव्य मांगें तो उसका कोई प्राविधान नियम 51 में नहीं है। यह नियम 103 में इसलिए नहीं आता है कि यह असरकारी प्रस्ताव के लिए है। सरकारी प्रस्तावों की परिपाटी अलग है, असरकारी प्रस्तावों की परिपाटी अलग है। सरकारी प्रस्ताव सरकार सूचना देकर ला सकती है, असरकारी प्रस्ताव बैलट में आते हैं। वक्तव्य का नियम, काम-रोको प्रस्ताव या इन नियमों से है, इनमें यह दिया जायगा। इसलिए आप शून्य प्रहर के लिए भी कोई नियम बना दें। क्योंकि ऐसे कोई मन्त्री हो जायं, जिससे शून्य प्रहर के प्रश्न शून्य मन्त्री के हाथ में चले जायं, तो शून्य उत्तर भी मिलेगा। इसलिए कहीं न कहीं सदस्यों के अधिकार की रक्षा होनी ही चाहिए और शून्य प्रहर के लिए भी कोई नियम जुड़ना चाहिए। अतः आप यह सारा मामला एक नियम समिति को प्राधिकृत कर दें, जिससे यह सारा मामला अपने सही रूप में सामने आ सके।

*श्री सुखपाल पाण्डेय—

आपसे निवेदन यह करना है कि आपने जो शून्य प्रहर की परम्परा डाली है, यह बहुत अच्छी परम्परा है। इस सदन में पहले तिवारी जी भी थे और मुझे भी रहने का अवसर मिला, इसलिए हमने देखा है कि पहले इसके न होने के कारण सदन में उस समय कोई काम नहीं हो पाता था और तमाम हल्ला होता था। आपने सदन को कन्ट्रोल किया है, यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था करके आपने लोगों को अवसर दिया है कि जो आवश्यक बातें हैं, उन्हें सदस्यगण सदन में रखें। यह अवश्य है कि मन्त्रीगण उसके बारे में उत्तर दें, ताकि सदन को भी उसकी जानकारी हो और उस पर समुचित कार्यवाही होनी चाहिए। या जो आप नियम बनावेंगे, उनका पालन होगा, नियम तो आप बनाते ही हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब शम्भू नाथ चौधरी...

(श्री शम्भूनाथ के खड़े होने पर)

एक सदस्य--

श्रीमन्, यह चौधरी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

"चौधरी" शब्द साथ में जोड़ दिया, तो आपको इससे कोई खतरा नहीं है।

*श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)---

मान्यवर, जहां तक मैं समझता हूं जो जीरो-आवर की प्रक्रिया आपने चालू की है, उसका एक मकसद यह है कि हाउस में मेम्बर अपनी बात सुचारू रूप से कहने के लिए समय पावें और उस प्रोसीजर के तहत अपनी बात को कह पावें, जिससे कोई हंगामा न हो और माननीय सदस्यों की भावनाओं का प्रकाशन सदन में हो जाय। अब वक्तव्यसुओ-मोटो-अपने आप, होता है, मन्त्री लेकर आता है तो होता है। लेकिन यह मेम्बर की सूचना पर वक्तव्य आता है, तो आपने हमको एक राईट दिया कि हम अपनी बात हाउस में कहें और उसके तहत आपने मन्त्रियों को निर्देश दिया कि वह वक्तव्य लेकर यहां आवें। लेकिन नेचुरल जस्टिस का जहां तक तकाजा है, मेरिट पर मैं नहीं जाना चाहता, जो वक्तव्य आया है, उसमें कोई ऐसी बात है, जिसमें सरकार की कोई नीति, इन्फार्मेशन प्रदर्शित होती है या कोई ऐसी चीज है, जिसमें सदन के मेम्बरों को यह शंका होती है कि ब्यूरोक्रेसी ने किसी तथ्य को छिपाया है या और कोई बात है, तो ऐसी हालत में मेम्बर को भी अधिकार हो कि वह उसमें क्लेरीफिकेशन मांगे। मैं यह नहीं कहता कि हर एक को अलाऊ करें। लेकिन जहां पर नैचुरल जस्टिस का तकाजा है वहां पर आपको विचार करना होगा। मेम्बर का अधिकार है वक्तव्य मांगने का। वहां पर यह भी अधिकार है कि वह वक्तव्य सम्पूर्ण हो, सही हो और उसमें इस तरह की कोई बात न हो। मन्त्री महोदय को स्वयं ले आना चाहिए, और मेम्बर के कहने के बाद आया है तो मेम्बर को भी इस तरह का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर प्रदेश में कोई घटना होती है तो मेम्बर की ड्यूटी है कि यहां कहे कि फलां घटना हुई। ऐसे केसेज में माननीय मन्त्रियों को स्वयं सुओ-मोटो वक्तव्य देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शम्भूनाथ—

ऐसी हालत में एक राय है, नैचुरल जस्टिस का तकाजा है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

इस पर इतने वाद-विवाद की आवश्यकता तो नहीं है। श्री नेगी एक मिनट में कह दें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

जहां तक जीरो-आवर के महत्व का प्रश्न है, उसमें दो राय नहीं हैं। यह जरूरी है। आपने व्यवस्थित कर दिया। इसमें दो राय नहीं हैं। नियमों को संशोधन करने में टाइम लगेगा। यह नियम समिति में जायगा। तब तक के लिए आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें, कोई आवश्यक नहीं है कि आप पांच सूचनाएं लें, एक-दो सूचनाएं ले लीजिए जो वक्तव्य सरकार का हो उसके बारे में स्पष्टीकरण होना जरूरी है। अगर स्पष्टीकरण नहीं होता और वक्तव्य अनचैलेंज्ड चला जाता है तो इसके मतलब है कि सरकार का वर्जन ऐक्सेप्ट हो गया। लेकिन किसी माननीय सदस्य की सूचना के आधार पर विरोध पक्ष आना चाहिए और वह नहीं आता तो जब तक नियम समिति इसके ऊपर विचार करे, मेरा आपसे अनुरोध है कि 5 के बजाय 2 रखिए लेकिन ऐसी व्यवस्था रखें कि उसमें भी प्रश्न हो सकें। बल्कि यह परम्परा रह चुकी है कि नियम 51 के अन्तर्गत केवल एक सूचना ऐक्सेप्ट करते हैं लेकिन पहले यह व्यवस्था रही है कि एक सूचना नियम 51 में स्वीकृत हो जाती थी और कुछ सूचनाएं वक्तव्य के लिए हो जाती थीं, जब वक्तव्य होता था तो थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण की आज्ञा माननीय अध्यक्ष दे दिया करते थे, नियमों में न होते हुए भी। आपके अधिकार क्षेत्र में है आप ऐसी व्यवस्था करें 5 के बजाय 2 कर दें, लेकिन यहां स्पष्टीकरण होना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल से परामर्श करके विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

जैसा नियम 51 के उपनियम (4) में लिखा है, "एक ही उपवेशन में एक से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाए जायेंगे।" शून्य प्रहर में मैंने कुछ सूचनाओं को स्वीकार किया और नियम 315 के उपनियम (16) के अनुसार मन्त्रियों के द्वारा विविध वक्तव्य दिए जा सकते हैं। यह कि नियमों में संशोधन हो, तो नियमों में संशोधन किए जा सकते हैं तो जैसा माननीय मैनेजर सिंह ने सुझाव दिया कि माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल के विचार विनिमय करने के बाद अगर इस तरह का प्रश्न हो तो विचार किया जा सकता है। लेकिन जो शम्भूनाथ जी ने प्रश्न उपस्थित किया यदि उसको मान लिया जाय तो अध्यक्ष को बार-बार सोचना पड़ेगा कि वक्तव्य देने के लिए निर्देश दे या न दे। क्योंकि इस सदन के समय का प्रश्न पैदा होता है। माननीय कल्पनाथ सिंह के सुझाव के अनुसार कि नियम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विषयों पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

49 के अनुसार किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है और आधा घन्टा की चर्चा हो सकती है। अगर इस तरह का प्रश्न हो तो अध्यक्ष उसे स्वीकार करके आधा घंटा की चर्चा स्वीकार करें। तो मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं से परामर्श करके कोई उचित निर्णय ले सकूंगा।

अब वित्तीय वर्ष 1977-78 के आय-व्ययक पर मतदान।

आबकारी के बजट से सम्बन्धित साहित्य का वितरण न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आबकारी विभाग का आज अनुदान पेश होने जा रहा है लेकिन उससे सम्बन्धित जो लिटरेचर है वह माननीय सदस्यों को नहीं मिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। यह दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कोई लिटरेचर नहीं प्राप्त हुआ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस अनुदान को स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने जानकारी की, श्रम सम्बन्धी रिपोर्ट तो 7 सितम्बर को वितरित हो चुकी है और आबकारी विभाग के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट छपवाई नहीं गई है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

ये 7 करोड़ की आमदनी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय आबकारी मन्त्री जी यह बतायें कि यह रिपोर्ट किन परिस्थितियों में नहीं छप सकी।

श्रम मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

अध्यक्ष महोदय, यह अब तक किन परिस्थितियों में नहीं छप सकी, पता लगाकर बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष--

आपको बजट का साहित्य तो मिला है। रिपोर्ट तो कार्य-कलापों के बारे में है। रिपोर्ट छपी नहीं है।

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 10--राज्य आबकारी तथा अनुदान संख्या 37--श्रम एवं सेवायोजन

*श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी))--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10--राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,90,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप दूसरी भी रख दीजिए ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37--श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,40,04,600 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मुझे आबकारी विभाग के बारे में बहुत कम कहना है । पिछले तीन वर्षों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आबकारी की जो दुकानें थीं, वह आपात्कालीन स्थिति में आत्मानुशासन के कारण 2,461 से बढ़ा कर 3,000 कर दी गयीं और जो विलायती शराब की दुकानें थीं उनको 421 से बढ़ाकर दुगने से अधिक 854 कर दी गयीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

आपकी आमदनी कितनी बढ़ गयी ? प्रोपोर्शन कितना बढ़ गया ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, इन दो-तीन सालों में 38 करोड़ से लेकर बढ़ते-बढ़ते अब हमारी आमदनी 64 करोड़ रुपए हो गयी है । यह तो हुआ पिछले तीन वर्षों का हाल । अब अगले 3-4 सालों में किए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में हम सदन में आ गए तो वचनबद्धता हो जाती है मद्य-निषेध के सम्बन्ध में और इसको इस प्रदेश में करने के लिए हम भरसक प्रयत्नशील होंगे । चूंकि अभी इस कार्य की शुरुआत ही हुई है और इन दो-तीन माह में जो-जो कदम हमने उठाए हैं, उनको मैं निवेदित कर दूं ।

पहली बात तो यह है कि शराब की दुकानें अब दस बजे के बजाए रात 8 बजे बन्द हुआ करेंगी ताकि लोग रात में पीकर झगड़ा न करें ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

आपने उसमें दो घंटे की कमी कर दी ?

(हंसी)

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

आपको उससे कोई तकलीफ नहीं होगी ।

दूसरी बात यह है कि गांजे की बिक्री बिल्कुल हमने बन्द करा दी है । तीसरी बात यह है कि सार्वजनिक स्थानों में तो पहले भी शराब पीना मना था । अब हम पूरी कड़ाई से उन नियमों का पालन करेंगे और क्लब्स में जो शराब पी जाती थी उसका भी पीना हमने बन्द करा दिया है । चौथी बात यह है कि टिंचर और जिंजर जिनमें 90 प्रतिशत एल्कोहल होता है और टिंचर जिसमें 5 प्रतिशत स्प्रिट होती है और उनको मेडीसिन के रूप में समझा जाता था, उनको हमने अब लीकर यानी शराब घोषित कर दिया है । मृत संजीवनी सुरा जिसमें 40 प्रतिशत एल्कोहल होता है, को भी हमने लीकर घोषित कर दिया है ।

इसके अलावा मान्यवर, जहां तक इस बात का ताल्लुक है शीरे का, उसके उत्पादन स्थल से डिस्टीलरी तक जाने के लिए जगह-जगह लीकेज और वेस्टेज होता था, जहां-जहां हमारे निरीक्षक गए और कुछ रिश्वत ले सकते थे, उसके लिए भी नियम बना दिया गया है जिससे ऐसा न होने पावे।

उसी तरह से बाण्डेड वेअर हाउसेज तक जितना भी वेस्टेज होता था, लीकेज होता था, उनकी मात्रा कम कर दी गयी है और कोशिश यह की जा रही है कि कम से कम वेस्टेज हो और जरें-जरें का हिसाब रखा जा सके, इसकी भी व्यवस्था कर दी गयी है। मद्य निषेध लाने के लिए हमारी वार्ता व्यापक रूप से केन्द्रीय सरकार से चल रही है। जैसा मैंने अभी निवेदन किया आगामी 2–3 सालों के अन्दर ही हमें 60–70 करोड़ रुपए की आमदनी का हल निकालना है। इसलिए केन्द्रीय सरकार से सलाह मश्विरा करने के बाद हम तुरन्त ही कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। मैंने यह भी देखा है कि प्रदेश में 4–6 लोग ही हैं जो फर्जी या बेनामी नाम से तमाम ठेके लिए हुए हैं। इस फ्राडूलेन्ट तरीके की जांच करा रहे हैं कि कैसे उनको लाइसेन्स मिले और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायगी।

ताड़ी में क्लोरिल हाइड्रेट एक प्रकार का जहर मिलाया जाता था। नेता विरोधी दल ने इस प्रकार का जहर मिला कर अब तक अपनी आमदनी बढ़ाई है। अब हमने यह कर दिया है कि एक बूंद भी कहीं पर क्लोरिल हाइड्रेट बनाने नहीं दी जायगी ताकि वह ताड़ी में न मिलाई जा सके और उससे राजस्व का अर्जन न किया जा सके। मान्यवर, माननीय सदस्यों से इतनी ही प्रार्थना है कि इसमें जो मांग की गयी है वह केवल 60 लाख रुपए की है। इसलिए इसमें मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। तमाम किस्म की खामियां मैंने स्वयं ताड़ी के राजस्व के अर्जन में देखीं। जिस-जिस ढंग से हम पैदा करते हैं, आप पूर्ण ढंग से, वह हमको मालूम है और सदन को भी मालूम है, विस्तृत रूप में कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन एक-एक लूप-होल को प्लग करने के लिए तत्काल नियमावली बनाई जा रही है ताकि भविष्य में आपको इस प्रकार की रिश्वतखोरी आदि की शिकायतें न मिल पाएं।

(इस समय 1 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम धर मिश्र पीठासीन हुए।)

अब मैं श्रम एवं सेवायोजन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। क्षमा कीजिए मैं देख नहीं पाया कि वे (अध्यक्ष महोदय) कब अन्तरध्यान हो गए।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय मन्त्री जी बिलकुल ठीक देख रहे हैं। आबकारी से उतर कर श्रम पर आ रहे हैं।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी––

इसके पूर्व कि मैं श्रम एवं सेवायोजन के बारे में कुछ कहूं मैं 2 अर्हताओं के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। एक तो संकल्प में यह घोषित किए देता हूं कि मैं अगले चुनाव में कोई भी चुनाव, इसके बाद नहीं लड़ूंगा और कोई भी पद ग्रहण नहीं करूंगा और तीसरा यह है कि. . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे दद्दू राजनीति में रहें और इस बारे में जो उन्होंने कहा है उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय। यह कोई मौका नहीं था जिस पर इस प्रकार की राजनीतिक घोषणा की जाय। हम उनको राजनीति से अलग नहीं करना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी अपना इरादा बता रहे हैं। अतः इसको कार्यवाही से निकालने का प्रश्न नही उठता। इसको नोट कर लिया गया है।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

श्रम विभाग को चलाने के लिए मेरी यह मान्यता है कि कुछ आवश्यक अर्हताएं होनी चाहिए। उनमें से एक तो यह है कि किसी भी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैंने इसका निवेदन किया।

दूसरी बात यह है मान्यवर, मैं घोषित करता हूं, जैसा मैंने पिछले बजट को पेश करते हुए अप्रैल, 1973 में घोषित किया था, कि मेरी चल-अचल सम्पत्ति 7-8 हजार रुपया है और इससे अधिक मुझे देना है। और पिछली दफा घोषित किया था अत्यन्त विनम्रता के साथ, पूर्ण दायित्व के साथ कि भारत सरकार, प्रदेशीय सरकार और नेता विरोधी दल सब इसकी जांच करवा लें...

श्री अधिष्ठाता--

धन्यवाद। अब श्रम नीति पर आयें।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

इसी पर आम बहस हुई थी 1967 में... (व्यवधान) इतना शौक बीच में बोलने का न रखिए।

एक बात यह है कि जब आम बहस हुई थी बजट पर तब यह कहा गया था कि जनता पार्टी की कोई श्रम नीति नहीं है। इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि जनता पार्टी की श्रमिक नीति यह है कि इस प्रदेश के एक करोड़ से अधिक जो श्रमिक परिवार हैं उनकी औद्योगिक, राजनैतिक और सामाजिक उन्नति करने के लिए उनके संवर्ग को यूनियनाइज करना, संघबद्ध करना और उसके माध्यम से यह तीनों लक्ष्यों की पूर्ति करवाना, यह मान्यवर, हमारे श्रम विभाग की नीति है।

इस प्रदेश में लगभग 50 लाख खेतिहर मजदूर हैं, 5 लाख के लगभग दूकान कर्मचारी हैं, 30 लाख के लगभग कुटीर उद्योगों में रत, छोटे गृह उद्योगों में रत कर्मचारी हैं और लगभग 10 लाख सरकारी, अर्द्ध-सरकारी स्वायत्त शासन निकायों के अन्तर्गत कर्मचारी लोग हैं। जो लोग श्रम विभाग के अन्दर नहीं आते हैं वह वह हैं जोकि विभिन्न कानूनों के अन्दर केन्द्र की देख-रेख में हैं, जैसे रेलवेज हैं। वे लोग जो लिबरल प्रोफेशन्स में हैं जैसे डाक्टर हैं, वकील हैं। जो सेल्फ एम्प्लायर्स हैं, आत्म-नियोजित हैं वह भी श्रम विभाग की परिधि के बाहर हैं और वे लोग जिनकी आमदनी का मुख्य जरिया पूंजी नियोजन है, न कि

श्रम नियोजन। फिर भी हमारा परिवार एक करोड़ से अधिक है और उनकी यह तीनों दिशाओं में उन्नति हो यह हमारी डिक्लेयर्ड नीति है। औद्योगिक जो लक्ष्य हैं वह स्पष्ट हैं कि वेतन बढ़वाना, सेवा शर्तों को बढ़वाना और उसके माध्यम से उत्पादन बढ़वाना।

हम हड़ताल के विरोध में हर परिस्थिति में हों ऐसी बात नहीं है। हमारी यह प्रार्थना है, श्रमिक नेताओं से खास कर, कि कोई भी विवाद हो पहले कृपा करके द्विदलीय वार्ता कर लीजिए। फिर नहीं सफलता होती है तो पंच निर्णय करवा लीजिए। फिर अगर कोई पंच ऐसा नहीं मिलता जो दोनों पार्टियों को मान्य हो तो मजदूर-अदालत से फैसला करवा लीजिए। हम जल्दी से जल्दी और आपकी इच्छा मात्र पर आपकी मजदूर अदालत में मामला भेजेंगे और जल्दी से जल्दी फैसला करवाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। मगर जब तक ये तीनों बातें आप नहीं कर लेते तब तक हड़ताल करना निश्चय ही हमारा जो संसार में सबसे बड़ा गरीब देश है और जिसका यह सबसे बड़ा गरीब सूबा है बिहार वगैरह उसके लिए अत्यन्त हानिकारक है। क्योंकि हमको दो शक्तियों के बीच में संतुलन करना है। हड़ताल करने का अधिकार और उत्पादन बढ़ाने का कर्तव्य—जिस ढंग से मैंने बतलाया है, इन दोनों शक्तियों के बीच में उचित सन्तुलन जनता पार्टी की दृष्टि में उसी रूप में हो सकता है जैसाकि मैंने निवेदित किया है। हड़ताल करने के अधिकार के अन्दर हड़ताल न करने का अधिकार निहित है। इसलिए उसके पहले बैलट होना चाहिए गुप्त मतदान से ताकि मालूम तो हो कि कितने आदमी हड़ताल करना चाहते हैं, कितने नहीं करना चाहते हैं। बहुत से एक्टिविट्स 10 परसेन्ट लोग, मेरे अनुभव में पिछले 40 साल से यह आया है कि हड़ताल करवाते हैं और लोग जो कहना चाहते हैं कि हम हड़ताल न करने के अधिकार को किसी गिवेन परिस्थिति में एक्सरसाइज करना चाहते हैं उनको बैलट द्वारा गुप्त मतदान करने का मौका नहीं मिलता। लिहाजा मैं इसको भी अत्यन्त आवश्यक समझता हूं और जनता पार्टी की तरफ से इस बात को निवेदित करता हूं कि मैं इसको अत्यन्त पवित्र कर्त्तव्य श्रमिक नेताओं का समझता हूं कि वह हड़ताल के पहले सीक्रेट बैलट से सारी बातें सही-सही समझा कर कि कितना नुक्सान होगा, क्या मिल सकता है, उसके बाद ही हड़ताल करवाएं। यह बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त 2, 3, 4 छोटे-छोटे कारखानों में ही हड़ताल या लाक आउट है और सम्बन्धित मजदूर एक हजार के आस-पास हैं। मगर इसके यह माने नहीं हैं कि हम अपनी तत्परता में कोई कमी आने देंगे। हम जितनी गम्भीरता के साथ औद्योगिक शान्ति चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। उसके बारे में किसी प्रकार की शंका करना उचित नहीं होगा।

मान्यवर, पौने तीन सौ मुकदमें के जो फैसले हुए वह दो साल हो गए, अभी तक छपे भी नहीं हैं। अब उन मजदूरों के दुख की पीड़ा का आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जो वर्षों के प्रयास के बाद जीते उनको यह भी नहीं मालूम कि हम हारे या जीते। जब यह तथ्य मैं बताता हूं तो मैं मानता हूं कि नेता विरोधी दल को बैठना कठिन हो जाता है। इसी तरह से सैकड़ों ऐसे एवार्ड्स हैं जिनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। अगर कोई जीतता है और जीतने के बाद उसको पूरा लाभ नहीं मिलता और कुछ समय के बाद वह एवार्ड्स डेड हो जाते हैं। यह काला इतिहास श्रमिक सम्बन्धों का अबसे पहले रहा है। हम इस सब को बहुत जल्द दूर करना चाहते हैं। जहाँ तक जल्द से जल्द मुकदमें फैसले करने का ताल्लुक

[श्री गणेश दत्त बाजपेयी]

है वह संशोधन विधेयक आज विधान परिषद् में प्रस्तुत हो गया है। इस सम्बन्ध में नियमावली भी बन गयी है। ऐसी परिस्थिति में इससे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहाँ तक श्रमिकों के सामाजिक लक्ष्यों का ताल्लुक है हमने एक सिद्धान्त बनाया है जिसको श्रमिक पंचशील कहते हैं। इसके अन्दर (1) परिवार नियोजन, (2) नशा-बन्दी, (3) छुआछूत और जाति भेद का अपने श्रमिक वर्ग के अन्दर नाश करना, (4) सहकारिता और (5) सर्व-धर्म सम्भाव की मारफत राष्ट्रीय एकता का प्रचार करना, ये पाँजें चीज हैं। पिछले 50 सालों से भारतवर्ष की ट्रेड यूनियन मूवमेंट का यह इतिहास रहा है कि सामाजिक कर्तव्यों के प्रति ट्रेड यूनियनें बिल्कुल उदासीन रही हैं। अब हम उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं क्योंकि हिन्दुस्तान के बाहर की ट्रेड यूनियनें जानती हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों में, औद्योगिक उद्देश्यों में और सामाजिक उद्देश्यों में अन्योन्याश्रयी भाव है और बिना उनके समन्वय के यूनियनें सफल नहीं हो सकती हैं। विभिन्न प्रश्नों को उठा कर सेवा शर्तों को उन्नत करवाना इसको मैं मानता हूं लेकिन यह औद्योगिक लक्ष्य है। इसके अलावा सामाजिक लक्ष्यों की तरफ यूनियनों ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि यूनियनें जब सालाना रिटर्न भेजेंगी तो अपने चन्दे से इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी पैसा खर्च करना कानूनी तौर पर लाजमी होगा और काम करना भी लाजमी होगा और उसकी रिपोर्ट भेजना भी लाजमी होगा।

इसी तरह से मान्यवर, राजनैतिक उद्देश्यों का ताल्लुक है इस प्रदेश माने इस देश में, जहाँ तक हमारी जानकारी है आजादी मिलने के बाद से एक भी मजदूर प्रतिनिधि लोक सभा में चुन कर नहीं गया। एक भी मजदूर प्रतिनिधि विधान सभा में चुन कर नहीं गया। एक भी मजदूर प्रतिनिधि विधान परिषद् में चुन कर नहीं गया। एक भी मजदूर प्रतिनिधि स्थानीय निकाय में चुन कर नहीं गया। एक भी मजदूर प्रतिनिधि ग्राम सभा का प्रधान नहीं हुआ। हम दिन-रात कहते रहे कि हम किसान मजदूर चाहते हैं और यह तब हुई हालत जब कि देश की आधी आमदनी किसान पैदा करता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, आधी मजदूर पैदा करता है और इंगलैण्ड में मजदूर प्रतिनिधि चुनाव का पूरा पैसा वहाँ की यूनियन फेडरेशन देती है। नामजदगी का सदस्य गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। यह मैं साफ कर देना चाहता हूं, वरना मुझको, डाँगे को, उग्रसेन जी को मजदूर प्रतिनिधि समझ सकते हैं। यह परिभाषा भारतीय हो सकती हे और कहीं की नहीं।

हम ऐसे कानून बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक धन्धे में एक सिंगिल लीगल सोल बारगेनिंग एजेन्ट बने और उसको चेक आउट सिस्टम माने मजदूरों के जो सदस्यता शुल्क हैं, मान लीजिए एक प्रतिशत, यूरोप में एक-डेढ़ के लगभग है, वह तनख्वाह से कट जाय और कुछ राजनैतिक कोष में कट जाया करे। पोलिटिकल फण्ड में 2 शिलिंग 10 पैंस देते हैं। 1874 से 2 आदमी, ब्रिटिश लेबर ग्रुप, फिर ब्रिटिश लेबर पार्टी, आज उनका राज्य है, सैकड़ों एम0 पी0, दर्जनों मिनिस्टर्स इसी चन्दे से वहाँ चुने जाते हैं और यहाँ पर हमारे देश में वह चन्दे का किसने रखा, कैसे रखा, इसकी तफतीश की जरूरत पड़ती है और मुकदमें चलाने की जरूरत पड़ती है। मजदूर की गाढ़ी कमाई से उसके प्रथम मतदान से, गुप्त

मतदान से चुना जायगा, तभी पार्टिसिपेंट मत होता है।

मैं यह देखना चाहता हूं, 5 साल के अन्दर हमारे तुच्छ प्रयासों से सारे हिन्दुस्तान में जहाँ-जहाँ यह जनता पार्टी की सरकारें हैं, न सही, तो इस प्रदेश की सरकार में यूनियन के फेडरेशन से चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ भी बैठे हैं, बाहर जुलूस निकाल कर न चले जायं। इसके लिए धारा 16 में जो पोलिटिकल फंड की व्यवस्था है, जिसको सब लोगों ने पढ़कर 40 साल से नहीं बनाया, उसको बनाया जाय। कानून मौजूद है, जो चौखम्बा राज्य कहलाता है, श्रमिक प्रतिनिधियों को इन तीनों कर्त्तव्यों के पालन के लिए संसार में दूसरा कोई साधन मौजूद नहीं है, सिवाय मजदूरों के संगठन के। इस वक्त 4 लाख, साढ़े 4 लाख, 1700 यूनियनों के सदस्य हैं, उनमें आधे से ज्यादा बोगस हैं। इससे अच्छा है मुल्क इंगलैण्ड में वहाँ 1 करोड़ 3 लाख के करीब सक्रिय सदस्य हैं। यहाँ पर 1 करोड़ हटाइए, 3 लाख का मैं कह नहीं सकता। यहाँ पर कुल 5-6 लाख मजदूर कारखानों में काम करते हैं, उसमें होंगी लगभग 500 यूनियनें, 50 लाख हमारे खेतिहर मजदूर, उसमें कोई प्रभावी यूनियन नहीं। 30 लाख के लगभग कुटीर उद्योग में होंगे तो इनको प्रभावी यूनियन नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि समाजवाद और किसान मजदूर रटने वाले, दरिद्र नारायण की सेवा करने वाले कहाँ काफूर हो गए पिछले 30 सालों से। तो मान्यवर, श्रम विभाग को दिशा दी जा रही है, इस सम्बन्ध में। डाइरेक्शन दिया जा रहा है, थ्रस्ट वेग दिया जा रहा है कि यह जो 1 करोड़ 5 लाख के लगभग जो श्रमिक हैं इनकी तरक्की हो। इस दृष्टि से ध्यान दिया जा रहा है कि उनकी तरक्की के लिए कानून बनायें। उनको संगठित करें, सामाजिक दृष्टि से उनका उत्थान हो ताकि उत्पादन बढ़े और इनका समाज में अपना स्थान बढ़े।

मान्यवर, जहाँ तक आपसे जो हम याचना कर रहे हैं कि फंड्स की बहुत कमी है। क्योंकि आप हर साल घटाते जाते हैं पैसे को और महंगाई बढ़ती जाती है। 15-20 साल पहले जो क्वार्टर्स इनके लिए बनाए गए तब से नहीं बन पाए हैं। इनकी मरम्मत के लिए भी पैसा नहीं है। आपको शिकायत है कि लेबर कालोनीज में ड्रेनेज ठीक नहीं है, सीवेज ठीक नहीं है। तो इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह श्रम विभाग के फंड्स से नहीं होता। हम अपने लोकल सेल्फ विभाग से कह रहे हैं कि आप हमसे वाटर टैक्स लेते हैं, हाउस टैक्स लेते हैं, तो यह ठीक हो जायेंगे। यह हमारी आपसी बात है। आपसे हम यही कहते हैं कि हम इस परिस्थिति को सुधारेंगे। एक बात और बतला दूं कि साढ़े तीन सौ माहवार पाने वालों से ऊपर पाने वालो का किराया बढ़ाने की जो बात चल रही है, उसके बारे में हमने अभी कोई फैसला नहीं किया है।

मान्यवर, हमारे पास वेलफेयर के लिए बहुत ही कम रुपया है। जो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं उसके लिए इस रुपए की मात्रा कम है। हमको देखना है, हम किसी न किसी तरीके से करेंगे, हम यह चाहते है कि प्रत्येक फैक्टरी में जो मजदूर हैं उनका साल में एक दफे फिजिकल चेक-अप पूरा हो सके। 80 फीसदी ऐसे है जिनको शायद चश्मे की जरूरत होगी। उनको कभी पैसा नहीं मिला कि वह अपनी आई साइट टेस्ट करा सकें। तो इस चीज का श्रीगणेश कराना चाहते हैं। यह इस साल प्रारम्भ हो जायगा, तुरन्त प्रारम्भ हो जायगा।

[श्री गणेश दत्त बाजपेयी]

श्रीमन्, श्रम के आगे सेवायोजन भी है। मान्यवर, हमारे पास 65 आई0 टी0 आईज0 हैं। इस सम्बन्ध में मैं 2–1 जुमलों में निवेदन करूंगा। मान्यवर, हर साल 15 हजार विद्यार्थी हम चुनते हैं। 26 हजार इनमें पढ़ते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि चयन समितियां जो हर जिलों में थीं उनको तोड़ दिया गया है और मेरिट पर भर्ती की गयी है। माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया था कि मिनिमम क्वालीफिकेशन 8वें दर्जे की है। लेकिन वहां पर आप इण्टरमीडिएट, बी0 ए0 वालों को ले रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में एक-एक घटे की पढ़ाई का कैरीकुलम, थ्योरी और प्रैक्टिकल का क्या होना चाहिए यह दिल्ली द्वारा निर्धारित होता है और वहां से पर्चा बनकर आता है। पर्चा इतना कठिन है कि जहां आज 8वें पास को भर्ती कराना चाहते हैं, लिखा तो है कि मिनिमम क्वालीफिकेशन 8वीं स्टैंडर्ड, लेकिन यदि उसमें गणित इण्टर की हो तो सिवा उनको फेल कराकर 2 साल का जीवन नष्ट करने के और कोई चारा नहीं रह जाता है और इसमें छात्र का तथा हमारा भी रुपया व्यर्थ जाता है। परीक्षा में जैसे पहले 100 फीसदी पास करते थे तो अब बाहरी लोगों से जांच कराते हैं तो इसमें अब ऐसा नहीं होगा। इंवीजीलेशन भी अब बाहर के करेंगे। यह भी कह दिया गया है कि जो फेल हो जायगा उसका इफीशियेंसी बार रोक दिया जायगा जिससे वे पढ़ें। यह सेवायोजन के सम्बन्ध में सूक्ष्म निवेदन है। अब मैं माननीय सदस्यों को सुनूंगा और फिर बाद में जो मालूम है, वह बताने की कोशिश करूंगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)––

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10–राज्य आबकारी के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37––श्रम एव सेवायोजन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी माननीय श्रम मन्त्री, जनता पार्टी द्वारा क्या श्रम नीति बनाई जाने वाली है, इसके बारे में जिक्र किया। मान्यवर, किसी भी सरकार की कोई श्रम नीति तब तक नहीं बन सकती जब तक कि आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में कोई नीति न निश्चित हो। आर्थिक कार्यक्रम की क्या दिशा होगी यह जब तक निश्चित न हो तब तक असम्भव है कि कोई दल अपनी नीति बना सके। जहां तक आर्थिक कार्यक्रम के बारे में है वहां हमारे जनता पार्टी के नेताओं ने एक तरफ तो सुब्रामणियम स्वामी के वक्तव्य आ रहे हैं, दूसरे मधु दंडवते के वक्तव्य आ रहे हैं और तीसरी तरफ मोरार जी देसाई जी के वक्तव्य आ रहे हैं और अभी वह स्वीकार करते हैं कि कोई उनकी आर्थिक नीति नहीं है। अब क्या आर्थिक नीति होगी माननीय मन्त्री जी ने बड़ी खूबसूरती से 5 सूत्री कार्यक्रम गिना दिए। यह वही कार्यक्रम है जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संजय गांधी ने चलाए थे। अब 5 सूत्री कार्यक्रम रह गया है, जो नशाबन्दी कराते थे, अब परिवार नियोजन के नाम पर मजदूर बस्तियों में करायेंगे। इसलिए मान्यवर, जो पूंजीवादी देशों के अन्दर परम्परा डाली गयी है कि ट्रेड यनियन का आर्थिक मामलों से ध्यान हटाकर और बातों की तरफ ले जाय यह उस परिपाटी की नकल है जो ब्रतानियां, जो पश्चिमी जर्मनी में होता है। लिहाजा बड़ी खूबसूरती से 5 सूत्री कार्यक्रम हमारे माननीय मन्त्री जी बना रहे हैं।

मान्यवर, चुनाव के समय जनता पार्टी द्वारा श्रमिकों के बारे में कुछ आश्वासन दिए गए और कहा गया था कि न्यूनतम वेतन दिया जायेगा बढ़े हुए अनुपात के हिसाब से मजदूरों को लाभान्वित किया जायगा। आय में जो विषमताएं हैं उनको घटाकर 1 और 20 का अन्तर रखा जायगा। मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जायगा और बेरोजगारी समाप्त की जायगी। मान्यवर, हालत क्या है। माननीय श्रम मन्त्री जी जानते हैं कि सन् 1957 में नीड बेस्ड मिनीमम वेज का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था और नीति क्या मानी गयी थी। जो न्युट्रीशन एडवाइजरी कमेटी थी उसकी नीति मानी गयी थी कि एक आदमी को जिन्दा रहने के लिए यह चीजें चाहिए। 395 ग्राम अनाज, 85 ग्राम दाल, 57 ग्राम चीनी, 230 ग्राम दूध, 85 ग्राम गोश्त आदि-आदि। 24 गज कपड़ा और 15 रुपया प्रतिमास शिक्षा के लिए भी इसमें कहा गया था। लेकिन क्या यह सब उनको मिल रहा है?

मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वह कुछ न करें एक बात कर दें कि उत्तर प्रदेश के अन्दर बगैर पेट्रोल के गाड़ी चलेंगी। वह जानते हैं कि पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चल सकतीं। जब पेट्रोल के वगैर गाड़ी नहीं चल सकती है तो जो मिनीमम चीजें हैं वह किसान और मजदूर के पेट में न जायं तो वह कैसे चल सकता है? 20 साल हो गए इस सिद्धान्त को माने हुए लेकिन कुछ नहीं किया गया। मेरे अन्य मित्र, जनसंघ के लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस का राज्य रहा, सोशलिस्ट भी यही कह सकते हैं लेकिन मन्त्री जी यह नहीं कह सकते। सन् 1974 तक वह कांग्रेस के साथ रहे और उसकी नीतियों का संचालन करते रहे। उस समय भी वह मन्त्रि-मन्डल में मन्त्री रहे। हकीकत क्या है, मान्यवर। जनता राज्य। जनता राज्य में क्या हो रहा है। लगातार मजदूरों के ऊपर हमला। सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा करने में असफल रही है और बड़े-बड़े इजारेदारों के सामने सरेन्डर किया जा रहा है, घुटने टेके जा रहे हैं। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। माननीय प्रधान मन्त्री तारीखें बदलते जा रहे हैं। कभी कहते हैं एक महीने में चीजों के दाम गिर जायंगे, कभी कहते हैं साल भर के बाद। अब कहने लगे कि जब दूसरा बजट आएगा तब महंगाई खत्म होगी। महंगाई का हाल यह है कि तेल 15 रुपए हो गया। दालें चार और पाँच रुपए के बीच में बिक रही हैं। कपड़े के दाम बढ़ रहे हैं, साबुन के दाम बढ़ रहे है जो कि मजदूरों के इस्तेमाल की चीजें हैं। जनता पार्टी की सरकार कौन से कदम उठा रही है? अगर महंगाई कम करना है तो मुनाफाखोरों के ऊपर चोट करनी पड़ेगी। एक तरफ तो यह कह रहे हैं और दूसरी तरफ मूल्य सूचकांक छलपूर्वक बताए जात हैं।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

इसी पुस्तक में मैं देख रहा था। कहा जाता है कि पिछले एक वर्ष में 5.2 प्रतिशत कीमतें गिरी हैं और जब चूंकि कीमतें गिरी हैं लिहाजा मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाने की जरूरत नहीं है बल्कि उनकी महंगाई कम कर दी। जो मजदूरों की वास्तविक मजदूरी है उसमें लगातार कमी होती जा रही हैं। कॉंग्रेस का जमाना तो था ही लेकिन जब जनता पार्टी की हुकूमत आई है तब भी लगातार उस में कमी होती जा रही है। एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ बैंठकी। प्रदेश के अन्दर हजारों मजदूर हैं जिन को कारखानों के अन्दर काम नहीं करने दिया जा रहा है, ले-आफ किया जा रहा हैं। जे0 के0 मैन्युफेक्चरर्स, कानपुर, जे0 के0 इलेक्ट्रोनिक, कानपुर, हजारों मजदूर घर बैठे हुए हैं। क्या कर रही है जनता सरकार उन के लिए।

उद्योग मन्त्री स्वीकार कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 60 प्रतिशत तेल के कारखानें बन्द पड़े हैं। भदोई में कपास का कारखाना बन्द पड़ा हुआ है। 23 महीने से वहाँ मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली है। हिन्डालको का तो बयान ही नहीं किया जा सकता है 70 प्रतिशत मजदूर ले-आफ हैं। 125 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया है। लगातार वहाँ के मजदूर श्रम मन्त्री जी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। निवेदन कर रहे हैं कि पंच समझौते के लिए तैयार हैं। वहाँ की यूनियन पंच समझौते की बात कर रही है। क्योंकि बिड़ला जी का कारखाना है लिहाजा सरकार को हिम्मत नहीं पड़ी। बिडला जी क्या करते हैं माइनोरिटी यूनियन से बात कर लेते हैं लेकिन जो मेजोरिटी यूनियन है उससे बात करने को तैयार नहीं होते। मन्त्री जी से मिल लिए, निवेदन कर लिया, हम ने भी फैसला कर लिया है कि यदि पंच फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो पहली अक्तूबर से हड़ताल करने का नोटिस देने जा रहे हैं और बिड़ला कारखाने को बन्द करेंगे।

दूसरी मार क्या है मजदूरों के ऊपर ? जो कमाया हुआ वेतन है उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। मन्त्री जी जानते हैं स्वदेशी काटन मिल, कानपुर, जयपुरिया जी की, डेढ करोड़ रुपए की जमानत दे कर के इस मिल को कर्जा दिलवाया ताकि चल पड़े। लेकिन आज भी हालत यह है कि पिछले चार पखवाड़े से मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया और मुझे डर है मान्यवर, अगर अभी सरकार सचेत नहीं होती तो कहीं यह डेढ़ करोड़ रुपया साफ न हो जाय और कारखाना बिल्कुल ही ठप्प न हो जाय।

सरकारी चीनी के कारखाने चाहे वे कोआपरेटिव शुगर मिल हों या व्यक्तिगत शुगर मिल हों, तमाम मिलों के अन्दर करोड़ों रुपए मजदूरों के वेतन के बकाया पड़े हैं जो मजदूर कमा चुके हैं। कल परसों ही यहाँ बुलन्दशहर के बारे में माननीय सदस्य ने कहा था कि चार लाख रुपया केवल एक मिल के ऊपर मजदूरों का बकाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कदम उठाने जा रहे हैं आप कि मजदूरों का खुद कमाया हुआ वेतन नहीं मिल रहा है ? कैसे आप इन मजदूरों को राहत देने जा रहे हैं ?

इतना ही नहीं, सरकार ने कुछ कानून बनाए मजदूरों के हित के लिए, लेकिन उन कानूनों के ऊपर अमल नहीं हो रहा है। श्रम विभाग खामोश बैठा हुआ है क्योंकि उस के पास कोई मशीन नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में इस बात का निर्णय लिया गया और कानून पास किया गया कि समान कार्य के लिए पुरुष और महिलाओं के वेतन में कोई अन्तर नहीं रखा जायगा कानून पास हो गया लेकिन आज भी उस कानून पर कोई अमल नहीं हो रहा

हैं। यही नहीं निजी क्षेत्र में यह हो रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में भी यह हो रहा है। निर्माण कारपोरेशन जो पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग है उसमें मिनिमम वेजेज नहीं दी जा रही हैं। सरकारी कारखानें जिनको सरकार संचालित कर रही है वह सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का खुले आम उल्लंघन कर रहे हैं और श्रम मन्त्री जी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। खेत मजदूरों का न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया, कौन सी मशीनरी आपके पास है जिसके द्वारा आप खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिला सकते हैं। आपने कानून तो पास कर दिया लेकिन देहात के अन्दर जाइए आज भी वहाँ जो बड़े-बड़े धनी किसान हैं वे खेत में मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं।

न्यूज पेपर इन्डस्ट्री में अन्तरिम सहायता की घोषणा की गयी। स्वतन्त्र भारत तथा पायनियर के अलावा किसी भी अखवार ने शायद अन्तरिम सहायता पूर्ण रूप से नहीं दी। बहुत से समाचार पत्र तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक दी ही नहीं है और कुछ ने अगर दी है तो बहुत कम प्रतिशत दी है। ठेकेदारी उन्मूलन विधेयक पास हुआ। उत्तर प्रदेश में उसके नियम भी बन गए लेकिन आज भी उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है और पालन न करने वालों में सबसे पहले पब्लिक सेक्टर में जो इन्डस्ट्रीज आती हैं, वे कर रही हैं। माननीय मन्त्री जी से सम्बन्ध नहीं है, इन्कार कर सकते हैं लेकिन विद्युत् परिषद् के अन्दर आज भी ठेकेदारों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। फिर क्या फायदा है इन कानूनों को बनाने से जब उन पर इम्प्लीमेंटेशन नही होना है। जहाँ तक न्यूनतम वेतन का प्रश्न है मुझे मालूम है बहुत से विभागों में अभी तक न्यूनतम वेतन लागू नहीं हुआ है। निर्माण कार्य में जो मजदूर लगे हैं लगातार माँग करते आ रहे हैं लेकिन न्यूनतम वेतन उनके लिए लागू नहीं किया गया। सबसे ज्यादा शोषित मजदूर वही है जो काम करता है सड़क बनाने में, इमारत बनानें में, बड़े-बड़े डैम बनाने में। उत्तरकाशी में जो डैम बन रहा है, बहुत बड़ी योजना है। हजारों मजदूर उसमें काम कर रहा है। लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि जिस तरह से आपने खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया है उसी तरह से निर्माण मजदूरों के बारे में न्यूनतम वेतन तय कर दिया जाय लेकिन श्रम विभाग नें उनका मामला दबा पड़ा हुआ है और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इसी तरह से फारेस्ट लेबर सबसे अधिक दलित और शोषित है। एक दफा एक मजदूर को जिस मालदार ने कर्जा दे दिया तीन पुश्तें उसकी उसी कर्ज में रह जायंगी। उनके लिए मांग की गयी थी कि न्यूनतम वेतन उनका होना चाहिए लेकिन वह आज तक नहीं हुआ। जो आपने मिनिमम वेजेज फिक्स की है चाय बागान में, देहरादून के, उनको भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। केवल 5 रुपए आप एक मजदूर के लिए न्यूनतम वेतन के बतौर देते हैं। चार इतवार कट गए तो एक मजदूर को 5 रुपए के हिसाब से 135 रुपए प्रति माह मिलते हैं। जिसमें वह अपना और अपने परिवार का पालन कैसे कर सकता है? यह आप ही अन्दाजा लगा सकते हैं। यह पहले से तय था कोई नई बात नहीं की है 20 पैसा पर किलो पत्ती तोड़ने के लिए जो रखा है यह पहले से ही वहां के चाय बागान के मालिकों ने दिया है, वह उसे देते आए हैं। मेरा निवेदन है कि इसको आप रिवाइज कीजिए कम से कम 9 रुपया रखिए मजदूरी और कम से कम 35 पैसा पर किलो पत्ती तोड़ने के लिए रखिए।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

इसी तरह से बल्ब इन्डस्ट्री में आपने जो मिनिमम वेज तय की है वह फिरोजाबाद के चूड़ी के कारखानों के मजदूरों की मजदूरी के आधार पर रखा है। लेकिन आप देखिए कि चूड़ी बनाने वाले कारखानें को कितना मुनाफा होता है और इस बल्ब इन्डस्ट्री के मैनेजर को कितना मुनाफा होता है। यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, सारे प्रदेश के अन्दर मांग की जा रही है कि न्यूनतम वेज जो आपने पहले रखी है, वह रिवाइज होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेगी जी 20 मिनट हो गए अब आप दूसरे विषय पर भी 5, 10 मिनट कहिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं इसी पर चर्चा करूंगा। दूसरे पर हमारे रियासत भाई हैं।

मैं यह कह रहा था कि जो सीमेन्ट उद्योग, चीनी उद्योग, टेक्सटाईल इन्डस्ट्री के तमाम मजदूर हैं उनकी मजदूरी रिवाइज होनी चाहिए। जब तक आप वेज बोर्ड गठित करते हैं तब तक कम से कम 40 प्रतिशत अन्तरिम बढ़ोत्तरी उनके लिए स्वीकार करें ताकि मजदूरों को सन्तुष्ट किया जा सके।

अब आपका श्रम विभाग है, ईमानदारी की बात है मुझे माननीय गणेशदत्त बाजपेई जी, जो हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर रहे हैं और हमारे गुरू रहे हैं बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके अन्डर में काम किया है, उन पर तरस आता है, रहम आता है। इसलिए इसे श्रम विभाग नाम रखना बेकार है इसे 'निजी श्रम विभाग' कहें तो अच्छा है। मान्यवर, सार्वजनिक क्षेत्र में 55 कारपोरेशन हैं लेकिन हालत यह है कि माननीय बाजपेई जी को यह कहना पड़ा। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अन्दर बड़े-बड़े आफिसर चेयरमैन के रूप में बैठे हुए हैं वह जो आदेश देते हैं श्रम विभाग को उनके आदेशों का पालन करना पड़ता है। उल्टी बात हो रही है, मान्यवर, श्रम विभाग के सेक्रेटरी की हिम्मत नहीं है कि वह चेयरमैन को टेलीफून कर सके या कारपोरेशन के चेयरमैन को टेलीफून कर सके। चेयरमैन जो हुक्म देगा लेबर सेक्रेटरी को नाक रगड़ कर उसका पालन करना पड़ेगा।

मैं मिसाल देता हूं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, बी0 एच0 ई0 एल0 की। वहां के मजदूरों की मांग चल रही है उनकी तरफ से हुक्म आता है और श्रम मन्त्रालय यह घोषणा कर देता है कि मेरठ रीजन में कोई हड़ताल नहीं होगी और हड़ताल पर बैन कर दिया गया। तो मान्यवर, जहां ब्यूरोक्रेसी इतनी सशक्त है वहां हमारे बेचारे बाजपेई जी क्या करेंगे। वे रिटायर होना चाहते हैं मेरा ख्याल है उसका यही कारण है। आज जो नीति चली आ रही है वह उसमें असमर्थ हो रहे हैं इसलिए उनको घोषणा करनी पड़ी। मान्यवर, एक मिसाल देता हूं बिजली बोर्ड के बारे में, वहां के रुटीन ग्रेड क्लर्क का वर्गीकरण हो गया मेरठ ट्रिब्यूनल से एवार्ड हो गया और उस एवार्ड को छापा नहीं गया, ऐसा नहीं है कि छापा नहीं गया बल्कि वह दुबारा वापस कर दिया गया। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं क्योंकि वह कहते हैं कि हड़ताल न हो, यह तो हमारा अधिकार है। हमारे हक में फैसला कर दिया गया है उसको

आप छापते नहीं हैं और उसे लागू नहीं करते हैं तो इसमें सिवाय हड़ताल के कौन सा दूसरा हथियार हमारे पास रह जाता है। अब आप निजी क्षेत्र में आइए। जैसा मैंने शरू में कहा और कितने बार कहें कि जनता पार्टी की सरकार इजारेदारों के सामने घुटने टेक रही है। (एक स्वर- यह गलत है) पिछली सरकार में हमारे माननीय मन्त्री जी जिस समय राज्य मन्त्री थे, अपने ट्रेड यूनियन के अनुभव के आधार पर उन्होंने कुछ आर्डर बनाए, किन्तु कांग्रेस वालों ने उन पर अमल नहीं किया। अब वह कैबिनेट मन्त्री बन गए और उन्होंने ताल ठोंक कर उन स्टैंडिग आर्डर्स को अमल कराने की कोशिश की, किन्तु उसके खिलाफ हाई कोर्ट में 500 रिटें हो गयीं। इसके लिए उनको आर्डिनेन्स लाना चाहिए था। तो रिट होने की वजह से तमाम स्टैंडिग आर्डर्स वापस ले लिए गए बिना अदालत का फैसला हुए।

मान्यवर, एक बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में पूंजीपतियों द्वारा चलाई जा रही है। गाजियाबाद की घटनाएं इस सदन में आ चुकी हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स फायरिंग करने लग गए हैं और उसमें 50 से अधिक मजदूरों को घायल कर दिया गया। इतना ही नहीं, मान्यवर, गाजियाबाद के ट्रेड यूनियन लीडर का कत्ल किया जाता है और उसकी लाश कुयें में डाल दी जाती है, किन्तु उस पर कोई इन्क्वायरी नहीं होती है। (एक स्वर-- यह गलत है) यदि गलत है, तो उस पर इन्क्वायरी क्यों नहीं होती है। इन्क्वायरी कराइए सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको स्मरण होगा चौधरी चरण सिंह के समय में मोदीनगर में फायरिंग हुई थी, तो उस समय भी जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग की गयी थी, जिस पर जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग चौधरी साहब ने स्वीकार की थी। यदि आपकी बात सही है, तो आप क्यों घबड़ाते हैं कि जुडिशियल इन्क्वायरी न हो। श्री हरीश तिवारी, जो यू0 पी0 ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक प्रमुख नेता है, को विद्युत् परिषद् द्वारा मजदूर विवाद पर फैसला करने के लिए बुलाया जाता है विद्युत् परिषद् कार्यालय में। फैसला हो जाता है किन्तु फैसले के बाद उन पर कुछ गुन्डा तत्वों द्वारा हमला किया गया और वह अस्पताल में भर्ती रहे.....

एक सदस्य--

वह सी0 पी0 आई0 वाले थे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

नहीं, आर0 एस0 एस0 वालों ने हमला किया था। केरल की सरकार अपने श्रमिकों के सन्तोष के लिए बिना आर्डिनेन्स निकले अपने यहां के प्रमुख त्योहार ओणम के पहले बोनस की घोषणा कर देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आर्डिनेन्स निकल गया, ईद निकल गई और दशहरा निकलने वाला है, लेकिन बोनस के अदायगी की घोषणा नहीं हो रही है। निजी क्षेत्र में ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र में भी बोनस नहीं हो रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अविलम्ब अपने सार्वजनिक क्षेत्र के मजदरों को बोनस दिलाने की कृपा करें और निजी क्षेत्र के ऊपर भी अपने असर का इस्तेमाल करके बोनस मजदूरों को शीघ्र दिलाएं।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

अब एक सी0 डी0 एस0 का मामला है। दूसरी किश्त तो दूर रही, पहली किश्त की भी अदायगी नहीं हुई। बेरोजगारी के बारे में मन्त्री जी खुद स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर सन् 1976 में 11,20,500 बेरोजगार थे, जबकि सन् 1975 में 8 लाख 11 हजार के करीब थे। तो यह क्या योजना है कि जो रोजगार पर लगे हैं, उनको भी अलग करेंगे। मास्टरों को आप अलग कर रहे हैं।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि मजदूरों के अन्दर भयंकर असन्तोष है, जगह-जगह हड़ताल, प्रदर्शन और घेराव हो रहे हैं, यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ला एन्ड आर्डर के गार्जेन्स को बुलाकर यह आदेश दिए हैं कि इन विरोधों का, इन आन्दोलनों का सख्ती से दमन कर दिया जाए। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि कोई सरकार, कोई ताकत या कोई पुलिस मजदूरों को नहीं दबा सकी है। यदि मांगें मंजूर न हुई, 40 प्रतिशत की अंतरिम बढोत्तरी न दी गयी, बोनस की अदायगी नहीं की गई, कानूनों का ठीक से पालन नहीं हुआ, कानूनी हड़ताल का हक बरकरार नहीं रहा, गाजियाबाद काण्ड की जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं कराई गई तो प्रदेश के अन्दर, मजदूरों के अन्दर आन्दोलन बढ़ेगा, मजबूर हो कर उनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत श्रम बजट का मैं समर्थन करता हूं। कुछ व्यवहारिक सुझाव माननीय मन्त्री जी की सेवा में फिरोजाबाद में चूड़ी प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

फिरोजाबाद के चूड़ी प्रतिष्ठानों में अभी तक किसी भी प्रतिष्ठान में न्यूनतम वेजेज का सिद्धान्त और कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। वहां पर चूड़ियों की जुड़ाई के लिए बहुत ही कम वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जिनको पंखों में लगातार काम करना पड़ता है और केवल सवा तीन रुपए की मजदूरी मिल रही है। जिससे उनकी हालत बड़ी दयनीय है। चूड़ी के प्रतिष्ठानों में न्यूनतम वेतन का सिद्धान्त अविलम्ब लागू किया जाय। वहां पर चूड़ी कटाई की इन्डस्ट्रीज हैं। चूड़ी की कटाई करने वाले श्रमिकों की रोजाना की आमदनी ढ़ाई रुपए पौने तीन रुपए पड़ती है। जो वर्तमान स्थिति में उनके जीवन के गुजारा लायक नहीं है, बहुत कम है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर भी न्यूनतम वेतन अविलम्ब लागू कराएं।

(इस समय 2 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भूनाथ पीठासीन हुए।)

इसके बाद मैं, निवेदन करूंगा फिरोजाबाद में चूड़ी का अजीब प्रकार का व्यवसाय है। इसमें काम रात को 12 बजे शुरू होता है क्योंकि उसके लिए मोइस्ट वेदर चाहिए. इसलिए दिन में काम चल नहीं सकता। वहां पर कारीगर भट्टियों को ठीक करके रात को 12 बजे एक बजे दो बजे काम शुरू करते हैं। इस प्रकार से काम कभी भी एक साथ समय पर सुबह समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए हार्न सिस्टम नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में जब भट्टियां जलती हैं तो बीच में आध घंटा की छुट्टी का जो प्राविधान

है के फिरोजाबाद के इतिहास में कभी नहीं दी गयी। इस आध घंटे की छुट्टी का ओवर टाइम पारिश्रमिक वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें काम करते हैं। वहां पर किसी भी दशा में आठ घंटे काम नहीं होता, अब तक 10-12 घंटे काम होता है। आठ घंटे से अधिक काम के लिए भी ओवरटाइम मिलना चाहिए वह उनकी तनख्वाह के साथ नियत कर दिया जाय। तो फिरोजाबाद की एक प्रोब्लम खत्म हो जायगी।

वहां पर जितने प्रतिष्ठान बने हुए हैं कोई भी फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार नहीं बना है। न कोई वेलफेयर सेंटर है न पानी पिलाने की व्यवस्था है। न फर्स्ट-एड चिकित्सा के लिए अधिकारी नियुक्त हैं। अगर भट्टी पर काम करने वालों का पसीना कहीं बन्द हो जाय तो उनको तुरन्त इंजेक्शन चाहिए वरना मजदूर मर जायगा। ऐसी स्थिति में मजदूर काम छोड़ कर भाग जाते हैं और अपने पैसे से इंजेक्शन लगवाते हैं। इस लिए फर्स्ट-एड की चिकित्सा व्यवस्था और जो लोग जल जाते हैं उनको बरनाल लगाने की व्यवस्था करें। फैक्टरी के इन्स्पेक्टर फैक्टरियों को नए ढंग से इस प्रकार बनवाएं जिससे मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अच्छी रोशनी और हवा मिल सके। कारखाने ऐसी हालत में बने हुए हैं जहां 24 घंटे धुआं होने की वजह से सारा शारीर काला हो जाता है और इतनी दुर्गन्ध रहती है कि वहां आदमी का खड़ा होना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में वह लोग वहां पर काम करते हैं। आप उन फैक्टरियों को ऐसी बनवाएं कि जिससे उनमें काम किया जा सके। मजदूरों को वहां के सेवा योजक बाहर से खरीद कर लाते हैं, उन बेचारों को रहने के लिए स्थान नहीं होता है। चाहे जो मौसम हो, वे बाहर नालियों, सड़कों पर पड़े रहते हैं। मैं चाहता हुं कि हमारी सरकार वहां पर एक मजदूर भवन का निर्माण करे।

फिरोजाबाद में मजदूरों का प्रावीडेन्ट फन्ड और बीमा योजना का बहुत सा रुपया सेवा योजकों के पास पड़ा हुआ है। जिस श्रमिक को निकाल दिया जाता है तो उसको प्राविडेन्ट फन्ड और बीमे का पैसा मिलता नहीं है। मजदूरों को उस पैसे का ब्याज भी नहीं मिलता है। प्राविडेन्ट फन्ड का जो कार्यालय कानपुर में है उसमें काफी लोगों के केस अनिरीक्षित पड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि आप उस पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें। मेरा निवेदन है कि जो श्रमिकों की हालत है उसको देखते हुए आपको विशेष कदम उठाने पड़ेंगे और उनको नहीं उठायेंगे तो निश्चित रूप से श्रमिकों की हालत बुरी होने वाली है। बोनस के मामले को ,अच्छी तरह से और तेज गति से ध्यान देकर डील करना चाहिए। बोनस का मामला फिरोजाबाद में इतना है कि कोई भी सेवायोजक इसे तय नहीं कर सका है। 8.33 प्रतिशत तो किसी ने दिया हीं नहीं है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि हर कारखाने में मजदूरों को बोनस दिलवाने की व्यवस्था की जाए।

हरदोई में एक शुगर मिल है। वहां के मजदूरों ने अपनी 7 सूत्री मांग पेश की है और उन्होंने कहा है कि अगर 29 सितम्बर तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगीं तो वे क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सेवायोजकों को और मजदूरों के प्रतिनिधियों को बैठकर तत्काल समझौता करवाना चाहिए जिससे कि उस संकट से बचा जा सके। फिरोजाबाद में मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि कारखानेदारों को बैठाकर इस ओर कोई समझौता करवाना चाहिए जिससे आध घंटे की जो

[श्री रघुबर दयाल वर्मा]

समस्या है उसका हल हो सके। मजदूरों के विवाद को निबटाने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जिन मजदूरों को निकाल दिया जाता है वे लेबर कोर्ट्स में जाते हैं जहां पर उनको बहुत समय लगता है। मुकदमा लड़ना मजदूरों की स्थिति से बाहर हो जाता है और वह अपने मुकदमें की पैरवी नहीं कर पाता है। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह का कानून बनावें जिससे कि मजदूर को शीघ्र ही निर्णय मिल सके और जब तक उसका मुकदमा चलता रहे तब तक उसे कोई कार्य आर्थिक सहायता देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जिस मजदूर को निकाला जाए उसके मुकदमे का फैसला 3 महीने के अन्दर अवश्य हो जाना चाहिए। सेवायोजक यह चाहते हैं कि मुकदमा अधिक से अधिक दिन चले जिससेकि मजदूर मजबूर होकर बैठ जाये। मजदूर के पास नोटिस जाता है कि आप काम पर आवें, लेकिन जब वह उपस्थित होता है उसे धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। आप इस सम्बन्ध में कोई नई दिशा दें। इन शब्दों के साथ मैं श्रम मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप अपनी कोई सूची से लोगों को बुला रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप ...

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

अधिष्ठाता या अध्यक्ष महोदय ?

श्री अधिष्ठाता--

जैसी मेरे सामने सूची है, उसी के हिसाब से चल रहा हुं। क्या आपने कोई सूची दी है ? सूची में अपना नाम दिया है ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि जो नियमावली दी हुई है, आपने .....

श्री अधिष्ठाता--

किस नियम में ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, कार्य-संचालन नियमावली जो है ...

श्री अधिष्ठाता--

वह किस नियम में है। आप कृपया नियम बतायें ?

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, यह जो अनुदान श्रम मन्त्री जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। आज एक बदली हुई सरकार है, बदला हुआ जमाना है और इस प्रदेश की ही नहीं वरन् सारे देश की जनता आपकी ओर

ताक रही है। हमारा जहां तक अनुमान है कि जितनी ज्यादतियां कांग्रेस के राज्य में हुई हैं, उनका निश्चय ही निराकरण होगा और हम को न्याय मिलेगा।

इसी तरह से श्रमिकों के बोनस के मामले में बड़ी खुशी हुई लेकिन तिथि की घोषणा न होने से आज श्रमिक वर्ग में बड़ी निराशा और असन्तोष व्याप्त है। मजदूरों में इसकी बड़ी चर्चा है। मान्यवर, मैं माननीय श्रम मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम विभाग जिस तरीके से अब तक चलता आ रहा है, अगर उसी तरीके से आप चलाना चाहते हैं तो मैं यह समझूंगा कि जनता पार्टी का जो चुनाव घोषणा-पत्र है जिसमें तमाम नई चीजें की घोषणा की गई है और जो भी वायदे किये गये हैं, वह शायद पूरे न हो पायेंगे और वे असफल होंगे। क्योंकि जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में नई चीजों की घोषणा की है। उसी तरीके से लेवर डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों के मिजाज से, उनके काम करने के तरीके पर भी सख्ती से सरकार को देखना पड़ेगा तब जा करके उन नियमों में परिवर्तन हो सकेगा।

कानपुर में जहां तक अभी हमारे माननीय मित्र वर्मा जी बोल रहे थे, उन्होंने प्राविडेन्ट फन्ड की चर्चा की। यह बात सही है कि मजदूरों को प्राविडेन्ट फन्ड उनके रिटायर होने के बाद भी उन्हें दफ्तरों में जा करके समय पर नहीं मिल पाता है और यदि किसी की मृत्यु हो जाय तो उसके परिवार के लोगों को दफ्तरों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। उनका अपना पैसा नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार को देखना होगा कि उनको पैसा मिलने में कोई कठिनाई न हो। यदि ऐसा न हुआ और सरकार ने इन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया तो मैं मसझता हूं कि लोगों में बड़ी निराशा आयेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार का जो क्रान्तिकारी कदम है, जनता पार्टी का जो क्रान्तिकारी कदम है वह तमाम कमजोरियों को ठीक करेगा। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है हम सरकार को अपने सुझाव दे सकते हैं और रिपोर्ट दे सकते हैं। 3 मामले ऐसे हुए हैं कि वाकयात कुछ हैं और रिपोर्ट कुछ आती है। मेरी गुजारिश है कि जिस आदमी का अपना केस है, उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री जी इस आखरी समय पर मेहनत करके मजदूरों के जो मामले हैं उनमें उनको न्याय दिलाने की कृपा करेंगे। जैसा कि उनका नाम है, काम भी वैसा ही वे करेंगे ?

कानपुर में एक आई0 टी0 आई0 स्कूल है। उसमें लड़कों की एक मैरिट लिस्ट बनाकर, आवेदन-पत्रों के जरिए से, एडमिशन लिया गया। नतीजा क्या हुआ ? आठवीं, नवीं कक्षाओं तक पढ़े हुए प्रार्थियों को नहीं लिया गया बल्कि उन सब का दाखला हो गया जो आई0 टी0 आई0 आदि में पढ़ाने वाले लोगों के बच्चे थे क्योंकि वे मैरिट लिस्ट में आ गये गरीबों के बच्चों को नहीं लिया गया। यह पहली दफा किया गया है पहले वहाँ पर एक समिति होती थी और वह सैलेक्शन करती थी। अब वे कहने लगे हैं कि जनता पार्टी के राज में गरीबों के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो मेरा कहना है कि सरकार के जो अच्छे काम होते हैं उनका तो कहीं पर जिक्र नहीं होता है लेकिन अगर एक काम भी खराब हो जाता है तो उसको सब लोग कहने लगते हैं। मेरी प्रार्थना है कि मन्त्री जी समझ कर मजदूरों की समस्या का हल करें वरना जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं. और

[श्री बाबू बदरे]

मजदूर हैं, वे जनता पार्टी का झंडा लेकर घोषणा-पत्र के खिलाफ, काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और घेराव भी करेंगे। इन सवालों को हल करने का जो तरीका है, पुराना तरीका न अपनाया जाय, जैसा कि विरोध पक्ष के लोग अपनी काबलियत का सुझाव दे देते हैं। यह बात सही है कि हमारे कुछ मन्त्रियों को काम करने या जवाब देने में दुश्वारी हो जाती हो लेकिन धीरे-धीरे यह सब खत्म हो जायगा। अब आखिर में मुझे एक शेर याद आती है जो इस प्रकार है।

दामन से जरा दाग एमरजेन्सी के मिटा लो,
वे लोग जो काँग्रेसी बैंचों में बहुत बोल रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नेगी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री जी ने श्रम सेवा योजन और आबकारी की माँगे पेश करते हुए सारी की सारी बाते श्रम विभाग के बारे में कही हैं। अब मैं आबकारी के विषय में, शराबबन्दी के विषय में कुछ बाते कहना चाहूंगा जो मैं मुनासिब समझता हूं। आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था कि अगर मैं एक घंटे के लिए भी तानाशाह बना दिया जाऊं तो मेरा पहला काम यह होगा कि मैं पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दूंगा इसके बाद हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री, मोरार जी भाई ने भी, जो कि पूर्ण नशाबन्दी के पक्ष में हैं, कहा कि वे भी नशाबन्दी को समाप्त करने का प्रयास करते रहेगे। लेकिन हम चाहते यह हैं कि संविधान के अनुच्छेद 47 का भी उल्लेख किया गया है उस प्रतिवेदन में जो मन्त्री जी ने हमारे पास पहुंचाया है। इसमें आपने कहा है कि अनुच्छेद 47 के अनुसार आबकारी विभाग की नीति मादक वस्तुओं के उपयोग का निषेध करना है। एक तरफ मादक वस्तुओं के उपभोग के निषेध की बात कही जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि जिस साल का बजट आबकारी का आता है उसमें राजस्व बढ़ा हुआ ही पाते हैं। राजस्व तब तक नहीं बढ़ सकता है जब तक कि उन दूकानों की संख्या चाहे विलायती शराब हो, देशी शराब हो, चरस हो, भांग हो, जब तक इन मादक वस्तुओं की दुकानों की संख्या न बड़ायी जाय। तो मन्त्री जी का यह कथन और खासकर जनता पार्टी का जिन्होंने कसम खाई है कि हम नशाबन्दी करेंगे, वह किसी भी हालत में पूरा करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसका उल्लंघन हो रहा है। दूकानें बढ़ रही हैं।

आप किसी भी जनपद में देखिए। एक तरफ जहाँ इसी प्रतिवेदन में है कि हम स्कूलों के पास, धार्मिक स्थलों के पास कोई शराब की दूकान नहीं खोलेंगे, लेकिन शायद उनको परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। आप शाहजहाँपुर की दो दूकानों को नोट कर लीजिए। एक मीरनपुर कटरा और एक जगह तिलहर है। कटरा मे एक शराब की दुकान तो एक जूनियर हाई स्कूल के पास खुली हुई है और दूसरी तिलहर रेलवे स्टेशन के पास है। धार्मिक स्थल की जहाँ तक बात है तो वह एक मन्दिर के पास भी है। जिस दिन से आपने तिलहर रेलवे स्टेशन के पास यह दुकान खोली है, जनता पार्टी के राज में इस दो महीने के अन्दर

कई राहजनी के मुकदमे अब तक दायर हो चुके हैं, कितने ही लोग लूटे जा चुके हैं। एक तरफ आप यह कहते हैं लेकिन वास्तव में बात दूसरी है, ऐसा नहीं है कि नशाबन्दी का कोई प्रयास हो रहा है।

मैंने पिछले बजट में भी देखा था, बहुत कम प्राविधान था, नशाबन्दी के ऊपर बजट का आप पर दोष नहीं दे रहा हूं। उसमें दो परसेन्ट पूरे राजस्व का नशाबन्दी के लिए रखा गया था और आज आपने नशाबन्दी की बात कही, लेकिन वही तरीके, पहले अपनाए गए थे वही तरीके इस सारे प्रतिवेदन में दिखाई देते हैं, लगभग सब वही हैं जो पिछली सरकारों ने किये हैं। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार के राज में नशाबन्दी नहीं हुई, लेकिन आपने तो नशाबन्दी पूर्णरूप से लागू करने की बात कही है तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने कोई भी क्रान्तिकारी कदम प्रतिवेदन में उठाने की बात नहीं रखी है जिसकी बिना पर आप मोरारजी भाई के सपनों को साकार कर सकें या महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर सकेंगे। लोगों को आप से यह आशा थी कि आप कोई ऐसा कदम उठायेंगे जिससे उत्तर प्रदेश की जनता समझेगी कि हमारे नये मन्त्री ने हमारी 30 साल की पुरानी सरकार के विपरीत नया कदम उठाया है, इससे हमें भरोसा है कि इसके आधार पर नशाबन्दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

एक बात मन्त्री जी ने यह कही कि राजस्व की वसूलयाबी में जो गड़बड़ी हो रही है, उसको खास कर देखेंगे। बहुत से लोग बोगस नामों पर लाइसेन्स ले लेते हैं। दूसरी बात नोट कीजिएगा कि जनपद शाहजहाँपुर में जो कटरा की दूकानों का ठेकेदार है वह केवल शाहजहाँपुर का नहीं वह जिला बरेली और शाहजहाँपुर की आधी से अधिक दूकानों का ठेकेदार है और मैं आप को निश्चित जानकारी दे रहा हूं कि उसके ऊपर 8-10 लाख रुपया आज भी बकाया है और वह बकाया होने के बावजूद भी बोगस नामों पर, बोगस सार्टिफिकेट पर सालवेन्सी प्राप्त करने के बाद भी ठेके बढ़ा रहा है, अपना लाभ बढ़ा रहा है और आपकाराजस्व अदा नहीं कर रहा है।

केवल राजस्व को अदा करने की बात जो आप कह रहे हैं उसके साथ में मेरा दूसरा अनुरोध आपसे यह है कि वह इंतनी अनियमितताएं कर रहा है. एक वही नहीं, उत्तर प्रदेश में अधिकाँश आप पायेंगे और हम अपने जनपद में तो देखते हैं कि वहाँ जितने भी दुकानदार हैं वे सब के सब पुलिस के थानाध्यक्षों से और आपके आबकारी निरीक्षकों से मिले रहते हैं और उनसे मिलने के बाद जो आपने समय निश्चित किया है कि 8 बजे के बाद दुकान नहीं खुलेगी तो आप चाहे जब जायं, रात के 11-12 बजे भी दुकानें चल रही होती हैं। आपने दिन निश्चित किए हैं कि इन दिनों पर दुकानें नहीं खुलेंगी या जिस दिन वेतन वितरण होता है उस दिन दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन जो भी समय और दिन आपने निश्चित किए हैं, चाहे वह कोई धार्मिक दिन हो, चाहे वेतन वितरण का दिन हो, कोई दिन ऐसा नहीं होता जबकि शराब की दुकानें बन्द रहती हों। यह जरूर है कि शटर बाहर से दिखायी देता है कि बन्द है लेकिन अन्दर बोतलें बिक रही हैं। तो केवल कांग्रेस के 30 साल के शासन को कोसने से काम नहीं चलेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ठोस कदम उठाने की बात आपने कही है वह कहाँ तक कर पा रहे हैं। हर थानाध्यक्ष का रुपया बंधा हुआ है किसी से

[श्री सत्य पाल सिंह यादव]

500, किसी के 1 हजार रुपया प्रति मास, जैसी दुकान हो और उनसे कोई मतलब नहीं है कि वह शराब के नाम पर जहर बेच रहा है या पानी बेच रहा है। आपके जितने निरीक्षक हैं वह भी इस चीज को नहीं देखते हैं। उन्हें केवल अपने पैसों से मतलब है और उनको बचाने से मतलब है ताकि उनकी दुकानें बरकरार रहें।

श्री अधिष्ठाता—

समय का ध्यान रखिए।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

2 मिनट तो शेष हैं?

श्री अधिष्ठाता—

हां।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

बस दो ही मिनट में कह दूंगा। आपने अपने विषय मे कहा कि मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। आपने यह भी कहा कि मेरी हैसियत देख ली जाय जब कि मैं समझता हूं कि इस अनुदान से इन बातों का क्या मतलब। एक बात मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनपद शाहजहांपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के एक इन्सट्रक्टर का जो 8 साल से वहां तैनात थे, बरेली को स्थानातरण किया गया। मैंने और मेरे एक साथी ने जो विधान परिषद् के सदस्य हैं आपसे अनुरोध किया कि मन्त्री जी, इसके घर के लोग कत्ल के मुल्जिम हैं अभी इसका ट्रान्सफर न करें। आपने टेलीफोन मिलाया अपने अधिकारियों से बात की और उसके बाद मुझे बता दिया कि जो व्यक्ति 8 साल से वहां है, इसका ट्रान्सफर नहीं रुक सकता। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शाम के समय वही व्यक्ति एक महिला से मिलता है कुछ पैसे उसे देता है और शाम को ही ट्रान्सफर रुकवाने के आदेश आपके यहां से ले जाता है। यह कौन सा इन्साफ आपने किया ? मैं आपकी नीयत पर कोई सन्देह नहीं करता लेकिन आप अवश्य इस बात को देखें कि वह कौन सी शक्ति हैं जो मेरे और अनेकों साथियों के कहने के बाद भी आप और आपके सारे अधिकारी ट्रान्सफर नहीं रोक पाए लेकिन उसने ही चन्द पैसों से रुकवा लिया। अगर आप सारे तथ्यों को जानना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते हैं। आप चाहें तो इसका जवाब मुझे भेज सकते हैं और न चाहें तो आपकी खुशी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री अवधेश नरायन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, नियम 287 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें लिखा है—"जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़े हों तो अध्यक्ष उनका नाम पुकारेंगे। यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हो जायं तो जिस सदस्य का नाम पुकारा जाएगा उन्हीं को बोलने का अधिकार होगा।" आपने जो नाम पुकारा वह किसी को देख कर नहीं बल्कि जो सची दी गयी थी उस सूची को देखकर आपने पुकार दिया। जब मैंने कहा, तब आपने कह

दिया कि क्या आपका नाम सूची में लिखा हुआ है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि 1959 में श्री मुक्तिनाथ राय ने यही सवाल उपस्थित किया था उस समय माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी कि अध्यक्ष सूची के अनुसार सदस्यों को बुलाने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो मान्यवर, क्या सूची में देख कर आप बुलायेंगे या अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जिस सदस्य पर निगाह पड़ जायगी उसको बुलाने के लिए पुकारेंगे? इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह बात ठीक है, सूची की बाध्यता नहीं है, लेकिन सदन की कुछ प्रक्रिया है और प्रक्रिया के अनुरूप चलना पड़ता है। मैं यह नहीं कहता कि सूची कोई बहुत ऐसी चीज है कि उससे बाध्य होकर चलना है। लेकिन सदन में साथ ही साथ यह भी देखना है कि कौन-सा सेक्शन ऐसा है जिसको बोलना आवश्यक है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अधिष्ठाता महोदय, मेरी बात तो सुनिए।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे कहने तो दीजिए, सदन की एक प्रक्रिया है, उसका हम अनुपालन करते हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मुझे कहने का मौका तो दें।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपकी ही बात कह रहा हूं। अध्यक्ष उस सूची से पुकारने के लिए बाध्य नहीं है। जब आप खड़े थे, उस समय मैंने आपसे यह कहा था कि क्या आपका नाम भेजा है, सूची में है? यह रूलिंग में है कि सूची में नाम रखने के लिए नाम भेजना कोई गलत नहीं है मगर उसकी बाध्यता नहीं है। मैं आपकी बात मानता हूं। ऐसी हालत मे मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप अधीर न हों, धैर्य पूर्वक बैठें, आपको मौका दूंगा। लेकिन बार-बार खड़े होने से हमारे सामने भी एक समस्या खड़ी हो जाती है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, आपका जो भी आदेश हो, वह शिरोधार्य है। लेकिन एक निवेदन इतना है कि आप सूची से संचालित हो रहे हैं, इसकी जानकारी हम लोगों को न मिले, तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता—

बहरहाल।

*श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान का प्रस्ताव माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने श्रमिकों के कल्याण की कई योजनाएं बतायीं और साथ ही साथ यह भी बताया कि केन्द्रीय सरकार से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश नरायण]

परामर्श करन के बाद पूर्ण मद्य-निषेध के सम्बन्ध में वे सरकार की निश्चित नीति की घोषणा यथाशीघ्र करेंगे। मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैं माननीय श्रम मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आज अब तक जो श्रम विभाग की नीति रही है, वह श्रमिकों के कल्याण की कम रही है, सेवायोजकों की ज्यादा रही है। श्रम विभाग पूरी तरह से असफल रहा है उन श्रमिकों को काम दिलाने में, जिसको कि सेवायोजकों ने गलत तरीके से नौकरी से हटा दिया था।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं इस सम्बन्ध में। हिन्दुस्तान अल्मोनियम कारपोरेशन, रेनूकोट, बिड़ला जी की संस्था है, बिड़ला जी का कारखाना है, इस कारखाने से 1969 में एक टेक्निकल असिस्टेन्ट मुरारी सिंह को निकाला गया। मुरारी सिंह ने अपने निकाले जाने के खिलाफ लेबर कोर्ट की शरण ली। 4 जुलाई, 1972 को लेबर कोर्ट ने उसको रि-इन्स्टेट करने के लिए फैसला दे दिया। उस कारखाने के लोग हाई कोर्ट में गए लेकिन हाई कोर्ट से उनको कोई स्टे आर्डर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन आज के दिनांक तक, 1972 से जब से फैसला लेबर कोर्ट ने दिया था, आज 1977 ईसवी है लेकिन आज के दिनांक तक उस कर्मचारी को काम पर नहीं लिया गया। लेबर कोर्ट के फैसले के बावजूद श्रम विभाग उसे काम दिलाने में, उस कारखाने में रि-इनस्टेट कराने में बुरी तरह से असफल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में स्पष्ट प्राविधान है। धारा 14 में स्पष्ट प्राविजन है कि कानून के अन्तर्गत दिये गये निर्णय की अवहेलना जो भी सेवायोजक करता है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

मान्यवर, श्रम विभाग पर मेरा आरोप है कि उसने धारा 14 के प्राविधानों की पूरी तरह से उपेक्षा की है। श्रीमन्, कर्मचारी का ध्यान न करके उन्होंने बिड़ला जी के हित का ध्यान किया और जो धारा 14 के अन्तर्गत संस्था के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये वह नहीं की। मैं श्रम मत्री जी से अनुरोध करता हूं कि धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही होनी चाहिये उसको जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें। तभी कांग्रेस सरकार और जनता सरकार में फर्क मालूम होगा। मेरा विश्वास है कि जनता पार्टी की सरकार बिड़ला के, हिंडालको के, जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी।

मैं एक बात की ओर श्रम मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गाजीपुर में अफीम का कारखाना है। वहाँ पर जहरीली गैस कारखाने में पैदा होती है। जिसके लिए मजदूरों को चीनी मिलना आवश्यक है। 30 सालों से यह व्यवस्था थी और गाजीपुर अफीम के कारखाने के मजदूरों को नियमित रूप से सस्ते गल्ले कि दूकान से जो फैक्टरी के कैम्पस में थी, उससे चीनी मिलती थी। गल्ला मिलता था। लेकिन इमरजेन्सी के दौरान वहाँ के मजदूरों ने परिवार नियोजन में सहयोग करने से, जबरदस्ती नसबन्दी कराने में सहयोग करने से इन्कार कर दिया। इसलिए गाजीपुर के जिलाधिकारी के आदेश से चीनी और गल्ला मिलना बन्द कर दिया गया। वहाँ की जो लेबर यूनियन है, वह बार-बार इस सम्बन्ध में रिप्रजेन्ट कर रही है, लेकिन आज तक उसके ऊपर निर्णय नहीं हुआ है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इसे शीघ्र से शीघ्र कराने की कृपा करें।

मान्यवर, मैं नशाबन्दी के सम्बन्ध में एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं। शराब सभी कुकर्मों की जननी है। जितनी जल्दी पूरी नशाबन्दी लागू होगी उतनी जल्दी समाज रोशनी की दिशा में तेजी के साथ प्रगति शुरू कर सकेगा। यह सही है कि नशाबन्दी में आर्थिक सवाल सम्मिलित है। आर्थिक सवाल सम्मिलित होने की वजह के जब तक केन्द्रीय सरकार से परामर्श न हो जाय तब तक कोई स्पष्ट नीति घोषित नहीं की जा सकती। लेकिन जो एक्साइज मैनुअल में जो प्राविजन है उसके अनुसार तुरन्त कार्यवाही की जा सकती है।

मान्यवर, इस सन्दर्भ में मैं माननीय श्रम मन्त्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। एक्साइज मैनुअल के रूल 314(4) के अनुसार, 314 (4) जो है उसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि सार्वजनिक स्थान जैसे विद्यालय, अस्पताल, पूजा का स्थान, बाजार का प्रवेश स्थान आदि जगहों पर नयी दूकाने नहीं खुलेंगी। यह इक्साइज मैनुअल का रूल 314 (4) जो है उसी में 314(6) में व्यवस्था है यदि यह दुकाने खुल जाती हैं तो समय-समय पर जाँच होती रहेगी कि 314(4) के प्राविधान के खिलाफ दुकाने यदि खुल गयीं तो जाँच से दुकाने बन्द हो जायं। मान्यवर, गाजीपुर में सईदपुर में मन्दिर के नजदीक दुकान खुली है जिसको बन्द कराने के लिए लोग अनशन करने जा रहे हैं, दिलदार नगर में इसी प्रकार दुकान खुली है, करन्डा में इसी प्रकार दुकान खुली है। यह सारी दुकानें स्कूल, मन्दिर और अस्पतालों के नजदीक हैं। इन सब जगहों पर 314(4) के खिलाफ दुकानें खुली हैं। इसलिए 314 (6) के अन्तर्गत जाँच होकर दुकानें बन्द होनी चाहिए लेकिन वह आज तक बन्द नहीं हुई हैं। इसलिए मन्त्री जी से निवेदन है कि कृपया इन दुकानों को बन्द कराने की अविलम्ब कृपा करें।

मान्यवर, यह भी व्यवस्था इक्साइज मैनुअल में 314(7) में है कि रेलवे स्टेशन से 1/4 मील के अन्दर दुकानें नहीं होंगी। यदि होंगी तो वह रेलवे अधिकारियों की परमीशन से होंगी। गाजीपुर में लिक नामक स्थान है दुकान खुल गयी है जो कि बस स्टेशन के नजदीक है। मुझे पता नही है कि इनको परमीशन प्राप्त हुई है कि नहीं? लेकिन मैं जानता हूं कि गाजीपुर के लोग उस दुकान को हटाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ बस स्टेशन है। वहाँ सुबह 4 बजे से लेकर एक बजे रात्रि तक बस आती जाती रहती है। वहाँ के अधिकारियों ने उस दुकान को हटाने की संस्तुति की है। लेकिन पता नहीं कहाँ दुकान हटाने का आदेश आज तक अधर में लटका है। इन शब्दों के साथ मैं श्रम मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)––

अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से आबकारी और श्रम मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का मैं समर्थन करता हूं और उसके ऊपर जो कटौती है उसका घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, सबसे पहले मुझे आपके माध्यम से निवेदन करना है कि आज देश के अन्दर जो उद्योग हैं उनका वैज्ञानीकरण हो रहा है और जिस तरह वैज्ञानीकरण हो रहा है उसी सीमा तक हमारे जो श्रमिक हैं उनका शोषण होता जा रहा है।

मैं समझता हूं कि हमारे श्रम मन्त्री जी एक श्रमिक नेता रहे हैं, उनसे आशा की जा सकती है कि देश की बदलती हुई परिस्थिति में श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए

[श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री]

उनको राहत दिलाने के लिए आधुनिक ढंग से श्रम नीति में परिवर्तन करेंगे और जिसके द्वारा हमारे देश का जो उद्योग है उनमें जो तीन महत्वपूर्ण इकाइयां हैं--एक पूंजी है, एक माल है, और एक श्रमिक है। पूंजी लगाने वाला पूंजी लगाता है, उसको पूरा हिस्सा मिलता है, माल लगता है, लेकिन आज जो श्रमिक है उसका शोषण हो रहा है जिसका कारण यह है कि समय और परिस्थिति के अनुसार श्रमिक को राहत दिलाने का कानून नहीं बन पाया है। इसलिए आज आवश्यकता है देश के अन्दर जिस तरह वैज्ञानिक ढंग से उद्योगों का औद्योगीकरण हो रहा है उसी तरह श्रम को भी एक पूंजी मान कर चलें। आज करोड़ों की पूंजी लगाकर जो उद्योग खड़े होते हैं उसके अन्दर जो हजारों श्रमिक काम करते हैं उनकी हालत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। इसलिए आज उन उद्योगों में जो श्रमिक है उसके श्रम को पूंजी समझ कर जो मान्यताएं हैं वह निश्चित होनी चाहिए।

आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है जो नए उद्योग बढ़ रहे हैं उनमें चाहे खेतिहर मजदूर हों या फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर हो उसकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि देश और प्रदेश के अन्दर असन्तोष का वातावरण बना हुआ है। मैं समझता हूं हमारे श्रमिक नेता, जो सौभाग्य से मन्त्री भी हैं, इस पर गम्भीरता से विचार करें और इसको एक नई दिशा दें कि श्रमिकों में सन्तोष उत्पन्न हो और वह उत्पादन बढ़ा सकें। अधिक उत्पादन के द्वारा हम अपने देश की पूंजी को बढ़ा सकते हैं। पूंजी, माल और श्रम इन तीनों को एक इकाई मानकर चलें तो हम अधिक उत्पादन कर सकेंगे।

इसी प्रकार मेरा दूसरा यह सुझाव है कि जहां कोई फैक्टरी लगती है और श्रम बस्ती बनती है तो वहां पर सहयोगी उद्योग लगाए जायं। जैसे अगर दवाई का कारखाना लगता है तो वहीं छोटी-छोटी शीशियों का, पैकिंग में काम आने वाली चीजों का सहयोगी कारखाना खुलना चाहिए जिनमें श्रमिक के बच्चे और पत्नी काम कर सकें। लेकिन यह हो नहीं रहा है। श्रमिक तो काम करता है लेकिन उसके बच्चे और पत्नी काम के लिए बरसते हैं। इसलिए ऐसे सहयोगी उद्योग खोले जाने चाहिए और इसके लिए शासन को सहायता और अनुदान देना चाहिए। हमारे देहरादून में 15/20 साल पहले कोई उद्योग नहीं था। लेकिन आज जो पत्थर की खाने हैं उनमें 15 से 20 हजार मजदूर काम करते हैं। इसी प्रकार बिजली के बल्ब बनते हैं जिसमें 8 से 10 हजार तक लोग काम करते हैं। रेशम के कीट पालन का काम है जो गरीब आदमी करता है लेकिन श्रम विभाग की कोई निश्चित योजना न होने के कारण हजारों मजदूरों का शोषण हो रहा है। पत्थर की खानों में हर साल दो चार-छः घटनाएं होती रहती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो नए उद्योग खुल रहे हैं तो नई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर श्रमिकों को राहत देने के लिए नई नियमावली और कानून बनाने आवश्यक हैं।

इसी सम्बन्ध में एक सेकेण्ड के लिए शराब के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सारा का सारा पर्वतीय क्षेत्र ड्राई एरिया घोषित किया जा चुका है, बावजूद इसके वहां पर कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो अपने पैसे से शराब चला रहे हैं। मैं अपने आबकारी मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पूरे प्रदेश में शराब बन्द करने जा रहे हैं इस बात का भी ध्यान रखें कि इसके अन्दर जो असामाजिक तत्व हैं उनको कानून की ओर से दबाया जाय।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आज मजदूरों की और आबकारी की ये दो मांगें माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत की और माननीय गोविन्द सिंह नेगी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है। श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कुछ ऐसी निराशाजनक बात कह दी जिससे हम सब लोगों का दिल टूट सा गया क्योंकि समझा यह जाता था कि माननीय मन्त्री जी मजदूरों के मामलों में ज्यादा एक्सपर्ट, समझ-बूझ के आदमी निश्चित तौर से दिखलाई पड़ते हैं जब मन्त्री जी ने पहली बार कांग्रेस शासन में मन्त्री पद सम्भाला था तो उनके दिमाग में नक्शा था कि किस तरीके से कुछ सालों के बाद मजदूर लोग स्वयं फैक्टरी के मालिक हो जायेंगे, किस तरह से मैनेजमेंट के अन्दर मजदूरों का हाथ होगा। उस कांग्रेस के कुप्रशासन की वजह से वह बात पूरी नहीं कर सके और इसी आशा के साथ अब जनता पार्टी के अन्दर तरक्की कर के राज्य मन्त्री से केबिनेट स्तर के मन्त्री हो गए। लेकिन आज उनके भाषण को सुनकर निराशा हुई है।

अब श्रीमन्, एक साफ सी बात है कि मजदूरों का मामला निश्चित ही जुड़ा हुआ है इस देश के पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से। तकलीफ इस बात से होती है कि मजदूरों का लाखों रुपया बकाया पड़ा है और सरकार अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करती। दूसरी तरफ उसी मजदूर की तनख्वाह की अदायगी के बहाने उस मैनेजमेंट को, पूंजीपति को उद्योगपति को, सरकार से, दूसरे बैंकों से कर्जा मिल जाय और रुपयों की कमी न रहे। मजदूरों के नाम पर रुपए पूंजीपति हासिल करें और उसके द्वारा ऐयाशी करें बजाय इसके कि मजदूरों को उसका बकाया दिया जाय। बैंकों से, सरकार से जो रुपया मिलता है वह वहां इस्तेमाल नहीं होता, ऐय्याशी में इस्तेमाल होगा। इस चीज की देख-भाल करना सरकार की पूरी जिम्मेदारी है।

मजदूर चाहे शुगर फैक्टरी में काम करता हो चाहे कपड़े की मिल में, खाद की फैक्टरी में या कुटीर उद्योग में हो या छोटे-छोटे उद्योग में हो। जैसा मुरादाबाद है। वहां बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक सब ही बर्तन बनाने के उद्योग में लगे हुए हैं। यदि वे सब मिल कर काम न करें तो उनको दाल रोटी तक मिलना मुश्किल हो जायगा। दूसरी तरफ उन्हीं की बदौलत, उनकी कमाई से बर्तन का एक्सपोर्ट का काम शुरू करके, मिडिल ईस्ट, अमेरिका आदि देशों को एक्सपोर्ट करके 6-7 साल में लोग करोड़पति बनकर के रह गए। हम को इससे तकलीफ होती है। सम्भल, बनारस, जहां-जहां कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, जिनमें लाखों की तादाद में मजदूर लगे हुए हैं उनकी हालत देख कर तकलीफ होती है कि इन मजदूरों के सर पर हाथ रखने वाली कौन सरकार आएगी? कांग्रेस सरकार फेल हो गई, जनता सरकार का कोई प्रोग्राम नहीं है। आखिर कोई तीसरी सरकार आएगी? क्या होगा, कैसे होगा?

तो श्रीमन्, यह झगड़ा जो शुरू होता है वह तनख्वाह न मिलने के लिए हड़ताल की नोटिस जारी करने से होता है, उसके आदमी को सस्पेण्ड करने से होता है, बोनस न मिलने पर होता है। इस प्रकार संघर्ष होता है और उसका फैसला करने के लिए ये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

लोग कानपुर, लखनऊ, रामपुर जहां-जहां टिब्यूनल्स, लेबर कमिश्नर हैं वहां का दौरा करते हैं। तो श्रीमन्, क्या सरकार का कोई ऐसा प्रबन्ध है कि उनकी यूनियन का जो इस तरीके से मुकदमा लड़े खर्चा सरकार बर्दाश्त करेगी? ऐसा नहीं है। आखिर यूनियन जिसके पास पैसा नहीं है कहां तक मुकदमें लड़े? इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि आखिर में यूनियन की हार होती है। अगर फैसला हो गया तो फैसलों के बाद उनको पूरा नहीं किया जाता है। मजदूर कहता है कि हमारा फैसला पूरा नहीं किया गया, इसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं लेकिन उद्योगपति जो हैं फैसले को नहीं मान रहा है तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं पड़ता कि वह उनको उस फैसले को मानने के लिए बाध्य कर दे। ज्यादा से ज्यादा एक प्रासीक्यूशन और हो जाता है। एक प्रासीक्यूशन नहीं, 10 कर दिए जायं लेकिन लेबर जो भूखा बैठा है उसको उस प्रासीक्यूशन से क्या मिल जायगा? लिहाजा फैसला जब रजिस्टर हो जाय तो रजिस्ट्रेशन के बाद उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होनी चाहिए वर्ना रजिस्ट्रेशन वगैरह से कोई फायदा नहीं।

अब मैं थोड़ा सा आबकारी की तरफ आता हूं। लिट्रेचर पढ़ने से पता चलता है कि आमदनी कितनी बढ़ी। माननीय मन्त्री जी सच्चे दिल से चाहते हैं कि आमदनी न बढ़े। वह चाहते हैं कि शराब-बन्दी हो जाय। उनको एक पैसा नहीं चाहिए। कमिश्नर साहब भी इस फेवर में हैं कि नशाबन्दी लागू हो जाय लेकिन कमिश्नर साहब तथा मिनिस्टर साहब लखनऊ में बैठे हैं। वह प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन नीचे के जो कर्मचारी हैं जो आबकारी में लगे हुए हैं जरा आप उनकी तरफ ध्यान दें। वह कर्मचारी चाहे फैक्टरी में शोरे की रखवाली के लिए हों, चाहे वे बसों पर तलाशी लेने के लिए हों अथवा शराब की दूकानों की निगरानी के लिए हों कि किस दिन बन्द रहती हैं, किस दिन खुलती हैं और कितने समय तक खुलती हैं---इन सबकी आमदनी का लेखा-जोखा अगर लिया जाय तो मैं समझता हूं कि जितनी आमदनी 64 करोड़ की इस विभाग को शराब से है उससे दुगुनी आमदनी कर्मचारियों को है। इसलिए आप प्राहीबीशन के सम्बन्ध में जो भी कायदे कानून लखनऊ में बैठ कर बनाए वे बिलकुल इनएफेक्टिव हैं। मन्दिर के पास, स्कूल के पास, मस्जिद के पास, पब्लिक प्लेस के पास शराब की दूकान न हो लेकिन अगर सर्वे करके आप देखेंगे तो 50 फीसदी से ज्यादा दूकानें उन्हीं जगहों के पास आपको मिलेंगी।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य से कहूंगा कि बार-बार वह उन्हीं बातों को न दोहराएं।

श्री रियासत हुसैन---

उम्मीद तो यह थी कि एक लाइन का यह आर्डर निकलेगा मोरारजी भाई का, कि पूरे देश में शराब-बन्दी लागू हो गयी। शराब से मुताल्लिक जो बात होगी वह कागनेजिबिल अफेंस होगी और पब्लिक को हक होगा कि वह शराब पीने वाले को थाने म ले जा कर बन्द करा दे। यह नहीं हुआ। लिहाजा मैं कहता हूं कि आप एक महीने में एक सर्वे ही करा दें ईमानदारी से, कितनी देशी व विलायती शराब की दूकानें ऐसे स्थानों पर हैं जो आपके बनाए हुए नियमों के मुताबिक नहीं होनी चाहिए थी और जो ऐसी दूकानें हैं उनको एक

महीने के अन्दर बन्द करा दीजिए। मैं अपने क्षेत्र मुरादाबाद की बात क्या कहूं, यहां लखनऊ में दारुलशफा के नीचे गली के अन्दर दूकान खुली हुई है। वहां रात के 9, 10 बजे तक निकल जाइए तो यही डर लगा रहता है कि पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। हर जगह वहां गाली-गलौज होती रहती है। तंग रास्ता है। रिक्शे से जाने से भी डर लगता है, कहीं माननीय सदस्य की इज्जत पर न आ जाय। मैं यह बात कह कर अपनी बात खत्म करूंगा कि जो हमारी नीयत है कि तीन साल में बन्द करेंगे उस नीयत को जाहिर करने के लिए पब्लिक के अन्दर आना चाहिए। इस चीज को सीरियसली नहीं लिया गया। अभी तक केवल मण्डली और कठपुतली के नाच ही दिखाए गए हैं. . .

श्री अधिष्ठाता—

रियासत जी आप समाप्त कीजिए।

श्री रियासत हुसैन—

इन शब्दों के साथ जी श्री गोविन्द सिंह नेगी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय. . . .

अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री राम दत्त जोशी—

मान्यवर, मैं विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मुझे हैरत होती है यह देख कर कि कांच के मकान में रहने वाले भी दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं।

(व्यवधान)

अभी तो एक ही फिकरा कहा उसमें ही तैश खा रहे हैं, अभी बहुत कुछ कहना है। मुझे रियासत भाई से कोई शिकायत नहीं क्योंकि वह हमारे ही आदमी हैं, मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं है जो यह जानते हैं कि 30 साल के समय में यह उनके ही किए हुए पाप हैं। शिकायत तो मुझे अपने माननीय दोस्त नेगी जी से जरूर है। वह इसलिए कि उन्होंने पंचशील के सिद्धान्त को जो माननीय मंत्री जी ने बताया उसकी तुलना संजय के पांच-सूत्री कार्यक्रम से की।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शान्ति से सुनें कल्पना कितनी अच्छी है।

श्री राम दत्त जोशी—

मान्यवर, मुझे अफसोस इसलिए है कि कल तक जो सन् 1971 से पहले पूरे 25 सालों तक कांग्रेस का विरोध करते रहे, उनको सन् 1971 में ऐसा महसूस हुआ कि इस देश

[श्री राम दत्त जोशी]

में दुर्गा का अवतार हो गया है, और यह उसके हमराह हो गए। सवाल मजदूरों को निकालने वाली, मजदूरों के मिनिमम बोनस के अधिकार को समाप्त करने वाली, मजदूरों की हड़ताल को असंबैधानिक कहने वाली, कांग्रेस का समर्थन करने वाले सी0पी0आई0 के लोग आज यहां संजय गांधी की दुहाई दे रहे हैं।

मान्यवर, मैं रिपीटीशन नहीं करूंगा, जो बात कह दी गयी हैं उनके सम्बन्ध में मैं नहीं कहूंगा। मेरा कहना यह है कि श्रम नीति के बारे में वह कहते हैं कि जनता सरकार की कोई नीति नहीं है। मैं अर्ज कर चुका हूं पहले भी इस सदन में जिन्हें हमारी नीति कागज पर नहीं दिखाई देती, उन्हें मैदान में तो होते हुए दिखाई देनी चाहिए। मिनिमम बोनस का जो अधिकार छीना गया था, 8.33 का वह किसने मजदूरों को वापस दिलाया? जो हड़ताल का अधिकार छीन लिया गया था वह किसने वापस दिलाया? सवा लाख रेलवे मजदूरों को किसने नौकरी वापस दिलाई? यह सब जनता पार्टी के ही नीति के परिणाम स्वरूप हुआ है।

मान्यवर, मैं कांग्रेस के 30 साल के लम्बे पापों पर जाकर समय नहीं लूंगा और न आप मुझे कहने के लिए समय देंगे, क्योंकि समय कम है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि देवी जी के चमत्कार के बारे में। श्री नेहरू जी ने अवाड़ी में समाजवाद का प्रस्ताव पास किया उसके बाद शुद्ध समाजवाद का नारा देवी जी ने लगाया और काम शुद्ध पूंजीवाद का किया। यहाँ कथनी और करनी की बात करते हैं और कटौती के प्रस्ताव में कहते हैं कि 'उद्देश्य रचनात्मक आलोचना' करने का है। उधर कांग्रेस के बैठे हुए लोग तीस साल के पापों के लिए खासकर जिम्मेदार हैं फिर आज किस मुंह से किसकी आलोचना करते हैं? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज तक जितने भी श्रम कानून कांग्रेस सरकार को बनाने पड़े, वह या तो मजदूरों के दबाव में बनाने पड़े। फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लथाड़ पड़ी, उनके खिलाफ वरडिक्ट हुए, तब बनाने पड़े। कांट्रैक्ट लेबर, मान्यवर, हमारे लिए कलंक है जो बड़े पैमाने पर हमारे देश में जारी है जो किसी भी मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता है। यह जो श्रम का विषय है उस पर यह ब्लॉट है। इसको समाप्त करने के लिए मजदूरों के आन्दोलनों की परवाह नहीं की गयी। दो-दो वेज बोर्ड बैठाये गये।

शुगर इंडस्ट्री के सम्बन्ध में मान्यवर, दोनों ने यह सिफारिश की कि मजदूरों को—चाहे वह डेली वेजेज के हों या कांट्रैक्ट लेबर्स हों, उनको तमाम सुविधाएं और वेतन वही मिलेगा जो स्थायी मजदूर को मिलता है। उसके बाद मजदूरों के सम्बन्ध में सन् 1947 में जो ऐक्ट बना, उसमें भी कहा गया है कि मजदूर चाहे कांट्रैक्ट लेबर हो या डेली वेजेज का, उसके सारे वेलफेयर की जिम्मेदारी, सारी सुविधाओं की जिम्मेदारी और किसी एक्सीडेंट की अवस्था में कम्पेंसेशन की जिम्मेदारी मालिक के ऊपर होती है। प्रिंसिपल इम्पलायर मिल मालिक को माना गया है, ठेकेदार को नहीं। यह ठेकेदार की कड़ी तो केवल भ्रष्टाचार को फैलाने के लिए जोड़ दी गयी है। जब कांट्रैक्ट लेबर रेगूलेशन ऐक्ट बनाया गया था, तो उसके विरुद्ध बस्ती शुगर मिल के मालिकान कोर्ट में गये थे और उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि आज के युग में, जनतन्त्र व्यवस्था में जो कान्ट्रैक्ट लेबर है वह जनतन्त्र के नाम पर कलंक है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब जो कान्ट्रैक्ट लेबर के एबालीशन

का ऐक्ट बना, इसमें लिखा गया था] कि यह अमल में तब आयगा जब रूल बनेगा। और तीन साल तक जब मजदूरों ने इसके लिए आन्दोलन किया तब जाकर रूल बना। तो पिछली सरकार ने जो कुछ किया मजबूर होकर केवल दिखाने के लिए किया है, उसको अमली जामा जनता पार्टी ने पहनाया है।

कान्ट्रैक्ट लेबर रेगूलेशन ऐक्ट का आज तक निजी क्षेत्र में पालन नहीं हुआ है। जितने सरकारी कारखाने हैं, उन सब में मजदूरों के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी स्वयं अपने को सरकार समझते हैं और जो काँग्रेस राज्य में किसी हद तक ठीक था। सबसे बड़ा शोषण कोआपरेटिव और पब्लिक सेक्टर में वहाँ होता है, जब वहाँ का ही अधिकारी लायसेंसिंग अथारिटी होता है। जो कार्य निरन्तर होने वाले हैं, उनसे सम्बन्धित कर्मचारियों के लिए भी वह नाजायज तौर पर कान्ट्रैक्ट का लायसेन्स दे देता है, चूंकि वह मैनजिंग डायरेक्टर के पद पर भी है। इस बारे में श्री बी० डी० शुक्ल, चेयरमैन, हिन्द मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश ने एक विस्तृत सर्वेक्षण करके राज्य सरकार को एक रिपोर्ट दी थी कि उत्तर प्रदेश की फैक्टरियों में करीब 21 हजार कान्ट्रैक्ट लेबर्स लगे हुए हैं, जिनका रेगूलराइजेशन किया जाय और इस बात की जाँच की जाय कि उनका कितना अधिक शोषण होता है।

बेरोजगारी के सम्बन्ध में मैं अपना सुझाव देना चाहता हूं। जो देश बहुत आगे बढ़ गये हैं, उनकी ओर आप देखें। जापान और जर्मनी 30 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गये हैं रूस और अमेरिका से आगे पहुंच रहे हैं और 30 साल में हम कहीं नहीं आगे पहुंचे हैं। आज जो कारखानों में तीन शिफ्ट चलती हैं इनको बढ़ाकर चार शिफ्ट कर दिया जाय, तो मेरा कहना है कि अकेले उत्तर प्रदेश में 21 हजार मजदूरों को रोजगार मिल सकता है। मैं ट्रैड यूनियन के बीच में काम करता हूं, मुझे मालूम है, तीन पाली के बजाए चार पाली सारे प्रदेश में कर दी जायं तो लाखों मजदूर पूरे देश में रोजगार पा सकेंगे। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि कान्ट्रैक्ट लेबर एबालीशन ऐक्ट के जो रूल्स बने हैं, उनका ठीक से पालन कराया जाय और जो पूंजीपति उनको डिफायन्स करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही, पुलिस की कार्यवाही की जाय।

मेरा तीसरा सुझाव प्रोविडेंट फण्ड के बारे में है, जो रिटायर होने के बाद मजदूर को मिलता है। यह इसलिए होता है कि जब वह रिटायर हो जाय तो 4-6 महीने बाद उनको एकमुश्त नकद धनराशि मिल जाय, ताकि वह अपना जीवनयापन कर सके, लेकिन आज हालत यह है कि लोग रिटायर होने के बाद मर भी गये हैं, लेकिन 6-6 साल तक फण्ड उन्हें नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि कानपुर में जो एक बहुत बड़ा कबूतर-खाना बना हुआ है प्रोविडेंट फण्ड कमिश्नर का, उसको डीसेंट्रलाइज कर दिया जाना चाहिए और चार-पाँच रीजन्स में बाँट देना चाहिए। इन शब्दों में एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, वह आपके प्रति भी है और माननीय मन्त्री जी के प्रति भी :--

"करनी थीं मुझे आप से कितनी शिकायतें,
चुप रह गया हूं अपनी सूरत को देख कर।"

*श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा रखे गये श्रम एवं आबकारी बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, जहाँ तक जनता पार्टी की नीति का सवाल है, हम लोगों की मान्यता का प्रश्न है, स्पष्टतया हम लोग इस राय के हैं कि शराब ने इस देश को बिगाड़ा है, बनाया नहीं है। यह सही है कि कुछ लोगों ने और पिछली सरकारों ने महात्मागाँधी क, नाम लिया। लेकिन उनके सिद्धान्तों की हत्या की। कुछ लोगों को सिद्धान्त का नशा होता है, विचारधारा का नशा होता है, कुछ लोगों को कुर्सी का, शराब का नशा होता है। किसी से कुछ कहने पर यह आवाज किसी शराब वालों की आवाज हो सकती है।

मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूं कि शराब देश को बनायेगी नहीं, बिगाड़ेगी। वह उत्तर प्रदेश का विकास नहीं, वह उत्तर प्रदेश को पिछड़ा रखेगी। उसके साथ आने वाले पांच सालों में जनता पार्टी की सरकार पूर्णतया शराब-बन्दी कर देगी। यह हम लोग आशा करते हैं और पूरे प्रदेश से 10 करोड़ की जनता इस घोषणा का स्वागत भी करती है। इसके साथ मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि एक साफ नीति बननी चाहिए। ऐसे स्थानों पर जहां पर शिक्षण संस्थाएं, देवालय, मस्जिद, गिरजाघर हैं, मंदिर हैं वहाँ पर शराब की दूकान नहीं खुलनी चाहिए और अगर ऐसे स्थानों पर शराब की दूकान खुली है, तो तत्काल बन्द हो जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि बनारस में मार-वाड़ी मुहल्ले में सराब की दूकान है। ऊपर बच्चों का स्कूल चल रहा है। इस सम्बन्ध में कई बार प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया गया, लेकिन शराब की दूकान नहीं हटी। इसी प्रकार गोवीलिया मोहल्ले में गिरजाघर के बगल में शराब की दूकान है। कमच्छा, बनारस में वी0एड0 की कक्षाएं लगती हैं। लड़कियां पढ़ने जाती हैं। बगल में शराब की दूकान है जिससे अच्छा असर दहीं पड़ता। मैं माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि शिक्षा संस्थाओं के बगल में, देवालयों की बगल में शराब की दूकान नहीं खोली जानी चाहिए और जो दूकानें खुली हैं उनको तत्काल हटाने का निर्देश दे दिया जाय।

इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि शराब की दूकानें दस-बारह बजे तक खुली रहती हैं। आप आदेश दें, आठ-नौ बजे का सवाल नहीं है, जब तक बाजार की दूकानें खुली रहती है, शराब की दुकान भी तब तक खुली रहनी चाहिए। बाजार जिस समय बन्द हो जाती है, उस समय शराब की दुकानें भी बन्द होनी चाहिए। मेरी मान्यता है कि अगर शाराब पर नियन्त्रण पा लिया जायगा, गैर कानूनी ढंग से शराब नहीं बिकेगी, तो अपराधों की संख्या में 60-70 फी सैकड़ा कमी आ जायगी। इसलिए अपराधों को रोकने के लिए जरूरी है कि शराब कम की जाय।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं और इस साल भी उनको खोलने का प्रयास किया गया है। मुझे यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जनता पार्टी की सरकार बनते ही जो फार्म निःशुल्क दिये जाते थ उनकी कीमत अब 2 रु0 कर दी गयी है। माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया है। आई0टी0आई0 के लिए कक्षा 8 न्यूनतम योग्यता है और किसी-किसी विषय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए कक्षा 10 न्यूनतम योग्यता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो छात्र न्यूनतम योग्यता पूरी करते हैं साक्षात्कार में बुलाया जाना चाहिए, उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मुझ सूचना मिली है कि विभिन्न संस्थानों के प्रधानाचार्यों को यह निर्देश दिए गए हैं कि जितने स्थान हों उससे दुगुने छात्रों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाय। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो उसकी न्यूनतम योग्यता है उसके आधार पर बुलाया जाना चाहिए या जो मार्क्स पाए हैं उसके आधार पर बुलाया जाना चाहिए। मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई आधार होना चाहिए। दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस स्थान के लिए कक्षा 8 न्यूनतम योग्यता हो उसके लिए बी0ए0 और एम0 ए0 पास लोगों को नहीं बुलाया जाना चाहिए। अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती है तो कक्षा 8 पास विद्यार्थी कभी भी आगे नहीं आ सकेंगे।

मान्यवर, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में इस तरह के संस्थान खोले जायं तो उस क्षेत्र के 25 प्रतिशत या 30 प्रतिशत लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे क्षेत्रीय विषमता समाप्त होगी। वाराणसी का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि वहाँ पर कैन्ट में एक आई0 टी0 आई0 है वहाँ पर उस क्षेत्र के लोगों कोकोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिससे क्षेत्रीय विषमता बढ़ती है। इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। कहीं-कहीं तो ऐसे क्षेत्रों में आई0टी0आई0 खोल दिए गए हैं जहाँ पर कोई उद्योग नहीं है और न कोई कारखाना है। (लाल बत्ती जलने पर) दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में सामप्त कर दीजिए।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

एक मिनट में ही समाप्त करता हूं। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर सीटें बढ़ा देना चाहिए क्योंकि इस समय लोग इधर ज्यादा आना चाहते हैं। आई0 टी0 आई0 का आकर्षण बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो रोजगार दफ्तर है ऐसे हैं जैसे बेरोजगार दफ्तर हैं। यहाँ की दशा अच्छी नहीं है। भवन बहुत पुराने हैं। इस ओर भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय श्रम मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पालिसी पर काफी चर्चा हुई। मैं कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, कानपुर प्रदेश की एक औद्योगिक नगरी है और इस नगर में श्रमिकों की समस्या और जिलों के मुकाबले बड़ी गम्भीर है क्योंकि यहाँ के कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सेवायोजक श्रमिक विरोधी नीति अपनाए हुए हैं। कानपुर का जे0 के0 प्रतिष्ठान इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोती राम]

देश में चौथे नम्बर का पूंजीपति कहा जाता है। मैं तो यह कहूंगा कि कानपुर का लेबर कमिश्नर आफिस उसे पनाह दे रहा है। जे0के0 प्रतिष्ठान की एक फैक्टरी जे0के0 मैन्यूफैक्चरर्स है जो गत वर्ष काँग्रेसी सरकार के आदेश के बावजूद बन्द कर दी गयी। यहाँ के तत्कालीन मुख्य मन्त्री के आदेश के बावजूद भी वह मिल बन्द हो गयी और जिसके कारण तीन हजार मजदूरों को बिना किसी कसूर के भूखों मरना पड़ रहा है। सेवायोजकों ने सरकार को, संसद में यह सूचना भेजी कि मिल क्लोज हो गयी है, प्रोडक्शन सस्पेंड हो गया है। तो अगर सेवायोजकों की यह बात सही है तो आपकी सरकार और पिछली सरकार प्रोडक्शन सस्पेन्ड होने की बात तो कहती है मैं यह जानना चाहता हूं कि वहाँ के मजदूरों को वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? मजदूरों को रिक्शा चला कर पेट पालना पड़ रहा है और अगर सेवायोजक वेतन नहीं देते तो कौन सा कारण है कि उनका प्रोसीक्यूशन नहीं हो रहा है? वहाँ के लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो लेबर कमिश्नर आफिस उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल देता है।

मुझे सूचना मिली है कि जब श्रम मन्त्री जी का आदेश वहाँ के संस्थापकों को दिया गया और लेबर कमिश्नर आफिस द्वारा सूचना भेज दी गयी तो मिल वालों ने तत्काल हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया। तो इस तरह से मान्यवर, वहाँ श्रम विरोधी नीति चल रही है। यह अफसरों का एक आडम्बर है। इसमें सुधार लाने के लिए इस श्रमिक असन्तोष को दूर करने के लिए, यह करना होगा कि अगर कोई मिल क्लोज्ड है और उस मिल मालिक की दूसरी मिलें चल रही हैं तो जैसा कि केन्द्र सरकार की घोषित नीति है सरकार उसे ले ले। मजदूर को भूखा मरने नहीं दिया जायगा और यह भी नीति है कि कोई अगर सिक मिल है और उसकी अन्य मिलें चालू स्थिति में हैं, तो उसे उसकी अन्य मिलों के साथ जोड़ दिया जायगा। जे0 के0 प्रतिष्ठान जिसकी सारे देश में और मिलें भी हैं, वह इस मिल को खोलने में असमर्थ हैं। इस पर यह सरकार ध्यान दे सकेगी या नहीं? अगर ऐसा नहीं किया गया तो लेबर स्थिति और खराब हो जायगी।

इसी तरह से मान्यवर, कानपुर का एक दूसरा प्रतिष्ठान है, स्वदेशी काटन मिल्स। मान्यवर, स्वदेशी वालों को डेढ़ करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया जिससे मजदूरों को वेतन दिया जाना था। आज तक स्वदेशी मिल के मजदूरों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। ईद का त्योहार आया। यह कहा गया कि इस मौके पर वेतन बाँट दिया जायगा लेकिन ईद आयी और चली गयी। वेतन आज तक नहीं बंटा। तो क्या रुपया इसीलए दिया गया था कि उस रुपए को अपन काम में ले आयें? यह पैसा समय से बाँटा जाना चाहिए मगर समय से नहीं देंगे।

कानपुर की श्रमिक बस्तियों को देखिए। जब से वे बनी हैं उनका कोई रख-रखाव नहीं हो रहा है। छतों से रात में प्लास्टर टूट जाता है, वहाँ पर सीवर की लाइन खराब है। एक भी सिस्टर्न क्वार्टर्स में नहीं रह गया है। सीवर लाइन चोक पड़ी है। लेबर के लिए जो खुले शौचालय बने हुए हैं, उनका भी कोई रख-रखाव नहीं हो रहा है। श्रम हितकारी जो केन्द्र हैं उनमें कोई भी मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं हैं। सुना था कि वहाँ पर रेडियो और इंडोर गेम्स का प्रबन्ध किया गया था, लेकिन आज वहाँ पर नेताओं

के भाषण हुआ करते हैं या उल्टी-सुल्टी बातें करने का केन्द्र बना हुआ है। मनोरंजन के नाम की वहां पर कोई भी चीज नहीं है।

अस्पतालों का जहाँ तक सम्बन्ध है हालाँकि वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम के अन्दर आते हैं, उनकी देख-रेख के लिए श्रम विभाग का ही कर्तव्य हो जाता है। आज इन अस्पतालों में एक ही काम रह गया है कि किस प्रकार से झूठी पर्चियाँ लिखवाकर डाक्टरों को 5-7 रुपए देकर 15-15 दिन की छुट्टियाँ ले लेते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक भ्रष्ट तरीका चल रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी को इस ओर भी हस्तक्षेप करना चाहिए। श्रमिकों के नाम से दवाई के लिए जो अनुदान दिया जाता है, उससे दवाइयाँ खरीद कर ब्लैक में बेच दी जाती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि हमारे श्रमिकों का स्वास्थ्य सुधरने के स्थान पर बिगड़ता जा रहा है। आज उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार उनकी ओर विशेष ध्यान दे।

अब मैं माननीय मन्त्रीजी का, प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति की जो संख्या व प्रतिशत है, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके देखने से सरकार को विदित होगा कि किस प्रकार से सारे के सारे अधिकारी शासकीय आदेशों की अवहेलना करते हैं। यह जो 1 जनवरी, 1976 तक का विवरण है उसके पृष्ठ 12 को आप देखें। इसमें श्रमायुक्त के संगठन में देखेंगे कि प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों में 34 में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति का प्रतिशत निल है। द्वितीय श्रेणी में 133 में से केवल 2 हैं अर्थात् 1.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं। इसी प्रकार से तृतीय श्रेणी के 1804 में से अनुसूचित जाति के कुल 79 व्यक्ति हैं अर्थात् 4.37 और इसी प्रकार से चतुर्थ श्रेणी के 1090 कर्मचारियों में से कुल 153 अनुसूचित जाति के अर्थात् 14.36 प्रतिशत लोग हैं। इसी प्रकार से श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण में भी प्रथम श्रेणी के कुल 14 कर्मचारियों में से शून्य हैं, द्वितीय श्रेणी के 1 कर्मचारी में से शून्य है, तृतीय श्रेणी के 61 कर्मचारियों में से शून्य है और चतुर्थ श्रेणी के 68 कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति के कुल 5 कर्मचारी हैं अर्थात् 7.35 प्रतिशत हैं।

इसी प्रकार से प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में 23 प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति के शून्य हैं, द्वितीय श्रेणी के 80 में शून्य हैं, तृतीय श्रेणी के 4104 कर्मचारियों में से केवल 236 हैं जोकि 5.74 प्रतिशत हैं और चतुर्थ श्रेणी के 1777 कर्मचारियों में से 237 हैं अर्थात् 12.77 प्रतिशत हैं।

इसी प्रकार से एक्साइज विभाग की स्थिति है। उसमें प्रथम व द्वितीय श्रेणी में शून्य है तृतीय में 66 में 5 और चतुर्थ श्रेणी में केवल 10 प्रतिशत है। इसकी पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है? माननीय मन्त्री जी को इनके हितों की रक्षा करनी चाहिए।

हमारे यहाँ पर आई0 टी0 आई0 में एक स्टैंडर्ड कायम किया गया है, जिससे कौमन मैन का नुकसान हुआ है। प्रथम श्रेणी का वही विद्यार्थी होता है जो किसी कान्वेन्ट या पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ होता है। जो गरीब आदमियों के बच्चे होते हैं और जो म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूलों में पढ़े होते हैं, जिनको प्रथम व द्वितीय श्रेणी पाने के बहुत कम अवसर होते हैं; उनको

[श्री मोती राम]

इनमें दाखिल होने का अब अवसर नहीं प्रदान होता है। तो यह जो एडमिट करने का तरीका अपनाया गया है, मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। इनको साक्षात्कार के आधार पर लिया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

श्री मोती राम—

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य नेगी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारे श्रम मन्त्री जी ने बजट पेश करते समय दो बातें सबसे पहले कही थीं कि "मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मेरी सम्पत्ति की जाँच करा लिया जाय"। पता नहीं, किस भावना से उन्होंने इस बात को कहा, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो नया सदस्य हूं. लेकिन यह मालूम हुआ है कि आप सन् 1969 से 1974 तक श्रम मन्त्री रह चुके हैं, 1969 और 1974 के अन्दर जो मजदूरों की स्थिति रही है उसके बारे में हम क्या कहें? जिस पक्ष की तरफ हमारे मन्त्री जी बैठे हुए हैं, उधर के ही सदस्य उस समय की घटनाओं के बारे में, मजदूरों की क्या हालत थी वह अच्छी तरह बतलाते हैं।

मैं इनका ध्यान खास तरीके से उत्तर प्रदेश के अन्दर जो उन्होंने कहा है कि 50 लाख खेतिहर मजदूर रहते हैं, उन खेतिहर मजदूरों की दयनीय स्थिति की ओर ले जाना चाहता हूं। जो इनके उस मन्त्रित्व काल में, जब ये श्रम मन्त्री रहे और उस समय भी ये महात्मा गाँधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू की दोहाई देते रहे। उस परिस्थिति में खेतिहर मजदूरों की दशा गाँवों में क्या थी और आज क्या है, वह जितने माननीय सदस्य बैठे हैं सभी लोग जानते हैं। आज भी खेतिहर मजदूर, आपने जो मजदूरी तय की है उसको जाने दीजिए जो अपने मन से भी हमारे भाई मजदूरी देते हैं वह भी बहुत हिम्मत के साथ मजदूरी नहीं माँग पा रहा है। माननीय सदस्य जो सदन में बैठे हुए हैं, आप भी वहाँ पर श्रम करते हैं, मजदूरी अपनी तय किए हुए हैं। आप भी इनसान हैं, आपके भी बेटे और परिवार के लोग हैं। आप दो महीने, तीन महीने, 4 महीने कितनी मेहनत के साथ इस सदन में बैठ करके उन समस्याओं पर विचार करते हैं, आपका दिल जानता है। लेकिन जो मजदूर गांव में रह रहा है, मजदूरी कर रहा है उसकी रोजी-रोटी, दवा और शिक्षा किस तरीके से 50 पैसे में, एक रुपए में चलती होगी, इसके ऊपर भी आप गौर करें। उनकी दवा के लिए हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी ने ऐलान किया है कि गाँव में एक हजार पर एक दवा करने के लिए डाक्टर भेजेगें। एक हजार के ऊपर एक रहेगा, यह खास तरीके से उन्हीं लोगों के लिए इंगित किया गया है। जो खेतिहर मजदूर और गरीब गाँव के लोग रहते हैं उनको 1 हजार रुपए में 1 परसेंट देंगे। यानी एक आदमी को साल भर में एक रुपए की दवा देंगे। आज जमीन के बारे में हमारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया था कि हम खेतिहर मजदूरों को जमीन देंगे, भूमिहीनों को बसायेंगे। नारायण दत्त तिवारी जी जरूर कहेंगे, उनको सुनना चाहिए और इन चीजों से मन्त्री जी को भी सीखना चाहिए।

मैं नैनीताल गया था। नैनीताल जिले के अन्दर जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के गरीब मजदूर हजारों हजार की संख्या में नैनीताल में मजदूरी का काम करते हैं, आज भी उनको मड़ई डालने की जगह नैनीताल में नहीं है।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

नैनीताल जिले में आज भी ऐसे भू-स्वामी हैं जिनके पास 400 से लेकर 4 हजार एकड़ तक जमीन है। कांग्रेस सरकार ने भी 18 एकड़ हदबन्दी का नारा दिया था और निकली हुई जमीन इन्हीं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बाँटने की बात कही थी। मैं खास तौर से श्रम मन्त्री जी का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूंगा कि जिन मजदूरों की बात आप करते हैं, मेरे एक–आध भाई जो विभाग के बारे में काफी जानकार हैं, वह इशारा कर रहे हैं कि राजस्व का सवाल है, मैं उन खेतिहर मजदूरों की बात कर रहा हूं जिनके लिए सरकार ने घोषणा की थी कि हदबन्दी से निकली हुई जमीन उन्हें देंगे। सचमुच अगर आप उदासीन न हो गए हों, अगर आप पस्त हिम्मत न हो गए हों, नर्वस न हो गए हों तो जो आज सदन में बात कही है यह आपके श्रम विभाग के विपरीत है। आपने संकल्प किया है कि हम इस हिन्दुस्तान को बनायेंगे, इसको संवारेंगे और वह विभाग आपके पास है जो इस धरती पर सब से दलित, सब से शोषित और सब से पीड़ित है और उनकी समस्याओं को देखकर आज आप डर कर मैदान छोड़ रहे हैं। यह आपके राजनीतिक जीवन के लिए बहुत ही कलंक की बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमारे माननीय सदस्य कहते हैं, आज उनकी दशा क्या है, वह किस प्रकार सुधरेगी, आप इन सब चीजों के बारे में ध्यान दें।

आज नैनीताल जिले के अन्दर मजदूरों की क्या हालत है? वहाँ पर एक बोक्सा जाति है जिसके बारे में सरकार ने कानून बनाया था कि उनकी जमीन कोई नहीं खरीदेगा, बिना कलेक्टर के आदेश से। आज तक का रेकार्ड है कि बोक्सा लोगों की जमीन बचने की परमीशन किसी कलेक्टर ने नहीं दिया। लेकिन तीन महीनों के आपके शासनकाल के अन्दर उन गरीब बोक्साओं को शराब पिला कर, जिस नशाबन्दी के बारे में आप घोषणा कर रहे हैं, हजारों बोक्साओं की जमीनें बेचने के लिए नैनीताल के कलेक्टर ने परमीशन दे रखी है और उनकी जमीनें बिक रही हैं। लैन्ड मार्गेज बैंक से उनको पम्पिंग सेट लगाने के लिए कर्जा दिया जा रहा है, लेकिन वह पम्पिंग सेट नहीं लगा रहे हैं। उनकी जमीनें उस कर्ज में बिकवाई जा रही हैं। आप इसकी जाँच करवा लें। मुझे पता चला है कि तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक कुछ दलालों को रखे हुए हैं, उनसे पैसा लेते हैं और बोक्साओं से दरख्वास्त दिलवाते हैं अपनी जमीन बेचने के लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम और आबकारी पर प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन कर रहा हूं और इसी सन्दर्भ में शासन का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ भी आकर्षित कर रहा हूं। कुछ दशक पूर्व योजना आयोग ने एक कमेटी बनाई थी जो टेकचन्द कमेटी के नाम

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

से विख्यात है। जस्टिस टेक चन्द और उनके सहयोगी साथियों ने भारत के प्राचीन एवं अर्वाचीन इतिहास और मौजूदा परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में पूर्ण मद्य निषेध के लिए जो चीजें कहीं वह भारत के ही इतिहास में नहीं, दुनियाँ के इतिहास में एक बेमिसाल नजीर हैं। किन्तु हुआ क्या, वही हुआ कि जितने आयोग और कमेटियाँ बनीं, उनकी संस्तुतियाँ रद्दी की टोकरी में फेंक दी गयीं और हमारी स्थिति आज तक वही है।

श्रीमन्---

कब तक जियेगा वायदे फरदा पे आदमी,
इस वायदे तहलील का कोई इन्तहा भी है।
जालिम निकल के शीश महल से जरा बता,
हम मुफलिसों की दर्द की कोई दवा भी है।

श्रीमन्, गंगा जमुना, सरयू के पावन प्रदेश में आज शराब की सरिता बह रही है। बात तो बहुत लम्बी-चौड़ी की जाती है। पर वस्तु स्थिति विपरीत है। एक्साइज के कमिश्नर, विभागाध्यक्ष इक्साइज के निरीक्षकों को गस्ती पत्र जारी करते हैं कि अधिक से अधिक शराब की खपत होनी चाहिए। ठेकेदार अधिक से अधिक शराब उठाए नहीं तो तुम्हारे चरित्र पंजिका में विपरीत प्रविष्टि कर दी जायगी। यह है कथनी और करनी का अन्तर। कथनी और करनी के अन्तर को दूर करना होगा तब नशाबन्दी सम्भव है, किन्तु यह बहुत दुरूह और जटिल कार्य है, क्योंकि इसमें सारी शक्ति ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, जो नशाखोरी के शिकार हैं, वे प्रति दिन क्लबों में स्काच, ह्विस्की पीते और जुआ खेलते हैं। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने आज से कुछ वर्षों पूर्व गुजरात के हितेन्द्र देसाई मन्त्रि मण्डल के तथा काँग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के मन्त्रियों की शराबखोरी क्लब के बारे में एक खुला वक्तव्य दिया था कि वे नशाखोरी के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि शराब पीने के लिए अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा से वायुयान द्वारा दिल्ली चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ शराब पर प्रतिबन्ध नहीं है और गुजरात में शराब पर प्रतिबन्ध है। यह है सार्वजनिक जीवन में भी शराब के कारण घोर अधःपतन। यदि आगामी तीन वर्षों के अन्दर पूर्ण नशाबन्दी नहीं लागू हुई, तो यह महामारी कोकाकोला, लिमिका तथा अन्य पेय पदार्थों की भांति कदम-कदम पर शराब की दूकानें खुल जायेंगी। मैनडेक्स की गोलियाँ, टिंचर जिंजर, फ्रेन्च वार्निज आदि का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। हजारों-हजारों आदमी इस जहरीली शराब को पी करके हजारों-हजार की तादाद में मर जाते हैं। शराब नहीं पी है, अपितु वह शराब स्वयं राष्ट्र के सुख, सुविधा, सौंदर्य और श्री समृद्धि को भी पी जाती है। बहुत से लोग तो शराबखोरी को कोई अपराध नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों का चित्रण जस्टिस अकबर ने अपने इन शब्दों में किया है---

"क्या हश्र हुआ बरपा थोड़ी सी ही तो पी है,
डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है।"

आज शराब बन्दी के लिए बातें तो बड़े ऊंचे आदर्शों की की जाती हैं, लेकिन व्यवहार में ठीक इसके विपरीत होता है और उन आदर्शों के बनावटी माहौल को निकाल दें, तो हमारी स्थिति वही हो जाती है, जैसे कि किसी शायर ने कहा है---

"सौ साला चरखें दौर है, सागर का एक दौर
निकले, जो मैकदे से तो दुनियां बदल गयी।"

इस शराब ने इस देश के सबसे शक्तिशाली गणराज्य को मिट्टी में मिला दिया। आज के पाँच हजार वर्ष पूर्व महाभारत काल में भारत का वृष्णि गणराज्य जो संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य था और जिसके प्रधान यादवेन्द्र वासुदेव कृष्ण थे, उन यदुवंशियों ने समुद्र तट पर प्रभास क्षेत्र में वारुणी नामक मदिरा पीकर परस्पर सर्वनाश कर लिया। शराब ने इस देश को रौख और कुम्भिपाक नर्क बना दिया है। शराब के कारण जो विभिषिका फैली है उसका नग्न रूप औद्योगिक श्रमिक बस्ती में देखा जा सकता है। इसीलिए महीने के अन्तिम दिन, जिस दिन श्रमिक वेतन पाता है, शराब की दूकानें बन्द कर दी जाती थीं। बहुत से लोग शालीनता और भद्रता के साथ मद्यपान की बात करते हैं और उसके सन्दर्भ में किसी शायर की यह दोहाई देते हैं :—

मैं मैकश जरूर हूं, पर हूं बातहजीब,
जुबान काट लूं लव्ज मुंह से तू निकले।
मजा तो पीने-पिलाने का तब है ये वायज,
मैं पीऊं और तेरे मुंह से बू निकले।"

किन्तु यह सब कोरी बकवास है।

तो यह है शराब की स्थिति, आप के बड़े-बड़े अफसर, मन्त्री और विधायक भी पी रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जाँच हो जाय इसका पता लगाया जाँय। उत्तर प्रदेश में आज भी लोग गड़हों का पानी पीते हैं। जिसमें तमाम गन्दगी, मल-मूत्र मिल जाता है। गड़ही का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। हिन्दुस्तान में यह स्थिति एक तरफ है दूसरी तरफ लोग स्काच पीते हैं, साढ़े तीन सौ रुपए की स्काच की बोतल पीते हैं। स्काच उड़ रही है, दूसरी तरफ लोग गड़ही का पानी पी रहे हैं। इन चीजों को दूर करना होगा।

मान्यवर, सारे देश में 15 अरब 8 करोड़ रुपए की शराब और अन्य नशीली चीजों की खपत प्रतिवर्ष होती है। इससे 4 अरब 15 करोड़ रुपए का राजस्व देश को प्राप्त होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि शराब बन्द हो जाय तो रिश्वतखोरी बन्द हो जाय। यदि शराब बन्द हो जाय तो पापाचार बन्द हो जाय, दुराचार बन्द हो जाय, व्यभिचार बन्द हो जाय। यदि शराब बन्द हो जाय तो सड़क दुर्घटनाएं कम हो जायं, अपराध कम हो जायं, शान्ति और व्यवस्था की दिशा में चमत्कारी कार्य हो जाय। यह सब बातें तभी हो सकती हैं जब शराब बन्द हो जाय, इस पर अंकुश लगे। श्रीमन्, एक बड़ी सनसनीखेज बात यह है कि विद्या के क्षेत्र में, छात्र, छात्राओं और अध्यापकों तथा हमारी आदरणीय महिलाओं में यह आदत फैलती जा रही है। यदि इस पर अंकुश न लगा तो इस देश का कितना अधःपतन होगा यह तो भगवान ही जाने। इसको दूर करना होगा। मान्यवर, जब पंचम जार्ज आये थे, इस देश में तो जस्टिस अकबर ने कहा था :—

'महफिल उनकी, साकी उनकी, आँख अपनी बाकी उनकी।'

श्रीमन्, यह दशा है। हम आज भी मूक-दर्शक बने हुए सारी स्थिति को देख रहे हैं।

श्रीमन्, मैं पुनः थोड़ा सा ध्यान मजदूरों की तरफ और श्रम समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह जो ठेके पर काम करने वाले श्रमिक हैं इनके लिए कानून तो बन गया है परन्तु उसका पालन नहीं हो रहा है। कानून तो यह है कि कृषि मजदूर को भी

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

5 रुपए से कम मजदूरी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने देखा मेरे साथ माननीय उप मन्त्री, तेज सिंह भी स्वयं कठकुइयाँ चीनी मिल गये थे। उन्होंने एक मजदूर से पूछा कि तुमको क्या वेतन मिलता है। तो उसने कहा कि मुझको अढ़ाई रुपया मिलता है। एक तरफ बड़े-बड़े सरमायेदार चन्द कथित नेताओं से साजिश करके श्रमिकों के गले पर छुरी चला रहे हैं और मजदूर भूखा मर रहा है। तो इस तरह से वर्ग संघर्ष होगा कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। यह अपरिहार्य है, अनिवार्य है। मान्यवर, मुझे एक बात याद आ गयी —

'शोले लपक रहे हैं जहन्नुम की गोद से,
बागे जिना में जल्वये हूरो परी की खैर।'

यह स्थिति आने वाली है। वादों पर वादे हो रहे हैं। पता नहीं, इन वायदों का सिलसिला कब तक चलेगा। वादों के धरातल से उतर कर वादों को पूरा किया जाय।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं तो कहता हूं कि इस नकली शराब को दूर करके इस देश में दूध और घी की नदियाँ बहाए तो जिसकी कल्पना अजुर्वेद के ऋषियों ने की है वह मधु अमृत देश में फैलेगा जैसा कि वेदों में कहा है :—

मधु वातः ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः। मधु नक्त मुतो षसो,
मधुमत् पार्थिवभ्रणः
मधु द्यौरस्तुनः पिता मधु मान्नो।
वनस्पति मधुमान्, अस्तु सूर्य्यः
माध्वी र्गावो भपन्तु नः॥

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, इस सदन की भाषा हिन्दी है और संस्कृत में कहा है। इसलिए या तो इस का अनुवाद करा दें या निकाल दें।

श्री अध्यक्ष—

भाषा लिपि देवनागरी है। इसमें कोई बात नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं उन तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में हिस्सा लिया और विशेष रूप से आभारी हूं सत्ता पक्ष के उन सदस्यों का जिन्होंने इस पर भाषण दिए। मान्यवर, तमाम जितने माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया, सभी ने समर्थन किया और समर्थन ही नहीं किया बल्कि सत्ता पक्ष के श्री बाबू बदरे जी ने और जोशी जी ने जो सवाल उठाए थे, उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान में जनता पार्टी ने श्रमिकों के बारे में जो वायदे किए थे उनमें से एक का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यही सिलसिला जारी रहा तो वह जनता पार्टी की तरफ से मजदूरों को लेकर जो अधिकारी हैं और जो मन्त्री हैं, उनका घेराव करेंगे। मैं बाबू बदरे जी को यकीन दिलाता हूं कि वह दिन आयेगा। जिस

ढंग से आपकी जनता पार्टी चल रही है उससे जब वह दिन आयेगा तो मेरा दल और तमाम मजदूर आपके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर इन मन्त्रियों का घेराव करेंगे। वह यकीन रखें कि वह दिन आयेगा और हम उनका साथ देंगे।

मान्यवर, हमारे एक मित्र ने बहुत सुन्दर सुझाव दिया विवादों के निपटारे के बारे में मन्त्री जी को तजुर्बा है कि सालों बीत जाते हैं लेकिन वादों का निपटारा नहीं होता है। मन्त्री जी ने सुझाव दिया कि आपसी समझौतों द्वारा विवादों को निपटा लिया जाय। उन्होंने हिंडालको का जिक्र किया। 1972 में निर्णय उनके पक्ष में हो गया। हाई कोर्ट से कोई स्टे-आर्डर नहीं मिला। लेकिन अभी तक इस निर्णय पर अमल नहीं हो पाया है। न्यायालय और ट्रिब्युनल में कितना विलम्ब होता है वह आप सब जानते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के लियें जो लेबर डिस्प्यूट ऐक्ट है उसमें आमूल परिवर्तन करके कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिसके अन्दर कम से कम 3 महीनें के अन्दर विवादों का निपटारा हो जाय। मुझे उम्मीद है कि मन्त्री जी इस पर सोचेंगे।

मान्यवर, प्राविडेन्ट फण्ड के बारे में कहा जिसमें सब का तजुर्बा है। कानपुर में जा-जाकर लोग परेशान हो गए। श्रमिक मर गए। उनके जो आश्रित हैं वह परेशान हो गए लेकिन वर्षो तक प्राविडेन्ट फण्ड का भुगतान नहीं हुआ। आई0 टी0 आई0 के बारे में भी कहा गया। मान्यवर, जिस ट्रेड के लिए केवल आठवीं दर्जा पास क्वालिफिकेशन है तो वहाँ बी0ए0 पास तक लड़के जा रहे हैं। इनके लिए तो आई0 आई0 टी0 इंजीनियरिंग आदि दूसरी संस्थाएं हैं। अगर यहाँ आई0 टी0 आई0 में भी बी0 ए0 पास लड़कों को भेजेंगे तो फिर इन आठवीं पास लड़कों का क्या होगा और इनको किस तरह से आप एम्प्लायमेंट देंगे, समझ में नहीं आता। मान्यवर, माननीय जोशी जी नहीं हैं। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी पर अटैक करने की कोशिश की। पता नहीं वह जेल में रहे या नहीं और रहे भी तो किस जेल में रहे मुझें नहीं मालूम। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बोनस के बारे में लड़ाई लड़ी तो वह कम्युनिस्ट पार्टी थी, आल इंडिया ट्रेड काँग्रेस थी। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री नारायण दत्त तिवारी जी ने हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया. . .

एक सदस्य---

जब इमरजेंसी खत्म होने वाली थी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आप तो बात करके ही मजा उड़ा रहे थे। लड़ाई लड़ने वाली कम्युनिस्ट पार्टी थी। लेकिन मान्यवर, जोशी जी की बात पर मुझें आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उसी पाँच सूत्री कार्यक्रम को दोहराया जिसके बारे में मन्त्री जी पहले कह चुके थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी कृपया इस प्रकार की नीति को न अपनाएं जो पश्चिमी पूंजीवादी देशों में चल रही है, जो अमेरिकी टाइप है, जो बर्तानिया टाइप है। आप केवल इस नीति को इसलिए अपनाना चाहते हैं कि मजदूर संघर्ष न करें। यह उचित नहीं है। यही नहीं एक और नए कार्यक्रम का जिक्र किया जिसका नाम है क्लोज-शाप सिस्टम। इसका मतलब है कि यह कोशिश की जा रही है कि बारगेनिंग एजेन्ट के लिए बैलट हो। अगर इसके लिए कि कौन रिप्रिजेन्टेटिव यूनियन हो-बैलट की बात होती तो समझ में आता

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

लेकिन बारगेनिंग एजेन्ट के लिए यह चीज रख कर आप मजदूरों को मालिकों के रहमो-करम पर छोड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि कैजुअल लेबर मालिकों के रहमो-करम पर रहता है। इसलिए आप अपनी श्रम नीति को ऐसा खतरनाक मोड़ न दें। अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि 40 प्रतिशत वेतन में बढ़ोत्तरी का आदेश करें, दशहरे से पहले बोनस मिल जाय, कानूनों का कड़ाई से पालन हो, हड़तालों पर रोक हो, मोहन नगर में जो घटना हुई, उसकी जाँच हो। मन्त्री जी ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं और उनको इस क्षेत्र का काफी तजुर्बा है! उन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी है इसलिए वह इन बातों पर अवश्य ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि माननीय सदन मेरे कटौती के प्रस्ताव को मंजूर करेगा।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्रम एवं आबकारी मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन का आधा घंटा समय बढ़ा दिया जाय जिससे कि मैं अपने माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर दे सकूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या-10 राज्य आबकारी तथा अनुदान संख्या 37--श्रम एवं सेवायोजन (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष --

(श्रम मन्त्री से) आधे घंटे में ही समाप्त कीजिए। उसके बाद में आधे घंटे का विवाद है और 51 का भी प्रश्न है।

*श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

मान्यवर, आधा ही घंटा दे रहे हैं आप?

मान्यवर, दोनों पक्षों से सदन के माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में जो कुछ कहा है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। जितनी भी शिकायतें की जा सकती हैं वह सब मैं जानता था और चाहता हूं कि वापस लौटा दूं उस तरफ को. .

"क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा,
रुष्टा तुष्टा क्षणे-क्षणे।"

जल्दी-जल्दी में जितने माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं उनका उत्तर आधे घंटे में दे पाऊंगा वह आप कृपा कर सुन लें, जो नहीं दे पाऊं उसके लिए क्षमा माँगता हूं। आप कृपा करें तो कभी आप से बातचीत कर लूंगा, उस सम्बन्ध में।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर की बात कही गयी। यह मिल दो-तीन महीने से नहीं लगभग दो वर्ष से इसी प्रकार चल रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पसर्वीक्षण नहीं किया।

स्वदेशी मिल में बीस लाख रुपया बंटता है, वेतन पर। बीस लाख रुपया उसको और देना होगा। अभी बोनस आ रहा है। करीब पचास लाख उसको देना है। जिस दिन से मैंने आप की सेवा श्रम मन्त्री के रूप में शुरू की है उसी दिन से मैं तलाश में था कि कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जो कि इनकमबेन्ट नहीं हैं। एक करोड़ रुपए बिजली का देना है स्वदेशी काटन मिल को, डेढ़ करोड़ पंजाब नैशनल बैंक का देना है, 70–80 लाख हम को देना है। वह रुपया कहाँ से आए ? इसका एक ही शेयर है वह आई0डी0बी0आई0 परमीशन करे, बेचा जा सके। तीन–साढ़े तीन करोड़ के लिए हम लोन कह चुके हैं। इससे अधिक श्रीमन्, विभाग से कोई आशा नहीं की जा सकती है क्योंकि यही मैंगजिमम है। हमें उम्मीद है कि उनको इजाजत मिल जायेंगी बशर्ते कि वह शेयर बेचें और साढ़े तीन करोड़ गवर्नमेंट की लायबिल्टी क्लीयर कर दें। फिर जे0 के0 काटन मैन्युफेक्चरर का है। जे0 के0 मैन्युफैक्चरर का लाइसेन्स जे0 के0 जूट मिल्स से था जो 30 सितम्बर, 1976 को खत्म हुआ। दूसरे दिन 1 अक्तूबर, 1976 को बन्द हो गयी। हमने कोशिश की कि केन्द्रीय सरकार इसको ले ले और इन्सटिट्यूशनल फाइनेन्स है, वह कुछ मदद कर दे। हम ने अपनी शक्ति भी देखी। अभी तक हम इस परिस्थिति में ही हैं कि इस को टेक ओवर कर सकें लेकिन जहाँ तक इन्सटाल्ड कैपेसिटी का सवाल है, उत्पादन क्षमता जहाँ पर बेकार पड़ी है उससे हम को हार्दिक क्लेश होता है और हमें यह आशा है कि हम उसे ले सकेंगे। हम अभी निराश नहीं है। श्रमिकों को मिल को 1 करोड़ 65 लाख रुपया देना है। मशीन बेच के देना नहीं हो सकेगा। मिल मालिक कहते हैं कि आप एक रुपए में मिल ले लीजिए और उसको चलाने में 10 लाख रुपए की दो महीने तक हम मदद कर देंगे मगर हमारी क्षमता उसको चलाने की नहीं है। अब यह परिस्थिति है।

जे0 के0 काटन मैन्युफैक्चरर में कुल 2288 श्रमिक हैं। उसमें 16 या 17 सौ मुकम्मल हैं। जो टेम्पोरेरी है उनको मुस्तकिल नौकरी पाने का हक नहीं है। जे0 के0 काटन की परिस्थिति यह है कि उसके बारे में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं मगर केन्द्र की सहायता की आवश्यकता है। जे0 के0 इलेक्ट्रोनिक्स एक छोटा सा यूनिट है। करीब 225 श्रमिक होंगे। उसके लिए यह किया गया है कि जितना देय पैसा है, ग्रेचयूटी तथा फन्ड तथा क्लोजर कम्पेनसेशन आदि देने के बाद प्रत्येक लड़की को 1000 तथा प्रत्येक मर्द को 500 रुपए और सन् 1976 का पैसा दे दिया जायगा। अगर यह मिल नहीं चल सकती और वह छोटा सा यूनिट है तो उस हालत में जब वहाँ कोई ऐसा शख्श नहीं है जिसकी नौकरी 4, 5 साल की हो यह समझौता ठीक होगा। इसमें कुछ शक नहीं कुछ माननीय सदस्यों ने जो शक्कर तथा अन्य मिलों के सम्बन्ध में देय वेतन तथा बकाया वेतन मजदूरों को न मिलने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यही है कि जितनी चिन्ता माननीय सदस्यों को है उतनी ही श्रम विभाग के प्रत्येक अधिकारी को भी है लेकिन हमारे पेमेन्ट वेजेज ऐक्ट के अन्दर एक-एक श्रमिक के पूरे चुकता पैसे के लिए डायरेक्शन सूट लड़ना पड़ता है। स्वदेशी काटन मिल बनी हुई है तब से उस पर इतने मुकदमें नहीं चले होंगे जितने की जो प्राविधान है श्रमिक कानून के अन्तर्गत श्रम विभाग को लड़ने पड़े। चाहे फैक्टरीज ऐक्ट हो, चाहे मिनिमम वेजेज ऐक्ट हो, कोई भी कानून हो हमारे कर्मचारी जितनी दफा अदालत में हाजिरी

[श्री गणेश दत्त बाजपेयी]

देते हैं और दौड़ा करते हैं उसके बाद महीनों तथा वर्षों के बाद जो सजा मिलती है वह इतनी कम होती है कि वास्तव में श्रम विभाग ही दन्डित होता है। हमको श्रमिक कानूनों में जल्दी से जल्दी वांछनीय संशोधन करने है और मैं करूंगा, यह मैं आपके सामने वचन देता हूं।

फिरोजाबाद के बारे में माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस पर प्वाइन्टरी ध्यान आकृष्ट किया। जल्दी से जल्दी हम वहाँ पर प्रत्येक कानून को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना चाहते हैं और जो कुछ पहले हुआ उसका इवेलुएशन जल्दी से जल्दी करके वहाँ की परिस्थिति सुधारने का प्रयास करेंगे। 51 एम्प्लायमेन्ट्स में हमने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। मेरा ख्याल है कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है लेकिन यह मैं कहता हूं कि जो निम्नतम वेतन निर्धारित किए गए हैं उनमें से काफी ऐसे हैं जिनके पुनरीक्षण की आवश्यकता है। और आप इस बात का विश्वास रखें कि जल्दी से जल्दी जहाँ भी जरूरत होगी उनको पुनरीक्षित किया जायगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने बैठकी का जिक्र किया। जहाँ कहीं भी ले आफ होता है वहाँ आधा पैसा मिलता ही है लेकिन बैठकी होने पर कुछ भी नहीं दिया गया यह बात अस्पष्ट होने से मैं उनका उत्तर नहीं दे पा रहा हूं।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)---

मऊनाथ भंजन में ऐसा किया गया है।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

मऊनाथ भंजन की कोई छोटी सी फैक्टरी का जिक्र किया, देख लिया जाएगा। बहुत छोटा मामला है।

जहाँ तक नान-वर्किंग जर्नलिस्ट को इन्टेरिम रिलीफ देने का प्रश्न है, हमने नान-वरकिंग जर्नलिस्ट की नौकरी को सुरक्षित करने के लिए अभी जो कानून निकाला है कि बिना लेबर कमिश्नर के कन्सलटेशन के किसी भी न्यूज पेपर इस्टेब्लिसमेंट से किसी को नहीं निकाला जाएगा चाहे वह किसी भी फर्म में हो। यह चीज मुझको अभी भी जानना है कि माँग करना तो अलग रहा कभी उन्होंने अपने दिमाग में भी सोचा था कि हमको यह सिक्योरिटी चाहिए और जो भारत वर्ष में कहीं नहीं दी गई है उसका नेगी जी जिक्र करते हैं। जहाँ तक वर्किंग जर्नलिस्ट ऐक्ट का सम्बन्ध है उसमें एमेन्डमेन्ट का प्रश्न है उसमें अभी समय लगेगा।

जहाँ तक ठेकेदारी यानी कन्ट्रेक्ट लेबर का ताल्लुक है जैसे कि शकर मिलें हैं मैं इस बात को जानता हूं कि वहाँ पर वे-ब्रिज में या खाई रिमूव करने के लिए कुछ जगहों पर ऐसे रखे जाते हैं, जहाँ काम अल्पकालिक होता है। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि इस सम्बन्ध में भी हमारा विचार है कि गैर-मुस्तिकल मजदूरों की संख्या कम से कम हो। ऐसी

पोस्टों को कम से कम किया जाय और वर्ष में जहाँ अधिकाँश भाग में काम करने की आवश्यकता हो वहाँ कान्ट्रेक्ट लेबर न हों जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अधिकाँश समय में चलता हो वहाँ इनको मुस्तकिल बनाया जाय यह हमारी नीति है। हम कान्ट्रेक्ट लेबर को उन सभी उद्योगों में कम करना चाहते हैं जहाँ उनका कम करना रेशनल हो। यह तरीका वैज्ञानिक है।

कई ऐसे धन्धे हैं जैसे आपने स्टोन क्रशर की देहरादून की बात कही, जो पत्थर तोड़ने वाले हैं उनका न्यूनतम वेतन निर्धारित कर चुके हैं। लेकिन हमारी भी कुछ डिफिकल्टीज हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। 50 लाख लेबर हैं जो खेतों में काम करते हैं। वैसे हमने तहसीलदारों को उनके लिए निरीक्षक बनाया है क्योंकि वह सब जगह हैं और उनके पास बड़ा स्टाफ भी है तो वह कुछ तो चालान उन लोगों का करें जहाँ ऐसे मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती है निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी दे रहे हैं उसमें हमको सफलता नहीं मिली है। हम कोई दूसरा उपाय सोच रहे हैं। लेकिन हमारे पास ढाई तीन सौ लेबर इन्स्पेक्टर हैं वह 50 लाख मजदूरों को 57 जिलों में और ढाई लाख गाँवों में क्या मजदूरी मिल रही है, नहीं देख पाते। इसमें जनता और आपको भी सहायता करनी चाहिए। एक चीज जो सारी दुनियाँ में, सर्वजनीय सर्वदेशीय सत्य है वह वहाँ के मजदूरों की उनके यूनियनों पर निर्भर करता है उनके मारफत हो सकता है लिहाजा हम यह चाहते हैं कि ऐसी यूनियनें बने, जहाँ आज 100 मजदूर हैं वहाँ 5 वर्ष बाद 50 हजार हो जायेंगे। उसके लिए हमको आपकी सहायता की आवश्यकता है। यूनियन बनवाइए उनकी एक निर्धारित संख्या हो तब तो काम हो सकता है। श्रम विभाग के पास ढाई-सौ-तीन सौ केवल इन्स्पेक्टर्स हैं, जिनके पास अन्य बहुत से कार्य हैं, 51 दूसरे नियोजन हैं, तो इनकी सबकी देखभाल भी करना उनके लिए सम्भव नहीं है। यह कार्य उनके द्वारा सक्षम रूप से होना वास्तविकता से परे है। इसमें आपकी शक्ति की हमें आवश्यकता है।

बोनस के बारे में तो आपको मालूम ही है जनता पार्टी ने जहाँ तक 8.33 प्रतिशत यानी एक महीने की तनख्वाह के बराबर बोनस देने का ताल्लुक है, वहाँ सन् 1976 का आर्डिनेन्स आ ही गया है। एक बात और है कि सबको एक ही समय में बोनस नहीं मिलता है। फाइनेन्शियल इयूस अलग-अलग हैं। साल की समाप्ति का समय अर्थात् महीना अलग-अलग है। इसके अलावा कुछ समय की सरप्लस कम्प्यूट करने के लिए आवश्यकता होती है जिसमें 8.33 परसेन्ट से ज्यादा भी देने की बात है। तो वह हमारी चिन्ता है, हम इसकी चिन्ता में हैं। इसके अतिरिक्त जो ऐसे कारखाने हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कतई बोनस देने के योग्य नहीं हैं। उनसे कैसे दिलाया जाय ? इसके लिए एक विचार यह है कि किसी प्रकार उन्हें इंस्ट्यूशनल फाइनेन्स से सिक्योर कर्ज यानी बन्धक रखकर कर्ज दिलाकर इसे किया जाए कि सिर्फ बोनस के बराबर रकम हम उन्हें दिलवायें। हमने श्रम विभाग से कह दिया है कि आपकी प्रास्पेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए, किस प्रकार का श्रम में विवाद आगे पैदा होगा, इसकी उन्हें पूर्व से जानकारी होनी चाहिए। यानी आगे से उन विपत्तियों को समाधान खोजने की चेष्टा होना चाहिए। उसमें यदि कोई बहुत गरीब कारखाने हैं, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, इस पर हम सोच में लगे हुए हैं। आपको जरूरत से ज्यादा पहले चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है।

[श्री गणेश दत्त बाजपेई]

प्राविडेन्ट फण्ड–ई0 एस0 आई0 के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, केन्द्र और कारपोरेशन–जहाँ पर तीन-तीन मैनेज करने वाले हैं, उसके लिए कहावत है कि उसको कोई नहीं चरता है। तो जिस प्रकार की हमारी ग्रिप इस पर होनी चाहिए वह प्रदेशीय शासन को पूरी नहीं है। इस वजह से यह अड़चन होती है, अब मैं इसको भी देखूंगा। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी शिकायतें यहाँ दोनों पक्षों की हैं, उनके लिए मैं उनका आभारी तो बहुत हूं, क्योंकि सुधारना पड़ेगा। लेकिन मेरे खुबसूरत मित्र, नेता विरोधी दल तो इस वक्त हैं नहीं, नहीं तो उनको अर्पित कर देता। अभी तो दो-ढाई महीने हुए हैं, तो इसमें कुछ समय भी लगता है।

प्लान्टेशन लेबर के बारे में मैं यह स्वीकार करता हूं और बड़े खेद के साथ स्वीकर करता हूं कि पब्लिक अन्डरटेकिंग जो हैं और जो कारपोरेशन्स हैं, वे लेबर लाज के अन्दर उतने काँशेस नहीं हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंन्ट के द्वारा रन कोई भी औद्योगिक संस्थान एक माडल संस्थान होना चाहिए, आदर्श मालिक होना चाहिए। यह सिद्धान्त सर्वमान्य है। लेकिन मैं इस पर आपके साथ खेद प्रकट करता हूं कि उनको अभी मैं लेबर लाज काँशेस नहीं कर पाया हूं। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी चीज को चुपड़, आप कहेंगे तो मैं उसे पूर्णरूप से मानने के लिए तैयार हूं।

स्ट्राइक बैन का जिक्र किसी माननीय सदस्य ने कर दिया। असल में उनको चूंकि जानकारी नहीं है, मार्च, 1977 से अगस्त, 1977 तक 59 गैर-कानूनी हड़तालें गाजियाबाद में हुईं। हमने बड़े धैर्य के साथ सिर्फ इस कारण से आपातकालीन स्थिति के समय सीट, एच0 एम0 एस0 के औद्योगिक मामले जो थे, आपातकालीन सरकार ने उनको दबा दिया था। उस अन्याय की वजह से जो विस्फोट हुआ, तो हमने बड़ी शान्ति के साथ बरदाश्त किया। आखिरकार सीट को यह ज्ञान होना चाहिए कि जनता पार्टी कानूनी हड़तालों का समर्थन करती है और गैर-कानूनी हड़तालों का विरोध करती ही है चाहे आप नाराज भी हों। यह हमारी मजबूरी है। हमको उत्पादन के लिए जितनी चिन्ता है उतनी आपको नहीं है। 59 हड़तालें आप ने कीं तब हमने सात जगहों पर स्ट्राइक और लाक आउट बैन किया। स्ट्राइक पहले से इल्लीगल थी, लिहाजा बैन का कोई असर नहीं पड़ा। क्योंकि डबुल इल्लीगल कुछ होता नहीं है। सिर्फ लाक आउट जो कानूनी थे वह गैर कानूनी हुए। असल में मेरी निषेधाज्ञा से मालिको को मैंने मजबूर किया तुरन्त लाक आउट हटाने के लिए और हड़तालें भी तुरन्त उठीं, निषेधाज्ञा जारी होते ही। लेकिन जनता पार्टी के श्रम विभाग ने अभी तक किसी मजदूर को दन्डित नहीं किया। सिर्फ चूकि श्रमिक नेताओं को अपनी बात और से कहने का अधिकार है और मुझे 30-40 वर्ष से काम करने का सौभाग्य प्राप्त है, चाहे कोई यूनियन हो, सीयूटी हो, ए0 आई0 एन0 टी0 यू0 सी0 हो, एच0 एम0 पी0 हो, मैंने केवल डाट फटकार से काम लिया है। किसी को परेशान नहीं किया है।

जनता पार्टी बुजुर्ग पार्टी है। एक चीज मैं स्वीकार करता हूं कि यह जो वर्षों से मामले हाई कोर्ट चले जाते हैं, जल्द से जल्द एक इन्डस्ट्रियल एडजुडीकेशन का प्राविधान कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी फैसला हो सके। लेकिन जो रिट्स चली जाती हैं हाई

कोर्ट्स और पुप्रीम कोर्ट में, उनमें श्रमिक की तरफ के जो खर्चा हो, मालिक का खर्चा कम्पनी पर जाता है, अगर श्रमिक पक्ष जीत गया हो और मालिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाय तो जो खर्चा हो दैट शुड बि चार्ज्ड आन दि इन्डस्ट्री । उसको कम्पनी को देना चाहिए। इस सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर हम कानून तैयार करें।

क्लोज शाप का जिक्र किया माननीय नेगी जी ने। बस जानकारी की कमी की बात है और कोई बात नहीं है। इंग्लैन्ड में कुछ इन्डस्ट्रीज में क्लोज शाप हैं। वह श्रमिकों और मालिकों की रजामन्दी से वर्षों से हैं। क्लोज शाप में मजदूर को अप्वाइन्टमेन्ट देना, निकालना, प्रोमोशन, मजदूर को सजा देना सब यूनियन करती है। साथ ही साथ पूरे उत्पादन की जिम्मेदारी भी यूनियन की रहती है। इस माने में क्लोज शाप की जिक्र नहीं किया । मैंने केवल लीगल सोल बारगेनिंग एजेन्ट के लिए कहा था । अगर आठ-दस यूनियनें मजदूरों को खंड-खंड में विभक्त करती हैं इससे बढ़कर श्रमिक वर्ग का द्रोह और नहीं हो सकता है और वह श्रमिक नेता ही करते हैं । जब मैं यूरोप घूम रहा था तो मुझे सबसे डर यह था कि कोई मुझसे यह प्रश्न कर दे कि आपकी यूनियन के पास कितने करोड़ रुपया है । मैं चाहता हूं कि उनके पास लाखों रुपया हो और लाखों-लाखों रुपया उनके पोलिटिकल फण्ड में हो और वे यहाँ पर भी आ सकें।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)––

इसके लिए दरिद्र नारायण की पूजा करनी होगी।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी––

माननीय रियासत हुसैन साहेब ने पार्टीसिपेशन आफ मैनेजमेन्ट की बात कही और मेरे आर्डर का भी जिक्र किया जिसके कारण रिट्स हुईं। 500 रिट्स हो गयीं हाई कोर्ट में वह सब रिजेक्ट हो गयीं। मैं कहता हूं कि वह मेरिट्स पर रिजेक्ट नहीं हुई हैं। 500 मिल मालिक हमारे खिलाफ रहे, लेकिन हम डरे नहीं। कानूनी अड़चन के कारण हम उसे कोडीफाई कर देंगे । आबकारी के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि . . .

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)––

नशे की ओर जाने के पहले मैं श्रम के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। जे0 के0 काटन मिल की बात कही गयी थी उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है । इसकी शाखा बन्द होने की हालत में, मजदूरों को नोटिसेज मिल रही हैं और दूसरी ओर जे0 के0 काटन मिल की ओर से रुपया अहमदाबाद और बम्बई तथा दूसरी जगहों में लगाया जा रहा है और यू0 पी0 की मिल बन्द हो रही है । तो यह मिल कैसे चले इसकी क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी––

जे0 के0 काटन मैन्युफैक्चरर बन्द है। स्पिनिंग एन्ड वीविंग चल रही है। जे0 के0 मिल चल रही है। अलग-अलग मिलें हैं, अलग-अलग लीगल पर्सन हैं। एक का मुनाफा दूसरा नहीं ले सकता है। जे0 के0 मैन्युफैक्चरर की बन्दी का जहाँ तक सवाल है वह एक रुपए में देने को तैयार हैं वह यही बात केन्द्रीय सरकार से भी कह आए हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मन्त्री जी तो भूतपूर्व मन्त्री भी रहे चुके हैं। अगर वह एक रुपए में देना चाहते हैं तो क्यों नहीं लेते ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मैं तो ले सकता हूं। बात यह है कि . . .

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया समय का ध्यान रखें। श्यामधर जी जो बार-बार आपको उत्तेजित कर देते हैं। आपको अपना भाषण जल्दी समाप्त करना है।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मैं आपकी आज्ञा से मान्यवर, अपने माननीय सदस्यों से एक प्रार्थना करूंगा और फिर बैठ जाऊंगा। यह तो मैं जानता हूं। ब्राह्मण को दक्षिणा मिल जायगी और हमारा बजट पास हो जाएगा (हंसी) माननीय सदस्यों की भावनाओं को मैं जहाँ तक समझ पाया हूं यदि मैं उनका समयाभाव के कारण उत्तर नहीं दे सका हूं तो मेरी प्रार्थना है कि मुझसे मिल कर अपनी शंकाओं को दूर कर लें।

श्री अध्यक्ष--

श्री नेगी जी, क्या आप अपना कटमोशन वापस लेते हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब उन प्रश्नों के बारे में जिनको मैंने उठाया था, कुछ नहीं कहा गया। श्रमिक नीति क्या होनी चाहिए, वह भी स्पष्ट नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी की बुजुर्गियत को ध्यान में रखते हुए अधिक न कह कर अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रेस करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10--राज्य आबकारी--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10--राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,90,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37--श्रम एवं सेवायोजन--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,40,04,600 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनायें आज प्राप्त हुई हैं, उनमें मैंने श्री गनेशी लाल चौधरी द्वारा दी गई सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

"लखनऊ नगर में दिनाँक 26 सितम्बर, 1977 को दिन में हजरतगंज मार्केट के निकट जगदीश चन्द्र बोस चौराहे पर अवध सहकारी बैंक के खजान्ची, श्री अविनाश कुमार से डकैतों द्वारा 1 लाख 10 हजार रुपया छीना जाना।"

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इसमें मेरा भी जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपका नाम भी जोड़ दिया गया है। इसके सम्बन्ध में आप (संस्थागत वित मन्त्री से) कब वक्तव्य दे देंगे?

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

अगले सप्ताह किसी भी दिन रख लीजिए।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, यह तो लखनऊ ही का मामला है।

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

3 अक्तूबर को रख दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

3 और 4 को और वक्तव्य हैं। आप 30 तारीख को इस विषय पर वक्तव्य दे दीजिए। यह लखनऊ का ही मामला है।

श्री लक्ष्मण सिंह—

ठीक है।

जिला शाहजहांपुर, कस्बा कटरा में मैकू लाल तथा उनके परिवार के सदस्यों के साथ दरोगा एवं चार सिपाहियों द्वारा कथित अभद्र व्यवहार तथा कु० संसारवती के साथ बलात्कार के कथित मामले में दोषी व्यक्तियों को सजा न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं 2 बातों के आधार पर आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री का इस विषय पर वक्तव्य नहीं होना चाहिए। इस सदन में आपकी पीठ से ही दिनाँक 23 फरवरी, 1953 को माननीय राज नारायण की सूचना पर अध्यक्ष का यह निर्णय हो चुका है कि वह विषय लोक महत्व का नहीं माना जा सकता है, जिसके विषय में विलम्ब से सूचना आई है ...

श्री अध्यक्ष--

यह किस वर्ष की रूलिंग की आप बात कर रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

यह संकलन 190 पर 112 नं0 रूलिंग है। यह वर्ष 1959 की है।

इसके बारे में लोक सभा की प्रैक्टिस ऐंड प्रोसीजर आफ पार्लियामेन्ट में दिया हुआ है :

As a rule, a notice must be given on the same day on which a matter has arisen or become publicly known. If it is given a little later, the notice may be rejected on the ground that it has not been raised at the earliest opportunity.

श्री अध्यक्ष--

यह आप कौन सी प्रोसीडिंग पढ़ रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

पहली तो विधान सभा की ही बताई है, जो वर्ष 1959 की है। और दूसरी लोक सभा की है।

यह प्रश्न बहुत देर से उपस्थित किया गया है। इसलिए यह नहीं लिया जा सकता है। एक तो दिनाँक 20 सितम्बर, 1977 को इस विषय पर नियम 51 के अन्तर्गत मेरी सूचना को अस्वीकृत किया गया और 22 सितम्बर, 1977 को माननीय नेता विरोधी दल की दूसरी सूचना को स्वीकृत किया गया था। नियम 51 की सूचनाओं में व्यक्ति का महत्व नहीं होता है बल्कि हर सदस्य के साथ बराबर का व्यवहार किया जाता है। इस मामले में मुझे विधान सभा की तो कोई कार्यवाही नहीं मिली कि ऐसा कोई आब्जेक्शन एराइज हुआ हो लेकिन लोक सभा की कार्यवाही में यह आया है। इसमें कहा गया है कि --

Notice on a subject which have either lapsed or have been disallowed or kept pending earlier may be revived if subsequently any notice on the same subject is admitted. In such cases, names of all the members who have tabled notices are balloted to determine priority for selecting the five names for inclusion in the list of business.

इसमें आप देखेंगे कि लोक सभा डिबेट है दिनाँक 27 नवम्बर, 1968 की, पेज 145 पर। तो पहले मैंने कहा कि एक तो देर से आया, इसलिए नहीं लिया जा सकता और दूसरे एक बार मेरा 51 का अस्वीकृत किया जा चुका है तो उस पर दूसरी बार दूसरे के नाम से नहीं लिया जा सकता।

जहाँ तक इस माननीय सदन की परम्परा का सवाल है, सन् 1959 का जो साइटेशन दिया उसमें आज का 52 जो है वही तब का 51 था। उस समय यह व्यवस्था थी कि नियम 52 के अन्तर्गत एक बार प्रश्न अस्वीकृत हो जाने के बाद उस पर विवाद नहीं किया जा सकता। यह 188 पेज पर है। यह रूलिंग 107 है। तो इन दोनों कोटेशन्स के आधार पर मेरा निवेदन है कि इस विषय पर मुख्य मन्त्री जो का वक्तव्य इन परिस्थितियों में नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष--

आपने 112 नम्बर की रूलिंग की ओर ध्यान आकर्षित किया है (व्यवधान) मानसिंह जी, आप रनिंग कमेन्टरी बन्द कीजिए। शान्ति के साथ सुनिए। यह 23 फरवरी सन् 1959 के श्री राजनारायण जी द्वारा अभिसूचित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लेकर है। तो निर्णय क्या हुआ? उस समय यह कहा गया कि दिसम्बर में यह हुआ और असेम्बली 9 तारीख से बैठ रही है तो 9 तारीख से लेकर 22 तक आपने विलम्ब किया। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वह तो 14 तारीख की घटना हुई और उसको यथाशीघ्र मेरे सामने लाया गया जिसको कि मैंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद आज फिर.....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

इनका कहना है कि इनका नोटिस अस्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष--

वह दूसरी बात कहते हैं। इसमें आपका प्रश्न तो यह है कि इसमें विलम्ब हुआ। आपने जिस रूलिंग का जिक्र किया है उसमें कोई विलम्ब इस मामले में नहीं हुआ है।

अब आपने दूसरा प्रश्न यह किया कि मैंने भी इसी प्रकार की सूचना दी थी। तो आपकी सूचना शाहजहाँपुर के सम्बन्ध में नहीं थी, वह अन्य जगह के बारे में थी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

इसी के बारे में था। दिनाँक 20 सितम्बर को मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन आप महसूस करते हैं कि नियम 51 के प्रश्नों में उस रोज यह देखना पड़ता है कि अपेक्षाकृत कौन सा प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। तो उस रोज जो मैंने स्वीकार किया वह माननीय रियासत हुसैन का था जिला परिषद् तथा उत्तर प्रदेश में मलेरिया के भारी प्रकोप के बारे में था। वह अधिक महत्वपूर्ण था। 22 तारीख को श्री तिवारी जी और अन्य लोगों का आया तो उसको स्वीकार किया। तो यह नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष

[श्री अध्यक्ष]

को महत्व दिया गया। मलेरिया का प्रकोप न केवल मुरादाबाद में बल्कि समस्त प्रदेश में होने की बात थी जबकि मलेरिया का उन्मूलन हो चुका था और फिर से मलेरिया का प्रकोप देश के अन्दर होना और प्रदेश में हो यह ज्यादा महत्व की बात थी, इसलिए आपका प्रश्न उस रोज नहीं लिया गया। लेकिन 22 तारीख को जब मेरे सामने पुनः इसी तरह की दूसरी घटनाएं आयीं तो मैंने इसलिए स्वीकार किया। न इसमें विलम्ब हुआ है और न इसमें किसी प्रकार के भेद-भाव का प्रश्न होता है। इसलिए अब इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी अपना वक्तव्य देंगे। माननीय सदस्य को अवसर मिलेगा स्पष्टीकरण का उस समय।

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15 सितम्बर, 1977 को लगभग 6-30 बजे शाम श्री मैकू लाल पुत्र नन्हूं, कौम कंजर, निवासी ग्राम गठिया रंगीन, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर, जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष उनके निवास स्थान पर उपस्थित हुए और शिकायत की कि दिनांक 14 सितम्बर, 1977 की रात्रि को वह अपने परिवार के सदस्यों तथा अन्य सम्बन्धियों के साथ कस्बा कटरा की धर्मशाला, जिसमें ठाकुरद्वारा भी है, में ठहरा था। रात्रि के लगभग 10.00 बजे थाना कटरा के छोटे दरोगा तथा कुछ सिपाही धर्मशाला आए और उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती थाना कटरा में पकड़ कर ले गए, उनके साथ मारपीट किया तथा उनकी पुत्री कुमारी संसारवती के साथ बलात्कार किया और उन्हें प्रातः 11 बजे थाने से छोड़ा। उपरोक्त घटना का सारांश सुनने पर जिला मैजिस्ट्रेट ने श्री मैकूलाल को उक्त घटना के सम्बन्ध में लिखित रिपोर्ट देने का सुझाव दिया। इस पर श्री मैकूलाल, जो स्वयं जूनियर हाई स्कूल, ग्राम समरिया में सहायक अध्यापक हैं, ने एक लिखित तहरीर दी। इसी बीच जिला मैजिस्ट्रेट ने तुरन्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क स्थापित किया। पुलिस अधीक्षक कुछ ही समय में सहायक पुलिस अधीक्षक को लेकर जिला मैजिस्ट्रेट के निवास स्थान पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री मैकू लाल की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार पर सायंकाल 7.30 बजे धारा 342/376/323 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक द्वारा करने के आदेश दिए गए। दिनांक 15 सितम्बर, 1977 को रात्रि में ही कुमारी संसारवती का डाक्टरी मुआइना कराया गया। डाक्टरी रिपोर्ट में उल्लेख है कि बलात्कार के सम्बन्ध में कोई राय नहीं दी जा सकती है। किन्तु कुमारी संसारवती के कपड़े जिन्हें वह घटना के समय पहने थी, को रासायनिक परीक्षण हेतु आगरा भेजा गया है तथा रिपोर्ट प्रतीक्षित है। इस घटना के सम्बन्ध में एक पुलिस उप निरीक्षक तथा 3 कान्सटेबिलों को दिनांक 16 सितम्बर, 1977 को निलम्बित कर दिया गया है। उक्त चारों पुलिस कर्मचारी फरार थे तथा उनके द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 1977 को द्वितीय अतिरिक्त मुंसिफ मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के न्यायालय में आत्म समर्पण किया गया। उप निरीक्षक की जमानत दिनांक 19 सितम्बर, 1977 को हो गई है परन्तु नवीनतम सूचना के अनुसार तीनों पुलिस कान्सटेबिल अभी भी जेल में है। विवेचना प्रचलित है तथा कार्यवाही शिनाख्त हेतु दिनांक 24 सितम्बर, 1977 को नियुक्त थी जिसमें साक्षीगण वादी, उसकी पत्नी, उसकी दोनों पुत्रियां एवं भाई की पत्नी कार्यवाही शिनाख्त के लिए

जला शाहजहांपुर, कस्बा कटरा में मैकू लाल तथा उनके परिवार के सदस्यों के साथ दरोगा एवं चार सिपाहियों द्वारा कथित अभद्र व्यवहार तथा कु0 संसारवती के साथ बलात्कार के कथित मामले में दोषी व्यक्तियों को सजा न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

उक्त तिथि को उपस्थित नहीं हुए। अत : अब शिनाख्त की कार्यवाही के लिए दिनांक 29 सितम्बर, 1977 निर्धारित है । थानाध्यक्ष के विरुद्ध कुछ शिकायतें पहले प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच कराई गई। जांच के उपरान्त उनको जिले से बाहर स्थानान्तरित किए जाने के आदेश दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को किए जा चुके थे तथा ईद की नमाज के बाद उन्होंने दिनांक 16 सितम्बर, 1977 को चार्ज दे दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो पुलिस उप निरीक्षक और 3 कांस्टेबिल निलम्बित हुए हैं उन पर क्या आरोप हैं और थानाध्यक्ष जिनकी शिकायत, श्री मैकूलाल ने की, उन्हें निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

मान्यवर, जैसा मैंने पढ़ा, इन चारों आदमियों के विरुद्ध धारा 342, 376, 323, भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

थानाध्यक्ष को क्यों नहीं निलम्बित किया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

जो रिपोर्ट है मैकूलाल जी की तरफ से उसमें पहला जुमला यह लिखा है कि छोटे दरोगा और सिपाही उनको ले गए और हमारे साथ यह कार्यवाही की। उसमें एस0 ओ0 के विरुद्ध कोई एलीगेशन नहीं है ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)---

जैसा मन्त्री जी ने कहा कि छोटे दरोगा और 4 सिपाही ले गए, यह बात तो सही है, लेकिन जब ये थाने पर रखे गए उस समय बड़े दरोगा वहां मौजूद थे। उनको यह जानकारी दी गयी और कहा तो यहां तक जाता है कि उन्होंने भी बलात्कार किया, तो उन बड़े दरोगा के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, जिनकी जानकारी में सारी बात हुई ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

मान्यवर, ऐसा है, यह सही है कि बड़े दरोगा जी थाने पर मौजूद थे, इनको पुलिस जब ले गयी, तो उनकी नोटिस में यह बात आई और उन्होंने उनसे पूछतांछ किया, तो यह मैकूलाल ने सुरेन्द्र विक्रम सिंह, सुरेन्द्र प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता का रिफरेंस दिया कि मेरे बारे में उनसे जानकारी कर ली जाय, तो उनको बुलाया गया, रात को 11 बजे आए । एस0 ओ0 ने उनसे पूछतांछ किया और यह कह दिया कि उनको छोड़ दिया जाय। उसके बाद वह अपने क्वार्टर में चले गए। उसके बाद सेकन्ड अफसर ने और सिपाही ने नहीं छोड़ा। रात में जो घटना हुई, उसके अनुसार कार्यवाही की गयी। एस0 ओ0 पर भी सुपरिन्टेडेंट पुलिस, डी0 एम0 ने केवल विभागीय कार्यवाही करने को कहा और उन पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है और वही की जा सकती है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता था कि थानाध्यक्ष महोदय का नाम क्या है और उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें पहले से प्राप्त हुई थीं, जिनका जिक्र माननीय मन्त्री जी ने अपने बयान में किया है, वह कौन सी शिकायतें थीं, जिसकी जांच कराई जा रही है, वह क्या हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

एस0 ओ0 श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा हैं, उनके विरुद्ध पहले के दो इन्सटैंसेज आए हैं। एक तो हमारे विधायक श्री यादव जी थे, तफसील जानना चाहते थे, तो उसकी तफसील यह है कि दो हरिजन लड़कियों के साथ 4 नवजवान लोगों ने चौराहे पर दुर्व्यवहार किया। उसकी थाने पर रिपोर्ट हुई। पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही की और उसमें कोई मुरारी लाल अग्रवाल, बड़े आदमी हैं, उनका लड़का इन्वाल्व था, उनका नाम आया, तो यह कहना है कि यादव साहब मुरारीलाल अग्रवाल को लेकर थाने पर गए, उनके साथ और कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि अग्रवाल के लड़के के खिलाफ जो कार्यवाही की गयी है, वह समाप्त कर दी जाय। एस0 ओ0 ने कहा कि बड़े आदमी के लड़के और छोटे आदमी के लड़के सभी मेरे लिए बराबर हैं। इसके अलावा चार्जशीट चूंकि भेजी जा चुकी है, यह मेरे कन्ट्रोल से बाहर है। यह बात उन लोगों को नागवार लगी। तो उस सिलसिले में एस0 पी0 से वे मिले कि इनका ट्रान्सफर किया जाय इनको मुअत्तल किया जाय। उसमें यह रिपोर्ट आई है। चूंकि एस0 ओ0 के जूरिसडिक्शन की बात नहीं थी कि केस को खत्म कर देते, इसलिए उसमें चार्जशीट लगाई गयी। एस0 ओ0 को यह हिदायत दी गयी है कि उन्हें माननीय विधायकों से शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए था। उन्होंने गर्म भाषा का प्रयोग किया था, उसके अनुसार उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। एक और कोई फ्रीडम फाइटर थे। उनका कोई मुकामी झगड़ा था। उन पर दोतरफा 107/116 की कार्यवाही की गयी थी। उन्होंने एस0 ओ0 से कहा कि चूंकि मैं फ्रीडम फाइटर हूं, इसलिए इस मुकदमें में एकतरफा कार्यवाही की जाय। उस समय भी एस0 ओ0 ने गर्म भाषा का प्रयोग किया। तो चूंकि एस0 ओ0 गर्म भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ड्यूटी में कोई ऐसी खामी नहीं पायी गयी, जिससे केवल विभागीय कार्यवाही की है, वह की जा रही है। दफा 7 के तहत उनका जवाब तलब किया गया है और जो उचित दण्ड होगा, उनको दिया जायगा।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

मान्यवर, जैसा कि मन्त्री जी ने अभी स्वीकार किया है कि शायद दरोगा का व्यवहार ही कुछ इस प्रकार का रहा है, इन्होंने फ्रीडम फाइटर से, विधायक से भी दुर्व्यवहार किया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ये थाना के अन्दर मौजूद थे, जब कि थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, लोकल पुलिस इन्वाल्व हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है, क्या मेरी इस जानकारी को सही मान कर कि इस दरोगा ने भी बलात्कार किया है, इस दरोगा को मुअत्तल करके इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, ऐसा है कि यह सेकेन्ड अफसर सिपाही लेकर गए थे। रोजनामचे में उन्होंने कोई इण्टरी नहीं की। वह कहते हैं कि मेरी जानकारी में नहीं था, लेकिन इतना

सिद्ध हो गया है कि एस0 ओ0 जो थे उनकी जानकारी में यह बात आ गयी थी। तो जैसा मैंने पहले कहा कि उनके खिलाफ कोई लीगल कार्यवाही नहीं की जा सकती। जिसके बेसिस पर अदालत में अभियोग चलाया जा सके। जहाँ तक विभागीय कार्यवाही का सवाल है वह की है। उनको देखना चाहिये था कि जब उन्होंने आदेश दे दिए थे कि छोड़ दिया जाय तो छोड़ा गया था या नहीं ? यह माना जाता है कि सीनियर अफसर ने आदेश दे दिया तो यह समझा जाता है कि वह छोड़ दिए गए होंगे। तो इसमें देखा जायगा। जाँच हो रही है, कि कितनी गलती है। उनकी साजिश है या लापरवाही है, इसको देखकर कार्यवाही की जायगी।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको सदन के पटल पर रखा जाय। पुलिस अधिकारियों के सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट है और बालिका की मेडिकल रिपोर्ट क्या है ? तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए सी0 आई0 डी0 से जाँच कराई जाय ताकि निष्पक्ष जाँच हो सके।

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, 14 का वाक्या है। 15 तारीख को सवा 10 बजे संसारवती का डाक्टरी मुआइना हुआ है। जो रिपोर्ट है वह अंग्रेजी में है :--

Hymen torse, old tapes of mucous memb.
Real of two fingers easily can be inserted.
Opinion of the rape cannot be given.

रेप की बाबत कोई राय नहीं दी जा सकती। यह रिपोर्ट है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, यह जो पनिशमेंट दिया है। इसमे 342 लागू होता है। लेकिन 376 को मेडिकल रिपोर्ट के सहारे बचाए जाने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, 5 दिन तक 376 के केस को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो दोबारा किसी दूसरे डाक्टर से उसका मेडीकल मुआइना क्यों नहीं कराया गया ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न तो यह है कि जैसा माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया 3 कांस्टेबिल और एक सब-इंस्पेक्टर निलम्बित कर दिए गए हैं जिनके मैकूलाल ने रिपोर्ट में नाम दिए हैं। जहाँ तक एस0 ओ0 का सवाल है तो उनके बारे में उत्तर दिया जा चुका है कि कोई कानूनी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है, इसलिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं एस0 ओ0 की बात नहीं कह रहा हूं। जो रिपोर्ट लिखाई गयी, उसके बाप ने लिखाई कि 376 की घटना हुई है। तो मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार 376 का हवाला आने से रोकने के लिए, उसको बचाने की बात की गई है। जब डाक्टर साहब अपनी

[श्री रियासत हुसैन]

रिपोर्ट नहीं दे पाए तो इससे अधिकारी क्यों सन्तुष्ट हो गए और उन्होंने दूसरे डाक्टर से मुआइना क्यों नहीं कराया?

श्री अध्यक्ष--

इसमे लिखा है कि रासायनिक जाँच के लिए कपड़ों को आगरा भेजा गया है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, वह तो अलग चीज है।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

एक साथ नहीं।

श्री लक्ष्मण सिंह—

माननीय सदस्य को शायद जानकारी हो। रेप का एलीगशन है। 15 तारीख को डाक्टरी जाँच हो गयी। अगर 15 तारीख के बाद जाँच कराई जाती तो पता नहीं चलता। रेप के इतने समय बाद मेडीकली राय देना सम्भव नहीं होता है। सीमेन वगैरह जो कपड़ों पर है वह जाँच के लिए भेजा गया है। यह जरूरी नहीं है कि मेडीकल की ही इवीडेन्स होती है। इसमें और भी कई चीजें हैं। अभी शिनाख्त होगी तो इसमें किसी को बचाने का कोई प्रश्न नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने तुरन्त कार्यवाही किया है।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर समय नहीं है क्योंकि आधे घंटे की चर्चा का प्रश्न है। इसलिए इस पर विवाद समाप्त किया जाता है।

श्री अवध नारायण त्रिपाठी, वकील, प्रतापगढ़ के घर व कार्यालय का कुर्क किया गया पूरा सामान वापस न किए जाने के विषय में दिनांक 20 सितम्बर, 1977 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 24 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष--

अब आइटम 13—श्री अवध नारायण त्रिपाठी, क्या वह नहीं हैं? (जवाब न मिलने पर) वह नहीं हैं। इसलिए अब हम उठते हैं और कल 11 बजे मिलेंगे।

श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

श्रीमन्, श्री अवध नारायण त्रिपाठी यहाँ नहीं हैं, वह वकील हैं। श्रीमन्, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

भूल हो गयी। आप लोग बैठें।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, क्या व्यवस्था देंगे कि उठ जाने के बाद क्या दुबारा चर्चा हो सकती है?

श्री अवध नारायण त्रिपाठी, वकील, प्रतापगढ़ के घर व कार्यालय का कुर्क किया गया पूरा सामान वापस न किए जाने के विषय में दिनांक 20 सितम्बर, 1977 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 24 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अभी हम गए नहीं थे। इसलिए मैंने उसको रद्द कर दिया और श्री विद्या शंकर पाँडेय को बुला लिया ।

श्री विद्याशंकर—

मान्यवर, मैंने श्री अवध नारायण त्रिपाठी, एडवोकेट. प्रतापगढ़ के घर व कार्यालय का कुर्क किया गया पूरा सामान वापस न किए जाने के विषय मे तारांकित प्रश्न किया था। लेकिन उसमें बहुत ही हल्के ढंग से उसका जवाब आया। इसलिए उसके सम्बन्ध मे मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन का समय 15 मिनट बढ़ा रहा हूं ।

श्री विद्याशंकर—

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि श्री अवध नारायण त्रिपाठी जब इमरजेन्सी लागू हुई तो उसके एक हफ्ते पहले 17 जून, 1975 को रायपुर चले गए थे परिवार के साथ। 25 जून, 1975 को इमरजेन्सी डिक्लेयर हुई थी और 26 तारीख को रायपुर में श्री मधु लिमये और पुरुषोत्तम कौशिक के साथ श्री अवध नारायण त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया, 107 में। वहाँ वह गिरफ्तार हुये। इसके कुछ दिन बाद हाई कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया और वहाँ पर वह पड़े रहे। 18/19 को उनका सारा सामान प्रतापगढ़ में कुर्क कर लिया गया। नियम में है जिसके अन्तर्गत सामान कुर्क किया जाता है, उस समय मौके पर फर्द कुर्की तैयार की जाती है। नियम में यह भी है कि जब फर्द कुर्की बनायी जाय तो उसकी एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को दी जानी चाहिए लेकिन इस कुर्की की कोई प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को नहीं दी गयी। इसके 20 महीनों के पश्चात् जब वह रायपुर से लौटे दिनाँक 18 मार्च, 1977 को जब चुनाव हो रहे थे। वह सामान लेने गए तो सामान का पता नहीं था। एक हफ्ते तक दौड़ाया गया और कहा गया कि जो सामान कुर्क किया गया है उसकी सूची नहीं है। दिनाँक 23 तारीख को उन्होंने जिला अधिकारी को शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया तो उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए कि सामान दे दिया जाय। इसके अलावा मान्यवर, मौके पर कुर्की के समय जो फर्द बनी है और जो जी0 डी0 है इन दोनों में जो सामान दर्ज है वह भिन्न है। जी0 डी0 में सामान कम दर्ज है और जो मौके पर कुर्की की फर्द है उसमें सही दर्ज किया गया है। लेकिन कुर्की की फर्द गायब करदी गयी है। उनके घर का सारा सामान कुर्क किया गया। उनकी कानूनी किताबें, बर्तन, स्टोव, ट्रांजिस्टर सभी सामान ले गए थे और एक भी सामान उनके घर में नहीं रहा। उस सामान की कस्टोडियन सरकार थी। उसका फर्ज था कि उसकी सुरक्षा और हिफाजत करती। लेकिन अब जो सामान वहाँ देखा गया तो वह सब खराब हो गया था। ए0 आई0 आर0 की किताबें थीं, जिनको दीमक खा गयी थी। बर्तन और ट्रान्जिस्टर जो कुर्की की फर्द में दर्ज थी, वह नहीं मिली। जितना सामान लौटाया गया उसके लिए इन्होंने कहा कि जो सामान लौटाया जा रहा है, उसकी ही रसीद दूंगा। जो सामान गायब है उसकी रसीद नहीं दे

[श्री विद्या शंकर]

सकता। जिस दरोगा ने मौके पर फर्द कुर्की तैयार की थी वह आज भी उसी जगह तैनात है। यह जवाब दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में जाँच की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दरोगा ने फर्द कुर्की बनायी थी वह आज भी वहाँ मौजूद है तो सामान न मिलने के लिए उस पर क्यों नही ऐक्शन लिया जा रहा है ? आप जानते हैं कि यह आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपने जेवरात बेचकर किसी तरह अपना परिवार चला रहे हैं।

इस तरह से एमरजेन्सी में लोगों के साथ ज्यादतियां की गयीं। एमरजेन्सी में जो अत्याचार हुए उनका फैसला जनता ने किया। जनता पार्टी की सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने न्याय नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं कि जनता आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगी। आज भी अत्याचार हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहाँ सआदतउल्ला डी0 एम0 थे। उन्होंने मीसा लगाया। उनके ही आदेश से वारन्ट निकला और उनके सामान की कुर्की हुई। जब मुख्य सचिव से मालूम किया तो बताया कि उनका कम्पलसरी रिटायरमेन्ट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि उनको यू0 पी0 का एजेन्ट बनाकर वेस्ट बंगाल भेज दिया गया। इस तरह से अन्याय और अत्याचार हुए हैं। जिन लोगों के साथ यह हुआ है उनको कम्पेन्सेट करें। यही मेरी सरकार मे प्रार्थना है।

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, करीब-करीब सही है। यह सही है कि जितनी लिस्ट सामान की थी, जो सामान कुर्क किया गया था, वह नहीं लौटाया गया। 3,770 रुपए का सामान वापस नहीं हो सका। यह उनका कहना है और शासन का भी एडमीशन है। 1 हजार 31 रुपए का और सामान वकील साहब कहते हैं कि कुर्क किया गया था, वह नहीं है। उसकी जांच हो रही है कि उसकी फर्द क्यों नहीं बनी। जहां तक इसका सवाल है कि उनकी हिफाजत होनी चाहिए थी तो उसमें ऐसा है कि बहुत बड़ी तादाद में किताबें हैं। दो साल तक वे किताबें सुरक्षा से नहीं रखी गयीं। कुछ कपड़े थे, उनको सुरक्षा से रखना चाहिए था। एक चीज है। वह सब इन्सपेक्टर वहां नहीं हैं। जिले में हैं लेकिन उस थाने पर नहीं हैं। जिन्होंने कुर्की की थी, इन सब चीजों की जांच की जा रही है। जहां तक 3,770 रुपए का सामान वापस नहीं करने का सवाल है, अब शासन इस नतीजे पर पहुंचा है कि इन दो एस0 आई0 श्री के0 एन0 सिंह और श्री जगदम्बा सिंह के खिलाफ 409 में मुकदमा दायर किया जाय। सामान की वापसी के लिए जो कानून का तरीका है कम्पेंसेशन का वही किया जा सकता है। जो ट्रान्सफर की मांग की है माननोय विधायक ने, यदि वे जिले में मौजूद हैं उनका जिले के बाहर तबादला किया जायगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि यह सामान दर्ज नहीं किया गया तो क्या पुलिस सब इन्सपेक्टर को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी ने कहा कि दफा 409 का मुकदमा चलाया जायगा।

श्री लक्ष्मण सिंह--

जी0 डी0 में दर्ज है। फेहरिस्त बनी है।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर, जब मन्त्री महोदय ने खुद मन्जूर किया है कि वाकई 3,700 रुपए का सामान वापस नहीं किया गया है तो. . . .

श्रीअध्यक्ष--

यह तो प्रश्न ठीक नहीं है। माननीय मन्त्री जी कह चुके हैं कि कम्पेनसेशन देने का प्रश्न विचाराधीन है क्योंकि कोई कानून होगा और फिर जो व्यक्ति दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

आपात्कालीन स्थिति के दौरान पूरे सूबे में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुईं जिन में बहुत से लोगों का सामान कुर्क किया गया और वापस नहीं किया गया। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के जो मामले हैं उनके लिए एक जनरल आदेश होना चाहिए शासन की ओर से कि कम्पेनसेशन नहीं दे सकते हैं, उनका सामान वापस नहीं कर सकते हैं तो सम्बन्धित अधिकारी की तनख्वाह से किसी तरह काट कर उसको कम्पेमसेशन दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न की परिधि आपने बहुत बढ़ा दी है। इसको सिद्धान्त रूप में प्रतापगढ़ तक श्री अवधेश नरायन के प्रश्न तक ही सीमित रखना चाहिए। इस तरह की शिकायतें हों जैसी श्री अवधेश नरायन ने की है, उन्हें मन्त्री जी की जानकारी में लाना चाहिए।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि खास तौर से पुलिस प्रशासन के विरुद्ध इस प्रकार की अथवा अन्य प्रकार की शिकायतें आया करती हैं और उसका असर बहुत बुरा पड़ रहा है कोई उस पर सुधार नहीं हो रहा है। ट्रान्सफर करना कोई सजा नहीं है। मन्त्री महोदय ऐसे कर्मचारियों को निकालने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष

यह उत्तर दिया जा चुका है कि दफा 409 में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जांच हो रही है और कार्यवाही की जायगी लेकिन दोनों थानाध्यक्ष प्रतापगढ़ जनपद में मौजूद हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आपात्-कालीन स्थिति में जो उन्होंने ज्यादतियां की और सामान की हिफाजत न करके उसका अपव्यय किया, उन्होंने गलती की तो उनको निलम्बित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मैंने बतलाया कि इनके खिलाफ 409 का गम्भीर मुकदमा कायम हो गया है। केवल सुपुर्दगी की बात ही गम्भीर नहीं है, बल्कि मीसा लागू करने की बात ज्यादा गम्भीर है।

[श्री लक्ष्मण सिंह]

मीसा किसने लागू किया इसको भी देखा जा रहा है। दो सब-इन्स्पेक्टर्स जिन्होंने अपनी सुपुर्दगी में माल लिया उन्होंने ही सारे जुल्म किये। ऐसी बात नहीं है। इस सारे मामले की जांच करा रहे हैं। खाली तीन हजार रुपए के लिए वकील साहब नहीं लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा गहरी बात है लिहाजा सारे मामले की जांच कराई जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि आप दफा 409 में मुकदमा चला रहे हैं तो उनको निलम्बित किया या जिले से बाहर स्थानान्तरण किया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह––

मैंने शुरू में ही अर्ज किया है कि वे उस थाने में नहीं हैं। विधायक अगर यह चाहते हैं तो उनका ट्रान्सफर दूसरे जिले में कर दिया जायगा। निलम्बन अभी उनका नहीं किया गया है। यह भी देखना होगा कि केवल उनकी लापरवाही थी या कोई बदनीयती थी या ऐसी कोई उन्होंने कार्यवाही की है जिससे तफतीश के दौरान उनको निलम्बित कर दिया जाय, इसकी अभी कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकी है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)––

जब 409 का मुकदमा कायम हो गया तो प्राइमा-फेसाई केस उन पर आयद हो गया तो इसको देखते हुए क्या आप इन दोनों अधिकारियों को निलम्बित करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह ––

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अभी यह देखना होगा कि उनकी लापरवाही थी या नहीं ? वैसे तो कानूनन 409 में काफी सजा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष––

जब दफा 409 में आप प्रासीक्यूट कर रहे हैं तो क्या प्राइमा-फेसाई यह जुर्म साबित नहीं है, यह माननीय सदस्य का कहना है ?

श्री लक्ष्मण सिंह––

यह भी एक कानूनी पोजीशन है कि जब मुकदमा उन पर कायम हो गया तो कानूनन उनका निलम्बन किया जाना आवश्यक है, लेकिन कल 26 सितम्बर, 1977 को ही उन पर मुकदमा कायम हुआ है।

श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)––

मैंने मन्त्री जी को स्वयं लिखा था कि के0एन0 सिंह, सोनीपुर में थानाध्यक्ष थे। मै भी फरार था और मेरे सामान की कुर्की के सम्बन्ध में भी ज्यादती की गयी थी और इस समय भी ज्यादतियां की जा रही हैं। उनका कम से कम स्थानान्तरण प्रतापगढ़ से कर दिया जाय लेकिन यह सब तो किया नहीं गया, वह वहां पड़े हुए हैं और अब जब यह प्रश्न आया विधान सभा में तो कल उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी।

श्री अध्यक्ष––

यह आपका सुझाव है। माननीय मन्त्री जी इस पर विचार कर लेंगे।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि जी0 डी0 में यह लिखा है कि कितना माल लिया गया, कुर्की की गयी और यह भी मालूम है कि किसने कुर्की की और वही दरोगा उस थाने का एक अफसर है तो जब 409 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया तो क्या यह बात सरकार को मालूम नहीं है कि उस दरोगा ने कम से कम विभागीय कार्यवाही के लायक कार्यवाही की और तत्काल उसको निलम्बित कर दिया जाय क्योंकि उसने मिसएप्रोप्रिएशन किया और प्राइमा-फेसाई केस उस पर बनता है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने पहले भी यह निवेदन किया था कि सरकार को यह भी मालूम है क्यों उनको बन्द कर दिया गया था। उनको दरोगा के आदेश से बन्द नहीं किया गया था। सरकार परम्पराओं से बंधी है। हम चाहते हैं कि जिन-जिन का दोष पाया जाय उन सब पर कार्यवाही की जाय। मान्यवर, मैंने इतनी तफसील में बात कह दी है, उन पर 409 का मुकदमा कायम कर दिया गया है। 409 में मुकदमा कायम होने पर उनका निलम्बन होना आवश्यक है, कल ही यह कायम हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

पाण्डेय जी, पाँच मिनट में आप खत्म करें क्योंकि आपने प्रश्न उपस्थित किया है इसलिए आपको उत्तर देने का अधिकार है। पांच मिनट में आप समाप्त करें। उसके बाद मन्त्री जी प्रश्न का उत्तर देकर समाप्त करेंगे।

श्री विद्या शंकर—

मान्यवर, मैं अपने मन्त्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्काल कार्यवाही की और सदन को आश्वासन दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जो उन्होंने दरोगा के लिए ऐक्शन लिया है उसके लिए आभारी हुं और साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन सआदतउल्ला को पदोन्नत करके वेस्ट बंगाल भेजा गया है जिन्होंने ये सारी ज्यादतियां की हैं, जिसने कोई परवाह नहीं की और हम लोगों की तबाही कर डाली। मैं सदन का एक मेम्बर हूं, मेरे लड़के को भी गिरफ्तार किया, 19 महीने तक हम लोग बन्द रहे उनके खिलाफ भी ऐक्शन लिया जाय। आज जनता ने फैसला दिया है जनता पार्टी को, तो हमारा फर्ज हो जाता है कि ऐसे अन्यायियों के साथ उचित व्यवहार हो। इतना ही श्रीमन्, मुझे कहना है। मुझे विश्वास है कि हमारे मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसे पूरा किया जायगा।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, समस्या के सम्बन्ध में कोई विशेष बात कहने की अब आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं जिलाधीश के बाबत वह लिख कर दें उस पर तुरन्त कार्यवाही और जांच करायी जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
27 सितम्बर, 1977 ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 773 पर।)

सेवा में,

गृह सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन;

लखनऊ।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मेरे पति श्री कृष्णपाल सिंह की दिनांक 6/7 जून, 1977 की रात्रि को निर्मम रूप से हत्या कर दी गयी थी। अभी तक आगरा पुलिस पूर्ण रूप से निष्क्रिय है, मेरे द्वारा दिए गए किसी भी बयान पर पुलिस ने कुछ भी कार्य नहीं किया। मेरे पति अपने साथ घटित समस्त घटनाओं का मुझसे जिक्र किया करते थे, इधर उनकी दुश्मनी श्री नाथू लाल, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा तथा ज्ञान सिंह भूतपूर्व थाना इंचार्ज, हरीपर्वत से थी।

मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी हत्या के लिए किसी को 2,000 रु0 भी दिया गया था, अतः वह भयभीत होकर के माह फरवरी में एक पत्र पुलिस महा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को दिया था तथा उनसे मिले थे। इसके अतिरिक्त एक पत्र गृह मन्त्री, भारत सरकार को भी भेजा था। इसके बावजूद भी उनके प्राणों की रक्षा न हो सकी, आगरा पुलिस समस्त तथ्यों को समाप्त करने में सक्रिय है, क्योंकि पुलिस अधिकारी मुलजिमों को बचाना चाहते हैं।

पुलिस मेरे पति पर झूठे आरोप लगा रही है, वे एक अच्छे और नेक इन्सान थ। ये सदैव प्रथम श्रेणी के छात्र रहे थे।

मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे पति की हत्या श्री नाथू लाल, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की जानकारी में हुआ है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप शीघ्र तथ्यों पर विचार करके उचित कार्यवाही करें।

दिनांक : 28-6-77

भवदीया

ह0 श्रीमती रेनू सिंह।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 790 पर।)

परिशिष्ट 'क'

वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 में स्वीकृत की गयी योजनाओं की सूची

क्रमांक	जनपद का नाम	योजना का नाम जो 1975–76 में स्वीकृत की गयी	योजनायें जो 1976–77 में स्वीकृत की गयीं
1	2	3	4
(अ)	विश्व बैंक कार्यक्रम––		
1	देहरादून	1—मंसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना	जीवनगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना
		2—विजानू ,, ,,	देहरादून के पूर्वस्थिति
		3—खबऊ ,, ,,	ग्रामों की पेय जल
		4—सिजला ,, ,,	योजना का विस्तार
		5—रखतार ,, ,,	
		6—सिल्ला ,, ,,	
2	टिहरी	1—पोखरा ,, ,,	डालगाँव पुनौला पेयजल
		2—पुर्वियाना ,, ,,	योजना
		3—सेमल्टा ,,	कुजापूरा
		4—सनय ,, ,,	बुडोगी
			अखोरी
			चाका
			ढेला
			नौरिकलेश्वर
			धनौजी
			स्डौली
			मण्डार
3	उत्तरकाशी	1—थातीडियली ,, ,,	कुछ नहीं
		2—जिविया ,, ,,	
		3—जेस्टवाडी ,, ,,	
		4—खाण्ड ,, ,,	
		5—भितारी ,, ,,	
		6—खण्डारा ,, ,,	

1	2	3	4
4	पौड़ी	1—पोखरी धातोली पुनर्गठन पेयजल योजना	पोंग
		2—नरकोटा ,, ,,	काण्डइतल्ली
		3—रौतेला ,, ,,	गंगावाडा
		4—टकोलीखाल ,, ,,	गडकोट
		5—बन्दोला भगंवाडी ,, ,,	कमाकोट
			कोटापितरसेन
			गोदावरी
			गंगमोगपुर
			पौढ़ी पुनर्गठन पेय जल
			योजना द्वितीय चरण
5	चमोली	1—मथकोट ,, ,,	
		2—लासी ,, ,,	भरोड़ा
		3—सुनाली ,, ,,	कुंजा
		4—बुग्ग ,, ,,	पेलिंग
		5—नारायणपुरनौली ,, ,,	
		6—घारातल्ला मल्ला ,, ,,	
		7—चौण्ड ,, ,,	

परिशिष्ट 'ख'

वर्ष 1976–77 में प्रारम्भ की गयी तथा 31–7–77 तक पूर्ण की गयी योजनाओं की सूची

क्रमाँक	जनपद का नाम	योजनाओं का नाम जिन पर 1976–77 में कार्य आरम्भ किया गया	योजनाएं जो 31-7-77 तक पूर्ण हो गयीं
1	2	3	4
(अ) विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाएं			
1	देहरादून	1—मन्सूरी पुनर्गठन पेय जल योजना	खबऊ पेयजल योजना
		2—बिजनू ,, ,,	रखतार पेयजल योजना
		3—खटाऊ ,, ,,	सिजला पेयजल योजना
		4—सिजला ,, ,,	
		5—रखतार ,, ,,	
		6—सिला ,, ,,	
		7—जीवनगढ़ ग्राम समूह ,,	
		8—देहरादून के पूर्व स्थिति ग्रामों की पेय जल योजना का विस्तार।	
2	टिहरी	1—पोखरो ,, ,,	1–पुर्वियाना पेय जल योजना।
		2—पुर्वियाना ,, ,,	2–सेमल्टा पेय जल योजना।
		3—सेमल्टा ,, ,,	3–टेली पेयजल योजना
		4—सनय ,, ,,	4–सण्डोली पेयजल योजना।
		5—डालगाँव ,, ,,	
		6—पुनोला ,, ,,	
		7—कुन्जापुरी ,, ,,	
		8—बुड़ोगी ,, ,,	
		9—अखौरी ,, ,,	
		10—चाका ,, ,,	
		11—ढैंला ,, ,,	
		12—नौरकिलेश्वर ,, ,,	
		13—धनौजी ,, ,,	
		14—पुन्डौली ,, ,,	
		15—मण्डार ,, ,,	

1	2	3	4
3	उत्तरकाशी	1—थाती डिचली पुनर्गठन पेयजल योजना	खदारा पेयजल योजना
		2—जिविया ,, ,,	जेस्ट वाडी पेय जल
		3—जेस्टपाडी ,, ,,	योजना ।
		4—खांडा ,, ,,	
		5—भितारी ,, ,,	
		6—खण्डारा ,, ,,	
4	पौड़ी	1—पोखरी धरतौली पेयजल योजना	कुछ नहीं
		2—नखेटा ,, ,,	
		3—रौतेला ,, ,,	
		4—टकोली खाल ,, ,,	
		5—कबीलीखाल ,, ,,	
		6—पोत्र ,, ,,	
		7—काण्डईतल्ली ,, ,,	
		8—गंगापाडा ,, ,,	
		9—गडकोट ,, ,,	
		10—कपल्ड ,, ,,	
		11—कोटापितरसेन ,, ,,	
		12—गोदावरी ,, ,,	
		13—गंगामीत्रपुर ,, ,,	
5	चमोली	1—मथकोट ,, ,,	कुछ नहीं
		2—लासी ,, ,,	
		3—सुनाली ,, ,,	
		4—वुन्गा ,, ,,	
		5—नारायणपुर ,, ,,	
		6—धारतल्ला भल्ला ,, ,,	
		7—चोण्ड ,, ,,	
		8—मेरौडी ,, ,,	
		9—वत्जा ,, ,,	
		10—पेलिंग ,, ,,	

सामान्य कार्यक्रम—

1	पौड़ी	पौड़ी पुनर्गठन पेयजल योजना द्वितीय चरण	नहीं

नत्थी 'ग'

(देखिए ताराँकित प्रश्न सख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 793 पर)

तालिका

जिला	वर्ष	मोटर सड़कों का नाम जिनके निर्माण की स्वीकृति दी गयी	सड़क की लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृति धनराशि (लाख रु0 में)	31-7-77 तक निर्मित सड़क की लम्बाई (कि0मी0)
1	2	3	4	5	6
पौड़ी गढ़वाल ..	1975–76		शून्य		
	1976–77	1—खिर्सू–मूसागली–दमदेवल मोटर मार्ग	15–00	30–00	3–7
		2—सीकूखाल–ज्वालपा देवी मोटर मार्ग	28–00	56–00	4–50
		3—बेताल–बोसाल–मुण्डनेश्वर मोटर मार्ग	25–00	60–00	0–40
		4—सतपुली–दुधारखाल मोटर मार्ग	20–00	32–00	2–50
		5—रिखणीखाल–बीरोखाल–केदारगली–जोगीमटी–ठोड़–भवनी–थलीसैंण मोटर मार्ग	20–00	40–00	2–50
		6—काण्डी–लक्ष्मणझूला मोटर मार्ग	20–00	32–00	6–00
		7—हनुमन्ती–फतेहपुर मोटर मार्ग ..	12–00	24–00	3–00
		8—कोटद्वारा–कालागढ़ मोटर मार्ग	25–00	56–00	5–00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		9—खिर्सू–पिठुण्डीखाल–मोजखाल–हरियाली–धनपुर–नोटी आदि बद्री मार्ग (यह मार्ग चमोली में भी है)		47–00	119–00	1–00
		लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत कार्य—				
		1—छातीखाल–खेड़ाखाल मोटर मार्ग		3–00	3–96	0–75
		2—कोटद्वार–रामणी–पुलिण्डा मोटर मार्ग		8–00	10–82	1–80
		त्वरित योजना के कार्य—				
पौड़ी गढ़वाल ..		1—घुड़दौड़ी–जामाला खाल मोटर मार्ग		3–20	1–28	1–00
		2—घौलीखाल–कण्डारा मोटर मार्ग		1–90	0–76	शून्य
		3—बि यारगाँव–चढ़खेत मोटर मार्ग		2–325	0–93	,,
		4—जाड़ीवाखाल–कपटियायल गाँव मोटर मार्ग ..		0–45	0–19	0–25
		5—मोहनचट्टी–9 मोटर मार्ग ..		2–80	1–12	शून्य
		6—नालीखाल–सिमलाना मोटर मार्ग		3–00	1–20	,,
		7—अदवानी–मुण्डनेश्वर मोटर मार्ग		9–00	3–60	,,
		8—जामलाखाल–दालमी मोटर मार्ग		1–50	0–60	,,
		9—घ्वाहिखाल–बसूडा मोटर मार्ग		1–30	0–52	,,
		10—घूमाकोट–नैनीडाँडा–केलघान मोटर मार्ग ..		20–00	8–00	,,
		11—बेदीखाल–इण्टर कालेज लिंक मार्ग		0–75	0–30	,,
		12—काण्डी–रतनपुर मोटर मार्ग		2–00	0–80	,,
पौड़ी गढ़वाल ..	1977–78	1—कोडिया देवी मोटर मार्ग		1–40	0–85	,,
		2—हल्दूखाल–सिग ड़ी मोटर मार्ग		7–00	4–60	,,
		3—किशनपुर–झांडी–चौ ड़ मोटर मार्ग		2–00	1–30	,,

1	2	3	4	5	6
चमोली	.. 1975–76		शून्य		
	1976–77	1—जोशीमठ–ओली मोटर मार्ग	16–17	26–90	शून्य
		2—मलारी–नीती मोटर मार्ग	10–00	25–00	,,
		3—सोनला–कोटली–नारायणबगड़ मोटर मार्ग ..	20–00	40–00	,,
		4—घाट–थराली मोटर मार्ग	10–00	20–00	,,
		5—जोशीमठ नरसिंह मन्दिर लिंक मोटर मार्ग ..	1–50	7–00	,,
		6—बगोली–कोटी जैंटा–दिवालीखाल मोटर मार्ग ..	10–00	20–00	,,
		7—जखैली–भीरी मोटर मार्ग	80–00	160–00	,,
		8—नन्द प्रयाग-देवखाल मोटर मार्ग	7–00	19–00	0–35
		9—खिर्स–ठिण्डीखाल मोलूखाल हरिथाली–धनपुर आदि बद्री मोटर मार्ग (यह मार्ग पौड़ी गढ़वाल में भी है) ..	47–00	119–00	1–25
		10—कर्ण प्रयाग–पोखरी मोटर मार्ग ..	20–00	70–00	4–75
		11—गुप्तकाशी–कालीमठ मोटर मार्ग	8–00	50–00	1–00
		12—सोनप्रयाग–त्रियुगी नारायण मार्ग	7–00	15–00	1–00
		13—ग्वालदम–देवाल–थराली मोटर मार्ग	32–00	0–60	शून्य
		14—नगरास–डंडाखल–धनपुर–गिन्दोखाल मोटर मार्ग ..	20–00	36–00	,,
		15—भेड़ प्रजनन केन्द्र मक्कू के लिए पहुंच मार्ग ..	10–00	25–90	,,
		लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत कार्य—			
		1—राजकीय कन्या विद्यालय, गोपेश्वर से जिलाधिकारी आवास गृह तक मोटर मार्ग	0–80	1–76	शून्य

	2—जिला चमोली में हाफला–धोतीधार–जोरासी मोटर मार्ग	3–5	7–70	0–65	
	3—नारायण बगड़–पैठानीधार मोटर मार्ग	2–50	5–50	शून्य	
	त्वरित योजना—				
	1—पाण्डुवाखाल–रोहेड़ा मोटर मार्ग	19–30	13–51	1–10	
	2—कण्डारा–सुनाली मोटर मार्ग	3–00	2–10	1–05	
	3—ऊखीमठ–विद्यापीठ मोटर मार्ग	10–00	10–00	शून्य	
	4—वासवाडा–विजयवाड़ा मोटर मार्ग	2–319	1–623	,,	
	5—मोहनखाल–चन्द्रनगर मोटर मार्ग	1–00	0–70	,,	
	6—नारायणबगड़–पैठानीधार मोटर मार्ग	1–00	3–70	,,	
	7—पैठानधार–चिल्याखाल परखाल मोटर मार्ग ..	8–50	5–95	,,	
	8—थराली बाजार से अस्पताल मोटर मार्ग ..	0–675	0–473	,,	
1977–78	1—उखीमठ–मनसूना मोटर मार्ग	12–00	65–00	,,	

उत्तराखण्ड विधान सभा

पी0एस0यू0पी0—एल0 335 वि0 सभा (746)—1978—843।